श्री सत्य साई संगठन भारत
का
नियम एवं विधान

RULES & REGULATIONS
OF
SRI SATHYA SAI ORGANISATION
INDIA

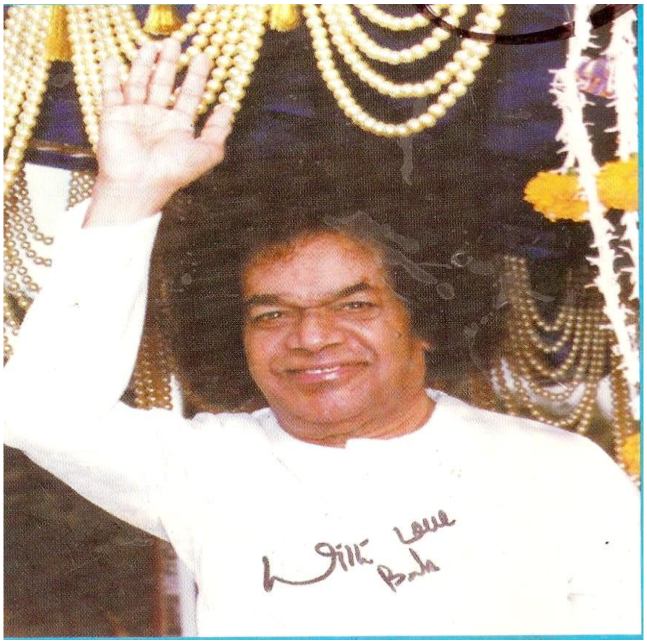

श्री सत्य साई संगठन, भारत
प्रशांति निलयम

SRISATHYA SAI ORGANISASTION INDIA
PRASHANTI NILAYAM

श्री सत्य साई संगठन भारत

का

नियम एवं विधान

RULES & REGULATIONS
OF
SRI SATHYA SAI ORGANISATION
INDIA

नम्बर–2009

श्री सत्य साई संगठन,भारत

प्रशांति निलयम

NOVEMBER-2009

SRISATHYA SAI ORGANISASTION INDIA

PRASHANTI NILAYAM

प्रकाशनः–

सेंट्रल ऑफिस

श्री सत्य साईं सेवा संगठन
पी.ओ. प्रशांति निलियम
जिला अनंतपुर आंध्रप्रदे ।
भारत–515134

पुनरावृत्तिः 2009

श्री सत्य साई संगठन भारत के सदस्यों के मध्य
निजि वितरण हेतु

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	श्री सत्य साई संगठन–एक परिचय –	
1.1	श्री सत्य साईं संगठन–अवधारणा ।	
1.2	सदस्य हेतु योग्यता ।	
1.3	श्री सत्य साईं संगठन (का उद्देश्य)।	
1.4	उद्देश्यों की प्राप्ति ।	
1.5	संगठन की गतिविधियॉ ।	
1.6	संगठन के नियम ।	
2.	श्री सत्य साई संगठन राजपत्र (चार्टर) आचार संहिता और सामान्य सिद्धांत–	
2.1	राजपत्र(चार्टर)।	
2.2	आचार संहिता ।	
2.3	सामान्य सिद्धांत ।	
3.		

	तीनों विभागों, आध्यात्मिक, शिक्षा एवं सेवा के अंतर्गत गतिविधियों का उद्देश्य एवं आंतरिक महत्व–	
3.1.	आध्यात्मिक ।	
3.1.1	भजन(भक्तिमय गायन)।	
3.1.2	स्टडी सर्किल (अध्ययन मण्डल)	
3.1.3	प्रदर्शनी, भाषण, फिल्मशो, संगोष्ठी आदि ।	
3.1.4	ध्यान एवं नामस्मरण (विभिन्न रूपों में) ।	
3.2	शैक्षणिक ।	
3.3	सेवा ।	
4.	श्री सत्य साई संगठन (भारत)की संरचना, पदाधिकारी एवं उनके कर्त्तव्य–	
4.1	ऑल इंडिया प्रेसीडेंट–(अखिल भारतीय अध्यक्ष)	
4.2	ऑल इंडिया समन्वयक ।	
4.3	स्टेट प्रेसीडेंट–(प्रान्ताध्यक्ष)	
4.4	राज्य महिला समन्वयक ।	
4.5	राज्य पुरूष समन्वयक (सेवा)	
4.6	राज्य युवा (पुरूष)समन्वयक और संचार समन्वयक ।	
4.7	राज्य एजुकेयर समन्वयक (पुरूष)	
4.8	सूचना एवं संचार ।	
4.9	जिला एवं जिला अध्यक्ष ।	
4.10	जिला समन्वयक ।	
4.11	युवा विभाग ।	
4.12	समिति समन्वयक ।	
4.13	समिति स्तर के प्रभारी	
5.	ऑल इंडिया संगठन का आरेख ।	
5.1		
5.2		

	सेवा समिति एवं उनके कार्य ।	
5.3		
5.4	गठन ।	
	समिति एवं भजन मंडली का नाम ।	
5.5		
5.6	समिति सदस्यों की योग्यता ।	
	सदस्यों का रजिस्टर ।	
5.7		
5.8	समिति का गठन ।	
	सदस्यों की संख्या ।	
5.9	नियम एवं विधान।	
5.10	समिति के कार्य –	
5.11	a–आध्यात्मिक विभाग ।	
	b–शिक्षा विभाग ।	
5.12		
	c–सेवा विभाग ।	
5.13	महिला विभाग ।	
	वित्त ।	
	समिति की सम्बद्धता का निरस्तीकरण ।	
	आत्म विश्लेषण एवं आत्म परीक्षण।	
	कुछ गतिविधियॉ –	
5.14		
	1–भजन (नाम स्मरण)।	
5.15	2–नगर संकीर्तन ।	
	3–स्टडी सर्किल।	
	4–सार्वजनिक समारोह ।	
	5–साधना शिविर या रिट्रीट ।	
	6–बाल विकास कार्यक्रम ।	
	प्रशांति ध्वज ।	
	सर्वधर्म प्रतीक चिन्ह :–	
	परिशिष्ट–I (नियम 1.5)	
	परिशिष्ट–II(नियम 1.6, नियम 2.3,नियम 5.10)स्टेटप्रेसीडेंट / स्टेट ट्रस्ट संयोजक के लिए वित्त संबधी मार्गदर्शी बिन्दु ।	
	परिशिष्ट–III(नियम 2.2,नियम 5.12)आत्म विश्लेषण एवं आत्म परीक्षण के लिए मार्गदर्शी बिन्दु ।	

	परिशिष्ट–IV(नियम 3.1.4)ध्यान के लिए मार्गदर्शी बिन्दु ।	
	परिशिष्ट–V(नियम 1.5,नियम 3.2)भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्म पर युवाओं के लिए सेवा आध्यात्म एवं शिक्षा पर विशेष बल देते हुए पाठ्यक्रम ।	
	परिशिष्ट–VI(नियम 4.3.11, नियम 4.9.4(VI)नियम 4.12(4)राज्य संगठन ,जिला एवं समिति की अर्ध वार्षिक प्रतिवेदन(रिपोर्ट)का प्रारूप	
	परिशिष्ट–VII (नियम 5.3(2)नियम 5.4)समिति के सदस्य एवं पदाधिकारियों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र ।	
	परिशिष्ट–VIII(नियम 3.1.2नियम 5.13(3)स्टडी सर्किल ,	
	परिशिष्ट–IX(नियम 5.13)(6)(b)(8) परिचय पत्र, सहमति एवं प्रवेश पत्र ।	
	परिशिष्ट–X(नियम 5.14)प्रशांति ध्वज के लिए मार्गदर्शी बिन्दु ।	
	परिशिष्ट–XI(नियम 5.15)सर्वधर्म प्रतीक चिन्ह ।	
	परिशिष्ट–XII श्री सत्य साई संगठन,भारत का काल कमिक इतिहास	
	परिशिष्ट–XIIIश्री सत्य साई संगठन ,भारत का दो दिवसीय एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम ।	

प्रस्तावना

।। ओम श्री साईं राम ।।

भगवान श्री सत्य साईं बाबा एवं उनकी शिक्षाओं के प्रति निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और समर्पण ही श्री सत्य साई संगठन का आधारभूत सिद्धांत है ।

किसी का यह सोचना स्वाभाविक है कि किसी संगठन तथा उसके सदस्यों की गतिविधियों को संचालित करने में नियम और विधान की क्या आवश्यकता है ।

इसका उत्तर संगठन के आकार,उसकी सदस्यता एवं उसकी गतिविधियों की विविधता में सन्निहित है । भगवान की पूर्ण अनुकम्पा के लाभ का अनुभव किये बिना और उन्हें संगठन में जुड़ने के लिए प्रेरित किये बिना कई युवा सदस्य भी इसमें सम्मिलित हुए है ।

ये नियम एवं विधान श्री सत्य साईं संगठन की संरचना, सदस्यों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व की व्याख्या करते है । तथापि कोई यह न भूले कि ये नियम सदैव प्रेम की

भावना के साथ प्रयोग में लाये जाने हैं । ये, वर्ष 2001 में जारी पिछले नियम एवं विधान को प्रतिस्थापित करेंगे । हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने दिव्य हाथों में उपयुक्त उपकरण बना कर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें ।

व्ही.श्रीनिवासन
ऑल इंडिया प्रेसीडेंट

23 नवम्बर 2009

अध्याय–1
श्री सत्य साई संगठन

1.1 एक परिचय–

श्री सत्य साई संगठन–अवधारणा–

समस्त मानवजाति के कल्याण के लिए भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा स्थापित श्री सत्य साई संगठन एक सेवा संगठन है जिसका आधार आध्यात्म है, इसमें विश्व के धर्म,मत,राष्ट्रीयता,जाति या सम्प्रदाय के आधार पर कोई मतभेद या अन्तर नहीं है ।

श्री सत्य साई सेवा समिति/केन्द्र में, विभिन्न जातिगत दलों एवं धर्मो के लोग शामिल हैं । सभी अपने धर्मो का पालन करते हुए, इस अवधारणा के साथ कि ''मानव सेवा ही माधव सेवा है'', मानवता की सेवा के लिए जुड़ते हैं ।

श्री सत्य साई संगठन का परम उद्देश्य, सेवा एवं आध्यात्म के माध्यम से सभी व्यक्तियों में उनके अन्दर अंतर्निहित दिव्यता का बोध कराना है । यह दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट किया जाता है कि साई संगठन एक धार्मिक संगठन नहीं है।

1.2 सदस्यता के लिए मापदण्डः–

ऐसा कोई व्यक्ति जिसे भगवान में विश्वास है और वह आचार संहिता के 9 बिन्दुओं का पालन करने का इच्छुक है और संगठन के नियम और विधान के उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार करने को तत्पर हो और जो सेवा कार्य के लिए इच्छुक है उनका उस संबंधित क्षेत्र के श्री सत्य साई समिति/केन्द्र के सदस्य के

रूप में स्वागत है ।

सदस्यता के लिए कोई फीस या शुल्क नहीं है ।

1.3 श्री सत्य साई संगठन के उद्देश्यः–

श्री सत्य साई संगठन किसी विशिष्ट धर्म का प्रचार नहीं करता और न ही धर्म परिवर्तन का माध्यम है । इसके मुख्य सिद्धांत हैंः–

1.3.1 मानव की सहायता करना

(i) ताकि वह स्वयं में अंतर्निहित दिव्यता का बोध कर, तद्नुसार आचरण कर सके ।

(ii) दैनिक जीवन में दैवीय प्रेम और सम्पूर्णता को आचरण में उतार सके ।

(iii) अपने जीवन को आनन्द,समता,सौदर्य, उदात्तता,मानव जीवन की उत्तमता और अखण्ड आनन्द से परिपूर्ण कर सकें ।

1.3.2 गरीब एवं जरूरत मंद की सेवा करना ।

1.3.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मानवीय संबंध सत्य,धर्म (सदाचरण) प्रेम, शांति और अहिंसा के सिद्धांतों से अनुशासित हों ।

1.3.4 अपने धर्म के पालन के लिए किसी भी धर्म के भक्तों को और अधिक निश्छलता और समपर्ण कर अपने धर्म के वास्तविक मार्ग या उद्देश्य समझ कर अन्य सभी धर्मो का सम्मान करना सिखाना ।

1.4 उद्देश्यों की प्राप्ति

1.4.1 भगवान बाबा द्वारा स्थापित चार सिद्धांतों के पालन से उदाहरणार्थः–

(1) धर्म एक ही है और वह है प्रेम का धर्म ।

(2) जाति एक ही है और वह है मानवता की जाति ।

(3) भाषा एक ही है और वह है हृदय की भाषा ।

(4) ईश्वर एक ही है और वह सर्वव्यापी है ।

1.4.2 सतत् ईश्वर का स्मरण, सभी को विभिन्न रूपों में दिव्यता का प्रगटीकरण मानकर देखना ।

1.4.3 सभी धर्मो की एकता को समझना और प्रेम पर आधारित होने के कारण सभी धर्मो को सही ढंग से समझना ।

1.4.4 सभी कार्यो को पूजा समझना और सेवा को दिव्यता को समर्पित मानना ।

1.4.5 दिव्यता से निसृत करूणा, सहिष्णुता और सेवा से जीवन की सभी कठिनाइयों से निपटना ।

1.4.6 भगवान को प्रसन्न करने के लिए पाप भीति से सभी कार्यकलापों पर अपने समस्त कर्म, दैव प्रीति, पाप भीति और संघनीति के सिद्धांत पर केन्द्रित करना ।

1.4.7 व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर आध्यात्मिक , शैक्षणिक और सेवा गतिविधियों में स्वयं को व्यवस्थित एवं संगठित रूप से बिना किसी भौतिक पुरस्कार या प्रशंसा की अपेक्षा करते हुए केवल ईश्वर का प्रेम और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए संलग्न रहना ।

1.4.8 मन ,वचन और कर्म में एकता की पवित्रता पाने और अन्तर्निहित दैवत्व को पहचानने के लिए अभ्यास करना ।

1.5 संगठन की गतिविधियॉ

श्री सत्य साई समिति/भजन मण्डली में भगवान श्री सत्य साईं बाबा की प्रेरणा एवं मार्ग दर्शन के अनुसार संगठन की आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सेवा गतिविधियॉ चल रही है ।

आध्यात्मिक गतिविधियों के अन्तर्गत भजन गायन,नगर संकीर्तन स्टडी सर्किल,जनमानस के लिए विद्धानों के व्याख्यान, विचार गोष्ठी ध्यान आदि आते है।

शैक्षणिक गतिविधियों के अन्तर्गत 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल विकास पाठक्रम, भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्म पर युवाओं के लिए पाठ्यक्रम और मानवीय मूल्यों पर निर्देशित एजुकेयर कार्यक्रम औपचारिकेतर शिक्षा जो विद्यार्थियों एवं अन्य के चरित्र के विकास पर आधारित हो (परिशिष्ट V में निर्देशित) ।

सेवा संबंधी गतिविधियॉ इस प्रकार हैः–

(1) अपने क्षेत्र में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की देखरेख में चिकित्सा शिविर आयोजित करना ।

(2) पशु चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ पशु चिकित्सा शिविर ।

(3) अस्पताल एवं वृद्धाश्रमों की भेंट ।

(4) कुष्ठ रोगी अस्पताल एवं विकलांग गृह में जाना ।

(5) पिछडें ग्रामों में ग्राम विकास को गति देने के लिए गोद लेना ।

(6) बाढ़ ,भूकम्प,तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाना ।

(7) निःशुल्क कोचिंग क्लास और व्यवसायिक प्रशिक्षण कक्षाएं लगाना ।

(8) गरीबों को भोजन एवं अन्य ऐसी गतिविधियॉ जो संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप हों ·

संगठन की ऐसी गतिविधियॉ श्री सत्य साई संगठन द्वारा स्वतन्त्र रूप से अपनायी जायेंगी,और वह शासकीय, अर्धशासकीय,निगमित निकाय या असंगठित

निकाय की सहायता नहीं लेगा । (इस संबंध में और जानकारी के लिए परिशिष्ट I पढियें) ।

1.6 संगठन के नियम

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति एवं संगठन के सदस्यों की सहायता के लिए सभी सदस्यों से अध्याय 2 में दर्शित आचार संहिता के पालन की अपेक्षा की जाती है ।

समिति/केन्द्र की गतिविधि के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता एवं किसी भी समय किसी भी तरीके से जनता से दान हेतु अनुरोध न किया जाए । संगठन की गतिविधि में लगने वाले आर्थिक – व्यय को संगठन के सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से अंशदान किया जाकर पूरा किया जाएगा और जो कि भारत के राज्य में स्थित श्री सत्य साईं ट्रस्ट द्वारा समर्थित होगा (इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट II पढ़े)

अध्याय–2

श्री सत्य साई संगठन–राजपत्र (चार्टर) आचार संहिता एवं सामान्य सिद्धांत

2.1 राजपत्र (चार्टर)

भगवान श्री सत्य साई बाबा ने अपने अवतरण की 55 वीं वर्षगांठ पर श्री सत्य साई संगठन को नवम्बर 1980 में सम्पन्न हुए तृतीय विश्व सम्मेलन में निम्नानुसार दिशानिर्देश प्रदान किये थे ।

इस अध्याय में प्रतिपादित पवित्र सिद्धांत श्री सत्य साई संगठन की कार्य प्रणाली के आधार स्वरूप है तथा इन्हें इस दिव्य राजपत्र (चार्टर) में प्रष्ठिापित किया गया है।

चूंकि भगवान श्री सत्य साई बाबा का अवतरण उनकी घोषणानुसार सनातन धर्म की स्थापना के लिए हुआ है ।

और चूंकि यह विश्व संगठन एक आध्यात्मिक संगठन है जो समस्त मानव जाति के मध्य मानवीय श्रेष्ठता को प्रस्फुटित करने के लिए स्थापित है, जो धर्म,जाति रंग या मत में भिन्नता या असमानता को मान्यता नहीं देता ।

और चूंकि इस संगठन का उद्देश्य सनातन धर्म के संवर्धन को बढ़ावा देना और एकत्व की साई शिक्षा को स्थापित करना है जो कि सभी धर्मो का मूल तत्व है ।

और चूंकि इस संगठन का भगवान बाबा द्वारा प्रतिपादित मूल उद्देश्य

''मानव में अंतर्निहित दैवत्व से उसे परिचित कराना है'' जो कि दैनिक जीवन में सत्य, धर्म, शांति प्रेम एवं अहिंसा के अभ्यास से ही सम्भव है।

और जैसा कि इस दैवत्व का अनुभव करने के लिए मात्र वाह्य वातावरण और परिस्थितियाँ पर्याप्त नहीं है, अपितु मानव के मन में परिवर्तन आवश्यक है । इसे संगठन के वातावरण के द्वारा आत्मसात एवं अभिव्यक्त किया जाना है ।

और चूंकि संगठन की गतिविधियाँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक माध्यम है । अंततोगत्वा यह उन्नति सभी व्यक्तियों को जीवन के तनाव और उतार चढाव को सहन करते हुए, आंतरिक शांति का आनन्द लेने के लिए सक्षम बनाएगी ।

और चूंकि इन उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिएः–

इस लिए एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है :–

क. कि यह राजपत्र (चार्टर) श्री सत्य साई संगठन को शासित करने के लिए होगा।

ख. कि वर्तमान में संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य और आगे भी संगठन से जुड़ने वाले सभी लोग श्री सत्य साई संगठन के नाम से सभी गतिविधियाँ संचालित करने हेतु अधिकृत होंगे ।

ग. कि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सदस्य, आचार संहिता की कठोर साधना (आध्यात्मिक अभ्यास)करेंगे ताकि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे हमारे दिव्य स्वामी के योग्य उपकरण बन सकें ।

घ. कि ऐसा कोई भी व्यक्ति संगठन का पदाधिकारी या सदस्य बने रहने का पात्र नहीं होगा जिसने स्वेच्छा से इन निर्धारित आचार संहिता से हटकर काम किया हो ।

अतःइसलिए एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता हैः–

1. संगठन को प्रदत्त राजपत्र (चार्टर)पूरे विश्व के संगठन के क्रियाकलापों को नियंत्रित और अनुशासित करेगा ।
2. किसी भी स्वरूप में प्रत्येक कार्य एवं सभी गतिविधियों का कार्य संपादन और संचालन श्री सत्य साई संगठन (एतद् पश्चात ''संगठन''कहा जायेगा)के नाम और रीति से सम्पन्न होगा ।
3. इस प्रकार निर्धारित संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से संगठन के सभी सदस्य आध्यात्मिक अनुशासन (साधना) की तरह अनिवार्य रूप से आचार संहिता का पालन करेंगे ताकि वे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति और भगवान बाबा के दैवीय मिशन की पूर्णता के लिए योग्य उपकरण बन सके ।

2.2 आचार संहिता–

संगठन का प्रत्येक सदस्य आवश्यक रूप से दैनिक जीवन के अखण्ड भाग के रूप में साधना (अनुशासन) करेगा और निम्नलिखित आचार संहिता से आबद्ध रहेगा :–

2.2.1 प्रतिदिन ध्यान एवं प्रार्थना ।

2.2.2 सप्ताह में एक दिन परिवार के सदस्यों के साथ भजन/प्रार्थना ।

2.2.3 संगठन द्वारा संचालित बाल विकास कार्यक्रम में परिवार के बच्चों द्वारा भाग लेना ।

2.2.4 संगठन द्वारा संचालित भजन या नगर संकीर्तन में माह में कम से कम एकबार भाग लेना ।

2.2.5 संगठन की समाज सेवा गतिविधियों और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना ।

2.2.6 साई साहित्य का नियमित अध्ययन करना ।

2.2.7 जिस किसी के सम्पर्क में आयें उनसे धीमी और प्यार भरी आवाज में बात करना ।

2.2.8 किसी की निन्दा नहीं करना विशेषतः उसकी अनुपस्थिति में ।

2.2.9 इच्छाओं पर नियंत्रण के सिद्धांत को व्यवहार में लाना तथा इससे हुई बचत को मानव सेवा में लगाना ।

आचार संहिता का अपालन या उल्लंघन किसी भी सदस्य को पदाधिकारी बने रहने या संगठन की सदस्यता से निर्योग्य कर देगा । संगठन का सक्षम प्राधिकारी किसी भी सदस्य को पद से हटा सकेगा और उसे किसी पद के लिए या संगठन के सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर सकेगा । सभी सदस्य और पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका आचरण आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता आत्म चिन्तन एवं आत्म परीक्षण के दिशा निर्देशों का पालन करेगा जो परिशिष्टि III में दी गई है ।

2.3 सामान्य सिद्धांत

संगठन की कार्यकृति एवं नाम को अक्षुण रखने एवं सक्षम बनाने के लिए सभी, संगठन द्वारा संस्थापित प्रत्येक अंग इस प्रकार संगठन से संबद्ध रहेंगे जैसा कि समय–समय पर निर्धारित किया जाये और ऐसी सम्बद्धता के अभाव में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो स्वयं को साई भक्त कहता हो, श्री सत्य साई संगठन या श्री सत्य साई या उसके किसी रूपांतरण का राज्य में किसी भी गतिविधि में उपयोग करने हेतु अधिकृत नहीं होगा ।

श्री सत्य साई संगठन या उसकी किसी इकाई की सदस्यता पूर्णतः

स्वैच्छिक होगी । इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता । सभी अधिकार एवं विशेषाधिकार संगठन के पास सुरक्षित है ।

संगठन के कार्यकलाप एवं प्रशासन में साधारणतः कोई कठिनाई या विवाद नहीं उठना चाहिए । तथापि इस राजपत्र (चार्टर) में जो बातें शामिल न हो तो उसे ऑल इंडिया प्रेसीडेंट के समक्ष मार्गदर्शन एवं निर्णय के लिए रखा जावेगा ।

यह अति महत्वपूर्ण है कि संगठन के सभी पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता अपने व्यवहार एवं कार्यो से अन्य भक्तों के लिए अनुकरणीय आदर्श बनेंगे । इसकी प्राप्ति के लिए दो स्तरीय कार्यक्रम लिया जावे, पहला, यह सुनिश्चित करें कि समिति के वर्तमान सदस्य गहन साधना करें ताकि वे भगवान बाबा के योग्य उपकरण बन सकें । दूसरा, पूर्ण प्रशिक्षित साधक तैयार करने का दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाया जावे जो श्री सत्य साई संगठन की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए उत्कृष्ठता का एक नियमित स्त्रोत बन सकें ।

श्री सत्य साई संगठन में पदाधिकारियों का चयन, लोकप्रियता या सेवा की दीर्घ अवधि के आधार पर नहीं किया जाता , यह देखना महत्वपूर्ण है कि नामांकित सदस्य अपना जीवन कैसे बिताता है और सौंपे गये कार्य को क्या सही ढंग से निर्वाह करने में सक्षम है ? आवश्यक मापदण्ड है—श्रृद्धा, विनम्रता, भक्ति और सेवा ।

स्वामी ने स्पष्टतः इस प्रक्रिया को समझाकर कहा है'' समिति के पदाधिकारियों का चयन राजनीतिक कारणों से नहीं होगा, न ही आर्थिक, व्यापार, सामाजिक या कार्यालयीन पदस्थिति पर...... उन पुरूषों एवं महिलाओं को चुनो जिनका वर्तमान अवतार के नाम एवं स्वरूप पर अडिग विश्वास है । यह समिति को बाद में आने वाली कई कठिनाईयों से निष्ठा को बिखरने या पदाधिकरियों की शक्ति को, मार्ग बदलने से सुरक्षित रखेगा (श्री सत्य साई स्पीक्स भाग X पेज–4) समिति और यूनिट के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य को व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामूहिक साधना में भाग लेना है , नाम स्मरण ,नगर संकीर्तन और समिति/यूनिट की अन्य गतिविधियों में भाग लेना चाहिए ।

श्री सत्य साई संगठन कोई वित्तीय संगठन नहीं है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार की याचना की अनुमति नहीं है । सभी पदाधिकारियों को स्वामी के निम्नानुसार शब्दों को मस्तिष्क में रखना है—''अच्छे काम कभी भी धन की कमी से रूकते नहीं है । ईश्वर स्वयं उनके उद्धार हेतु आयेगें, केवल वे थोड़ा समय लेते है, अतः मन छोटा मत करों । तुम्हें अनुचित तरीके से पैसे एकत्रित नहीं करना

चाहिए । मदद हमेशा पवित्र हृदय से, अच्छे तरीके से, कमाये धन से ऐसे लोगों से जो कार्य के उद्देश्य को जानते हों तथा उद्देश्य की प्रशंसा करते हों, उनसे ही लेना चाहिए । इसी कारण से मैं, ऐसे सहायतार्थ शो, जहाँ तुम लोगों को नाच , ड्रामा या फिल्म से आकर्षित करते हो का विरोध करता हूँ । (इस विषय की अधिक जानकारी के लिए **परिशिष्ट–II पढ़ें**) ।

अध्याय–3

तीनों विभागों,आध्यात्मिक,शैक्षणिक और सेवा के अन्तर्गत कार्यों का आंतरिक महत्व और उद्देश्य

(संदर्भ नियम 1.5, अध्याय–1, यह अध्याय संगठन के तीनों विभागों के अन्तर्गत लिये गये कार्यो का उद्देश्य एवं आंतरिक महत्व बतलाता है)

3.1 आध्यात्मिक

भजन (भक्ति गायन)

भजन देवी–देवताओं की सरल नामावलियाँ हो सकते हैं या ईश्वर के गुणगान की पदावलियाँ या फिर ईश्वर की प्रार्थना या फिर इन सब का मिला जुला रूप जो व्यक्ति की ईश्वर के प्रति भक्ति और सर्वव्यापकता को व्यक्त करता हो । इसका आंतरिक महत्व यह है कि सभी नाम ईश्वर के नाम है और हम उनकी सर्वज्ञता, सर्वोच्चता एवं सर्वशक्तिमानता के लिए स्तुति करते हैं और भजते हैं और हम उसकी रक्षा, कृपा, दया एवं अनुग्रह के लिए आभार व्यक्त करते हैं । इसका यह अर्थ भी है कि संसार में दिखने वाली विभिन्नता के पीछे एक दिव्य एकता है जो सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त हैं यह कि ब्रह्माण्ड में सर्वत्र ईश्वर का वास है जो अनेक आकार एवं रूपों में व्यक्त हो रहा है । हम ईश्वर के प्रति अपना प्रेम उसका गुणगान करके व्यक्त करते हैं और अपना अहंकार उसकों समर्पित कर देते है ताकि हमारे अन्दर का दैवत्व बाहर आ सके और मन वचन और कर्म में व्यक्त हो सके और अंत में हम उस परमानंद में विलीन हो सकें जिससे इस ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है । भगवान बाबा ने कहा है कि भजन एक अनुशासन है जिससे काम और क्रोध को दूर रखा जा सकता है फलतः प्रेम और अन्तरात्मज्योति को

अधिक एवं सतत् प्रकाशित किया जा सकता है ताकि उसकी आभा से हमारे आसपास का क्षेत्र आलोकित हो सके । सच्ची प्रार्थना से पाप और बुराई के पहाड़ भी नष्ट हो जाते है । मूल उद्देश्य है मानव को मन और हृदय को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करना ताकि माया की शक्ति के प्रभाव से छुटकारा पा सके तब फिर वह अपने अन्दर छिपे दैवत्व को उजागर कर सकेगा जिससे उसके एवं आसपास के समाज में प्रसन्नता समरसता और स्थायी शांति से परिपूर्णता आ सके ।

3.1.2 स्टडी सर्किल–अध्ययन मण्डल

अध्ययन मण्डल का आंतरिक महत्व यह है कि असमान प्रवृतियों के कारण साधारणतः मनुष्य बाहरी दुनिया की उत्तेजनाओं, बाह्य शक्तियों से प्रतिक्रिया करता है । मानवीय मूल्यों के लिए सुनिश्चित उन्नति और अभ्यास की आवश्यकता होती है ताकि मानव अपने अन्दर छिपे दैवत्व को अभिव्यक्त कर सके जिससे उसे और समाज को चिर आनन्द की प्राप्ति हो सके । मानव को इन मूल्यों को जानने और प्राप्त करने तथा यदि कोई शंका हो तो उसके निवारण में ये अध्ययन मण्डल सहायक होते हैं ।

इन सब बातों का उद्देश्य यह है कि मानव, भगवान बाबा की शिक्षाओं को सही रूप में समझ सके और जीवन में वास्तविक स्थिति को जान सके । तत्पश्चात ही वह भगवान बाबा द्वारा बताये गये उद्देश्य को समझने और अनुकरण करने के योग्य हो सकेगा । **(देखिए परिशिष्ट–VIII)**

3.1.3 प्रदर्शनी, व्याख्यान, फिल्म शो, विचार गोष्ठी आदिः–

इसका आंतरिक महत्व यह है कि भगवान बाबा की शिक्षाओं और उनके मिशन के प्रति जन साधारण के मन में यदि कोई भ्रामक धारणायें हों तो उन्हें दूर करना और दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से जनसामान्य के एक बड़े वर्ग को भगवान बाबा की शिक्षाओं से उनको परिचित कराकर लाभान्वित कराना ताकि वे यह व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर सके कि आध्यात्म के मार्ग से जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के बारे में उनका चिन्तन विकसित हो सके ।

3.1.4 ध्यान और नाम स्मरण (विभिन्न रूपों में)

ईश्वर के सतत् नामस्मरण के कई मार्ग हैं । इसका महत्व यह है कि मनुष्य का ध्यान किसी स्वरूप,नाम,या मन्त्र की ओर लगा देना ताकि वह बाहरी

दुनिया के प्रलोभनों और अन्य विचारों से बच सकें ।

इसका उद्देश्य भी है कि मन को ईश्वर पर और उससे संबंधित विचारों पर ही केन्द्रित कर दिया जाए ताकि साध्य और साधक का भेद खत्म हो जाए, और साधक अपने साध्य अर्थात् ईश्वर के साथ एकाकार हो जाए । **(ध्यान पर मार्ग दर्शन के लिए देखिए परिशिष्ट–IV)**

3.2 शैक्षणिक

जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रवेश करने वाले मानवीय मूल्य के परिचय एवं समझने के लिए मानव बचपन से ही मानवीय मूल्यों के महत्व का मूल्यांकन करने के लिए तैयार होता है जो कि जीवन में अच्छे चरित्र, प्रसन्नता और आनन्द का मूल है ।

बच्चों को मानवीय मूल्यों की सही समझ, कहानियों, जीवन की वास्तविक घटनाओं एवं अनुभवों इत्यादि द्वारा दी जा सकती है ताकि जिम्मेदार और वयस्क होने अवस्था में वह स्वयं में विद्यमान दैवत्व को जान कर वह समाज और देश का उपयोगी सदस्य और नागरिक बनता है ।

राज्य, युवाओं के लिए भारतीय संस्कृति और आध्यात्म पर परिशिष्ट–V में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम संगठित कर सकेगा जिससे वे भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन कर अपने हृदय में उन मूल्यों को आत्मसात सके जो देश के उपयोगी नागरिक बनने के लिए सिखाये गये हैं ।

सेवा–

इस गतिविधि का आंतरिक महत्व यह है कि सारा ब्रह्माण्ड ही ईश्वर का स्वरूप है जो विभिन्न नामों व स्वरूपों द्वारा व्यक्त हो रहा है और सेवा प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। अतः अपने साथी मानवों की प्रेमपूर्वक की गई सेवा ईश्वर की ही सेवा है । सेवा, मानव जीवन के उद्देश्य को परिपूर्ण करती है और उसे चिर आनन्द एवं प्रसन्नता से भर देती हैं।

सेवा, साधना का आवश्यक उपकरण है और मानवता की एकता को विनिश्चित करती है जब उसे इस भावना से किया जाए कि जो सेवा कर रहा है वह एवं जो सेवा ग्रहण कर रहा है दोनों ही वह स्वयं है क्योंकि ज्ञान और स्वयं का रूपान्तरण, साधक की आध्यात्मिक यात्रा को, प्रभावित करता है ।

उद्देश्य यह है कि सेवा के द्वारा मनुष्य माया एवं अहंकार से मुक्त हो जाये ताकि अपने अन्दर विद्यमान दैवत्व को जान सके ।

अध्याय–4

श्री सत्य साईं संगठन (भारत)की संरचना, पदाधिकारी एवं उनके कर्त्तव्य

भारत में संगठन के लिए भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा नामांकित एक अखिल भारतीय अध्यक्ष (ऑल इंडिया प्रेसीडेंट) होगा जो कि भारत में संगठन कि सम्पूर्ण गतिविधियों का प्रभारी (इंचार्ज) होगा । उसका कार्यकाल भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा निर्धारित किया जाएगा । तीनों विभागों के ऑल इंडिया समन्वयकों एवं स्टेट प्रेसीडेंटस द्वारा उनकी सहायता की जावेगी एवं ये सभी ऑल इंडिया प्रेसीडेंट द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

अन्य सभी पदाधिकारी एक बार में अधिकतम पांच वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और संगठन के एक यूनिट से ज्यादा में या अन्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठन के पदाधिकारी नहीं होंगे, तथापि वे पुनः नामांकित किये जाने योग्य होंगे ।

संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए आंबटित कर्त्तव्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

4.1अखिल भारतीय अध्यक्ष (ऑल इंडिया प्रेसीडेंट)

ऑल इंडिया प्रेसीडेंट सामान्यतः अखिल भारतीय समन्वयकों, स्टेट प्रेसीडेंट द्वारा चलाये जा रहे कार्यो का निरीक्षण, निर्देशन एवं संचालन करेंगे ।

4.1.1 यह सुनिश्चित करना कि संगठन के नियमों पर सभी राज्य दृढ़ रहें ।

4.1.2 ऑल इंडिया समन्वयकों, स्टेट प्रेसीडेंट एवं अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें वह उपयुक्त समझें, समय समय पर श्री सत्य साई संगठन की गतिविधियों को कार्यान्वित करने एवं चर्चा हेतु बैठक सम्पादित करना ।

4.1.3 ऑल इंडिया समन्वयकों एवं स्टेट प्रेसीडेंट को नीतिगत निर्णय एवं समय समय पर भगवान से प्राप्त निर्देशों एवं सूचना का प्रसारण ।

4.1.4 भारत के विभिन्न राज्यों में श्री सत्य साई संगठन द्वारा ली गई गतिविधियों के पर्यवेक्षण समीक्षा एवं निर्देशन के लिए जैसा वह उचित समझे विभिन्न राज्यों का भ्रमण करना ।

4.1.5 ऐसी अवधि के लिए आवश्यक होने पर अतिरिक्त संख्या में ऑल इंडिया समन्वयकों की नियुक्ति करना ।

4.2 **अखिल भारतीय समन्वयक** (ऑल इंडिया कोआर्डीनेटर)

4.2.1 ऑल इंडिया प्रेसीडेंट के कर्त्तव्य निष्पादन में सहायता करेंगे।

4.2.2 देश भर में अपने विभाग के कार्यो की समीक्षा करेंगे एवं अपने संबंधित विभाग के कार्यो में सुधार के लिये सुझाव सहित त्रैमासिक रिपोर्ट ऑल इंडिया प्रेसीडेंट को भेजेंगे ।

4.2.3 जिन विभागों से वे संबंधित हैं मुख्यतः भजन सत्र ,स्टडी सर्किल बालविकास,सेवादल, प्रशांति निलयम और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल सेवा, ग्राम गोद लेना इत्यादि गतिविधियों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए नियमावली बनाना एवं प्रकाशित करना ताकि जहां तक सम्भव हो अखिल भारतीय स्तर पर, मानक स्तर एवं कार्य में एक रूपता रहे । ऐसी नियमावली का केन्द्रीय कार्यालय द्वारा प्रसारण के पूर्व ऑल इंडिया प्रेसीडेंट से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

4.2.4 समाज की तात्कालिक आवश्यकता और राज्य की बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थिति एवं उस वातावरण में कार्य की जटिलता को देखते हुए ऑल इंडिया प्रेसीडेंट के निर्देश पर गतिविधि की नियमावली का समय समय पर संशोधन करना ।

4.2.5 स्टेट प्रेसीडेंट के सामंजस्य से संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित मापदण्ड बनाये रखने के लिए ऑल इंडिया प्रेसीडेंट को उपाय सुझाना ।

4.2.6 ऑल इंडिया समन्वयक अपने कार्यो के लिए ऑल इंडिया प्रेसीडेंट के प्रति उत्तरदायी होगा और विभिन्न कार्यक्रमों एवं ऑल इंडिया प्रेसीडेंट के कार्यालय से प्राप्त सभी सूचनाओं एवं नीतिगत निर्णय का प्रसारण करेगा ।

4.3 **प्रान्ताध्यक्ष**(स्टेट प्रेसीडेंट)

प्रान्ताध्यक्ष राज्य स्तर पर संगठन का प्रमुख होगा । उसके कर्त्तव्य होंगेः–

4.3.1 राज्य स्तरीय महिला और पुरूष समन्वयकों एवं जिला अध्यक्ष(डिस्ट्रिक्ट

प्रेसीडेंट) की सहायता से जिला ,समिति, भजन मण्डली और स्टडी ग्रुप (अध्ययन मण्डल) के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं कार्यो में सामंजस्य बनाये रखना ।

4.3.2 वर्तमान समिति की गतिवधियों को तीव्र करने एवं विस्तार के लिए निर्देशन एवं पर्यवेक्षण करना ।

4.3.3 नई समिति, भजन मण्डली और स्टडी ग्रुप बनाने के लिए निर्देशन देना एवं पर्यवेक्षण करना ।

4.3.4 वर्ष में कम से कम एक बार अपने राज्य का भ्रमण करना ।

4.3.5 जब कभी राज्य में कोई विशेष कार्यक्रम/अवसर हो या उसकी योजना बनायी जाए, तो ऐसे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी एवं प्रतिवेदन ऑल इंडिया प्रेसीडेंट को भेजना ।

4.3.6 विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए जिला अध्यक्षों को निर्देश देना ।

4.3.7 जिला अध्यक्ष के माध्यम से राज्य की सेवा समितियों में विक्रय हेतु साईं साहित्य एवं प्रकाशन के विक्रय हेतु आपूर्ति करना ।

4.3.8 भजन गायन, शैक्षणिक एवं सेवा गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए अनुभवी व्यक्तियों की व्यवस्था करना । राज्य की प्रत्येक एवं सभी समितियों में ऐसे व्यक्ति की सेवा उपलब्ध कराना ।

4.3.9 जिला अध्यक्ष की अनुशंसा से विभिन्न श्री सत्य साई समितियों को सम्बद्धता स्वीकृत करना एवं सम्बद्धता का क्रमांक देना ।

4.3.10 विभिन्न जिलों की गतिविधियों में सामंजस्य के लिए छःमाह में एक बार अन्तर्जिला सम्मेलनों का आयोजन करना ।

4.3.11 राज्य की गतिविधियों के संबंध में आल इंडिया प्रेसीडेंट को अर्धवार्षिक(30 जून एवं 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले) प्रतिवेदन देना(परिशिष्ट VI-section -I के अनुसार)

4.3.12 सौहार्दृता के आधार पर संगठन की सभी समस्याओं का निराकरण करना ।

4.3.13 सदस्यों एवं पदाधिकारियों में प्रसारण के लिए राज्य में चल रही गति विधियों का क्षेत्रीय भाषा में प्रति तिमाही/छःमाही न्यूज लेटर का प्रकाशन

करना।

4.3.14 राज्य के श्री सत्य साई स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के संधारण, निर्देशन और गतिविधियों में सामंजस्य रखना ताकि वे (संचालक शिक्षा विभाग, राज्य सरकार और न्यायिक उद्घोषणा के निर्देशों का पालन) ऑल इंडिया प्रेसीडेंट द्वारा स्थापित व्यवस्थापकीय और वित्तीय मापदण्ड बनाये रखें । नये श्री सत्य साई स्कूल एवं अन्य शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के लिये यही मापदण्ड लागू होंगे । ऑल इंडिया प्रेसीडेंट द्वारा समय समय पर श्री सत्य साई स्कूल एवं अन्य शैक्षणिक संस्था के संबंध में जारी निर्देशों का पालन कराना ।

4.3.15 राज्य के श्री सत्य साई बुक्स एण्ड पब्लिकेशन्स ट्रस्ट के माध्यम से ऑल इंडिया प्रेसीडेंट के निर्देशन में उनके द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार श्री सत्य साई साहित्य के चयन, प्रकाशन, विक्रय एवं वितरण की व्यवस्था में सामंजस्य करना ।

4.3.16 ऑल इंडिया प्रेसीडेंट के निर्देशन पर गतिविधियों के लिए राज्य में राज्य स्तर और जिला स्तर के पदाधिकारियों का नामांकन एवं आवश्यकतानुसार संख्या में इंचार्ज की नियुक्ति करना ।

4.3.17 यह सुनिश्चित करना कि स्टेट प्रेसीडेंट के अनुमोदन और स्टेट ट्रस्ट को सम्मिलित किये बिना धन आधारित कोई भी योजना समिति या जिला द्वारा न ली जाये ।

4.3.18 राज्य में भगवान बाबा के संदेश को फैलाने के लिए नये नेतृत्व, कार्य प्रणाली और तरीके का विकास करना । यह जिला अध्यक्ष के माध्यम से किया जायेगा जों कि समिति संयोजकों की सहायता से ऐसी गतिविधियॉ संगठित कर सकेगा ।

4.3.19 नेशनल केपिटल रीजन ऑफ देहली, एक राज्य का गठन करेगी । वहां देहली NCRका एक स्टेट प्रेसीडेंट होगा ।

4.4 राज्य महिला समन्वयक (स्टेट महिला कोआर्डीनेटर)

राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत महिलाओं की गतिविधियों के लिए स्टेट प्रेसीडेंट की सहायता हेतु शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सेवा विभाग में तीन राज्य महिला समन्वयक की नियुक्ति स्टेट प्रेसीडेंट द्वारा की जायेगी । वे प्रक्रिया सूत्रबद्ध करने, निर्देशन और जिला संगठन एवं महिलाओं से संबंधित विभागों के प्रतिवेदन तैयार करने में स्टेट प्रेसीडेंट की सहायता करेंगी । स्टेट प्रेसीडेंट

सुविधानुसार अन्य राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वयको की नियुक्ति कर सकेंगे ।

स्टेट प्रेसीडेंट राज्य स्तरीय महिला युवा समन्वयक की नियुक्ति करेंगे जो राज्य स्तरीय महिला सेवा विभाग संयोजक के साथ संगठन की सेवा संबंधी गतिविधियों में कार्य करेंगी । राज्य स्तरीय महिला युवा समन्वयक, संगठन में युवा महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए एवं संगठन में सेवा के लिए, राज्य महिला सेवा विभाग के निर्देशानुसार कार्यक्रम तैयार करेगी ।

राज्य महिला समन्वयक , स्टेट प्रेसीडेंट के अनुमोदन से प्रशिक्षण कार्यक्रम, नीति निर्देश और प्रक्रिया से जिले में या सेवा समितियों के समूह में क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण सत्र रखेंगी । राज्य महिला समन्वयक स्टेट प्रेसीडेंट के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों का भ्रमण करेगी एवं गतिविधियों का प्रतिवेदन स्टेट प्रेसीडेंट को करेंगी ।

4.5 राज्य पुरूष समन्वयक (स्टेट जेन्ट्स कोओर्डीनेटर ,सेवा)

पुरूषों की गतिविधियों के लिए एक राज्य स्तरीय पुरूष समन्वयक (सेवा) स्टेट प्रेसीडेंट द्वारा नियुक्त होगा जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राज्य होगा । प्रत्येक स्टेट प्रेसीडेंट की सहायता एक राज्य स्तर के पुरूष समन्वयक द्वारा की जायेगी । स्टेट प्रेसीडेंट की आवश्यकतानुसार पुरूष सेवा विभाग की गतिविधियों के प्रतिवेदन को तैयार करने, कार्यप्रणाली बनाने, मार्गदर्शन में स्टेट प्रेसीडेंट की सहायता करेगा । सेवा विभाग के कार्यो को पुरूषों से संबंधित सामयिक प्रतिवेदन स्टेट प्रेसीडेंट को अग्रेषित करेगा ।

स्टेट प्रेसीडेंट, राज्य स्तरीय पुरूष समन्वयक के साथ कार्य करने हेतु जैसी आवश्यकता हो, संयुक्त पुरूष सेवा समन्वयक की नियुक्ति कर सकेगा किन्तु यह संख्या 3 से अधिक नहीं होगी । एक वर्णित क्षेत्र के कार्य के लिए संयुक्त सेवा विभाग समन्वयक की नियुक्ति स्टेट प्रेसीडेंट कर सकेगा । एक ऐसा संयुक्त सेवा विभाग समन्वयक अन्य सौंपे गये दूसरे कार्यो के साथ प्रशांति सेवा को भी देखेगा । राज्य पुरूष सेवा विभाग समन्वयक आपदा प्रबंधन और राज्य में उसके कार्यो की भी देखरेख करेगा ।

राज्य पुरूष सेवा समन्वयक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा जो पुरूष सेवा दल को प्रशिक्षित करेगा और स्टेट प्रेसीडेंट के अनुमोदन से राज्य में सभी स्तर के सेवा कार्यो के लिए जिले में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन जिला या सेवा समिति के समूह के लिए करेगा ।

स्टेट प्रेसीडेंट के निर्देशन पर राज्य स्तरीय पुरूष समन्वयक (सेवा) और

संयुक्त सेवा विभाग समन्वयक वर्ष में एक बार राज्य के सभी जिलों में भ्रमण करेंगे और गतिविधियों की जानकारी स्टेट प्रेसीडेंट को देंगे ।

4.6 प्रान्तीय पुरूष युवा और संचार समन्वयक

प्रत्येक स्टेट प्रेसीडेंट की सहायता के लिए एक राज्य स्तरीय पुरूष युवा संचार समन्वयक होगा । यह प्रान्ताध्यक्ष के मार्ग निर्देशन और दिशा निर्देशन में संचालित सम्पूर्ण संचार गतिविधियों के प्रसार में प्रान्ताध्यक्ष की सहायता करेगा । यह राज्य पुरूष युवा संचार समन्वयक राज्य में युवा गतिविधियों के लिए कार्यक्रम सूत्रबद्ध करने एवं मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा । राज्य युवा समन्वयक ऐसा प्रतिवेदन तैयार करेगा जैसा कि स्टेट प्रेसीडेंट समय समय पर निर्देशन करें । तथापि युवा विभाग समिति के एक भाग के रूप में कार्य करेगा न कि संगठन के एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में ।

राज्य पुरूष युवा और संचार समन्वयक, युवा गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम सूत्रबद्ध करने, और स्टेट प्रेसीडेंट के अनुमोदन से इसे लागू करने और जिले में या सेवा समिति के समूह में युवा लोगों के लिए संगठन की गतिविधियों हेतु प्रशिक्षित करने, मेनुअल और कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी होगा , ।

राज्य युवा समन्वयक प्री सेवादल (आयु वर्ग 15 से 17)(जो बालविकास ग्रुप III उत्तीर्ण हुए है,) से संबंधित सभी कार्यक्रमों को निश्चित कर उनकी निगरानी रखेंगे । स्टेट प्रेसीडेंट के निर्देशन पर राज्य पुरूष युवा और संचार समन्वयक निश्चित रूप से सभी जिलों का वर्ष में कम से कम एक बार भ्रमण करेंगे और स्टेट प्रेसीडेंट को गतिविधियों की जानकारी देंगे ।

4.7 राज्य में एजुकेयर गतिविधियों के लिए, राज्य स्तरीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पुरूष एजुकेयर समन्वयक, स्टेट प्रेसीडेंट को सहयोग देगा इसके अतिरिक्त स्टेट प्रेसीडेंट को पुरूष आध्यात्मिक विभाग, राज्य के सत्य साई स्कूल, बाल विकास में स्टेट प्रेसीडेंट के निर्देशन में पेरेन्टिंग और एजुकेयर से संबंधित सभी योजनाओं के प्रसार में एवं प्रतिवेदन तैयार करने में सहायता करेगा । ऐसा राज्य पुरूष एजुकेयर समन्वयक, स्टेट प्रेसीडेंट को योजनाओं की नीति और राज्य में एजुकेयर गतिविधियों के लिए मार्गदर्शी निर्देशों में सहायता करेगा । स्टेट प्रेसीडेंट द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार राज्य पुरूष एजुकेयर समन्वयक ऐसा प्रतिवेदन तैयार करेगा ।

4.8 सूचना एवं संचार

सभी राज्य स्तरीय समन्वयक और इंचार्ज नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये कार्य की सूचना स्टेट प्रेसीडेंट को देने के लिए उत्तरदायी होंगे । राज्य स्तरीय समन्वयको की उनके कार्य क्षेत्र की गतिविधियों की सूचनाएं केवल स्टेट प्रेसीडेंट के माध्यम से जिला अध्यक्ष और उनसे समिति संयोजकों को पंहुचायी जायेगी ।

4.9 जिला एवं जिला अध्यक्ष (डिस्ट्रिक्ट एवं डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट)

4.9.1 प्रत्येक राजस्व जिले के लिए स्टेट प्रेसीडेंट द्वारा नियुक्त एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट होगा । राजस्व जिले के अन्तर्गत आने वाले ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र एवं भौगोलिक , सांख्यिकीय स्थिति के आधार पर स्टेट प्रेसीडेंट जिले को मान्य करेंगे, तथापि भौगोलिक क्षेत्र जिले के रूप में तभी मान्य होगा, जिसमें संगठन की सभी गतिविधियों में पूर्ण रूप से क्रियाशील होने वाली कम से कम पांच समितियॉ हो । स्टेट प्रेसीडेंट जिले की सीमा की व्याख्या कर उसका निर्धारण करेंगे । अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वर्तमान राजस्व जिले का विभाजन, ऑल इंडिया प्रेसीडेंट के अनुमोदन से अलग जिला के रूप में जाना जायेगा । राजधानी एवं बड़े शहर जिसकी जनसंख्या पचास लाख से उपर हो वे छोटे जिले के रूप में स्वयं को अधिमान्य कर सकेंगे बशर्ते ऐसे बनाये जिले में कम से कम 5 समितियॉ अवश्य हो ।

इन नियमों के प्रभावशील होने की तिथि तक यदि ऐसे किसी मान्य जिला जिसमें 5 से कम समितियॉ हो, तो इन नियमों के पालन में, ऐसे मान्य जिले / मिलाये गये जिले की कुल समितियों की संख्या को जोड़ लिया जायेगा । नियमों के प्रभावशील होने के तीन माह के भीतर आवश्यक रूप से जिलों की मान्यता पूर्ण कर ली जावे ।

4.9.2 जिले की समितियों एवं भजन मंडलियों की सभी गतिविधियों के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट उत्तरदायी होगा और वह स्टेट प्रेसीडेंट, समिति और भजन मण्डली के बीच कड़ी के रूप में कार्य करेगा ।

4.9.3 जिले में कार्य एवं गतिविधियों के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट प्रत्यक्षतः स्टेट प्रेसीडेंट के प्रति उत्तरदायी होगा । सेवासमिति के संयोजक द्वारा संगठन से संबंधित पत्र व्यवहार डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट को संबोधित किये जावेंगे एवं प्रतिलिपि स्टेट प्रेसीडेंट को दी जावेगी ।

4.9.4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट कोः–

(i) साल में कम से कम चार बार अपने क्षेत्र का भ्रमण करना होगा ।

(ii) जिले के भक्तों को समिति और भजन मण्डली गठित करने के लिए सहायता करेगा ।

(iii) समिति एवं भजन मण्डलियों के संयोजकों के साथ जब भी आवश्यक हो और 3 माह में कम से कम एक बार गतिविधियों के सहयोजन के लिए बैठक करेगा । डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट जिले की तिमाही बैठक में समिति संयोजकों से मासिक रिपोर्ट प्राप्त करेगा ।

(iv) स्टेट प्रेसीडेंट की सलाह से सेवा दल के सेवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा ।

(v) जिले की विभिन्न समितियों, भजन मण्डलियों के पदाधिकारियों को भाषण , प्रदर्शनी, फिल्मशो, लेख प्रतियोगिता, वीडियोशो, ग्रामीण एवं गंदी बस्ती कार्यक्रम, मेडिकल केम्प, पब्लिक भजन के लिए मद्द करेगा एवं संगठन की गतिविधियों के विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठायेगा ।

(vi) जिले की गतिविधियों की 31 मार्च समाप्ति की पाक्षिक रिपोर्ट, 30 जून,30 सितम्बर और 31 दिसम्बर की रिपोर्ट, साथ ही शिक्षा विभाग, सेवा एवं आध्यात्मिक विभाग द्वारा यदि कोई विशेष कार्यक्रम किया गया हो तो ऐसी रिपोर्ट स्टेट प्रेसीडेंट को देगा । रिपोर्ट संगठन के ऑल इंडिया प्रेसीडेंट द्वारा निर्देशित रीति, तरीके एवं इन नियमों में संलग्न परिशिष्ट vi सेक्शन ii के अन्तर्गत देगा ।

(vii) अपने प्रभार की समितियों के तीनों विभागों की गतिविधियों के विस्तार की योजना तैयार कर स्टेट प्रेसीडेंट द्वारा नियत समयावधि में, इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ,अपनी ऐसी टिप्पणी के साथ भेजेगा।

(viii) भजन मण्डलियों की कार्यवृत्ति को देखेगा, प्रोत्साहित करेगा ताकि वे पूर्ण समिति के स्तर तक विकसित हो सके ।

(ix) जिले के स्थानीय क्षेत्रों में नयी समिति और भजन मण्डली प्रारंभ करने के लिए व्यवस्था करेगा ।

(x) प्रत्येक समिति और भजन मण्डली में साई साहित्य के विक्रय को प्रोत्साहित करेगा ।

(xi) जिला स्तर पर सेवा विभाग के सेवादल, भजन गायन, बाल विकास गुरू के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्यवस्था करेगा।

(xii) युवा जिला समन्वयकों को जिले में युवा गतिविधयों के लिए मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देगा ।

(xiii) समिति एवं जिला स्तरीय गतिविधियों में जिला समन्वयकों एवं समिति संयोजकों को, युवा एवं प्री सेवा दल को संगठन समिति एवं जिला स्तरीय गतिविधयों से जुडें रहने का परामर्श एवं मार्गदर्शन देगा ।

4.10 जिला समन्वयक (डिस्ट्रिक्ट कोओर्डीनेटर):–

स्टेट प्रेसीडेंट के अनुमोदन से डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट आध्यात्मिक, शिक्षा, सेवा विभाग, जिला सेवा विभाग (पुरूष) समन्वयक और युवा समन्वयक (पुरूष एवं महिला) का नामांमित करेगा । ये व्यक्ति अपने विभाग से संबंधित संगठन की विभिन्न गतिविधियों के जिले में प्रवर्तन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट की सहायता करेंगे । जिला समन्वयक समय समय पर वांछित सहयोग और रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट को देगा । जिला स्तर पर पुरूष एवं महिला युवा समन्वयक दोनों अपने जिले के पुरूष सेवा समन्वयक एवं महिला समन्वयक की देखरेख में कार्य करेंगे ।

4.11 युवा विभाग

युवा जिनकी उम्र–18 से 35 वर्ष के बीच हो, युवा विभाग के सदस्य हो सकते हैं । हर जिलें में कम से कम एक, युवा गतिविधियों का प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसे राज्य, संगठन द्वारा योजना बनाकर युवाओं के माध्यम से एक विशिष्ट अवधि के लिए चलाया जाना हो । एक या दो अनुभवी सेवा दल उनकी सहायता एवं मार्गदर्शन कर सकेंगे । तथापि यह आवश्यक है कि साई युवा विभाग का प्रत्येक सदस्य एक समिति / भजन मण्डली से संलग्न हो और आध्यात्मिक या शिक्षा विभाग की गतिविधियों में भाग लेता हो एवं संगठन के एक सदस्य होने के नाते श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताये गहन आध्यात्मिक ज्ञान के मूल तत्व का जिज्ञासु हो ।

जिला युवा समन्वयक जैसी आवश्यकता हो, ऐसी रिपोर्ट तैयार कर उसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट को देगा एवं स्टेट प्रेसीडेंट को प्रतिलिपि देगा ।

डिस्ट्रिक्ट यूथ कोओर्डीनेटर के निम्नानुसार कर्त्तव्य होंगे:–

1. संगठन के सेवा प्रोजेक्ट की योजना के क्रियान्वन में युवा वर्ग को सहयोग देना ।

2. यह भी सुनिश्चित करना कि वे आध्यात्मिक गतिविधियों और विशेषत: स्टडी सर्किल में आध्यात्मिक एवं सेवा विषयों पर समूह चर्चा में भाग ले ।

3. युवा लोगों के मूल्यांकन हेतु तिमाही बैठक का आयोजन करना या भगवान बाबा के संदेशों को ग्रहण करना और स्टेट प्रेसीडेंट के निर्देशानुसार कार्यक्रमों की योजना का स्वरूप बनाना ।

4. युवा लोगों का एक रजिस्टर संधारण करना एवं उन्हें संगठन के पूर्ण सेवा दल की योग्यता के लिए तैयार करना ।

5. ग्रुप III की योग्यता प्राप्त बाल विकास विद्यार्थियों को परामर्श देना एवं आयु वर्ग 15 से 17 (प्री सेवा दल वर्ष) के प्रोजेक्ट को जिन्होंने पूर्ण कर लिया है, उनका प्रशिक्षण एवं पोषण समिति की गतिविधियों से करना । ऐसे प्री सेवा दल को विशिष्ट स्कार्फ दिया जाये जिसमें सर्वधर्म के प्रतीक चिन्ह हों। और वे श्री सत्य साई सेवा समिति के युवाओं के साथ कार्य करेंगे ।

4.12 समिति संयोजक

संयोजक, समिति का एवं उसकी सभी यूनिटों का पूर्ण रूप से प्रभारी होगा । उसके कर्त्तव्य हैं:—

1. प्रत्येक भजन सेंटर में सदस्यों का रजिस्टर संधारित किया जाना, सुनिश्चित करना ।
2. संगठन की गतिविधियों में भाग लेने एवं सहयोगी बनने के इच्छुक नये भक्तों की सदस्यता के लिए नाम दर्ज कराने की व्यवस्था करना ।
3. वर्तमान समिति के विस्तार और समिति के क्षेत्रान्र्गत नये भजन या स्टडी ग्रुप का गठन करना ।
4. परिशिष्ट VI section III में दिये प्रारूप में संबंधित डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट को मासिक रिपोर्ट देना ।
5. सदस्यों को मार्गदर्शन देना, स्टेट प्रेसीडेंट द्वारा प्रतिपादित नीति एवं निर्देशों का पालन कराना ।
6. यह सुनिश्चित करना कि नियम 5.3 में प्रतिपादित की गई योग्यता को सदस्य निरंतर धारण कर रहे हैं ।
7. समिति के प्रत्येक सदस्यों में समिति के कार्या का प्रभावी रूप से समान वितरण सुनिश्चित करना ।
8. महिला इंचार्ज के माध्यम से महिलाओं को सभी गतिविधियों में भाग लेने की व्यवस्था करना ।

4.13 समिति स्तर के इंचार्ज :–

समिति में 8 सदस्य होंगे जो संगठन के विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समिति स्तर पर समन्वय एवं क्रियान्वयन करेंगे और समिति समन्वयक को संगठन के कार्यक्रमों की योजना बनाने निष्पादन एवं क्रियान्वयन करने में सहयोग करेंगे । श्री सत्य साई समिति में, पुरूष एवं महिला आध्यात्मिक विभाग इंचार्ज, पुरूष एवं महिला सेवा विभाग, पुरूष एवं महिला युवा इंचार्ज, महिला शिक्षा / बाल विकास इंचार्ज, पुरूष स्टडी सर्किल इंचार्ज होंगे । सभी 8 सदस्य अपने कार्य के लिए समिति संयोजक के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

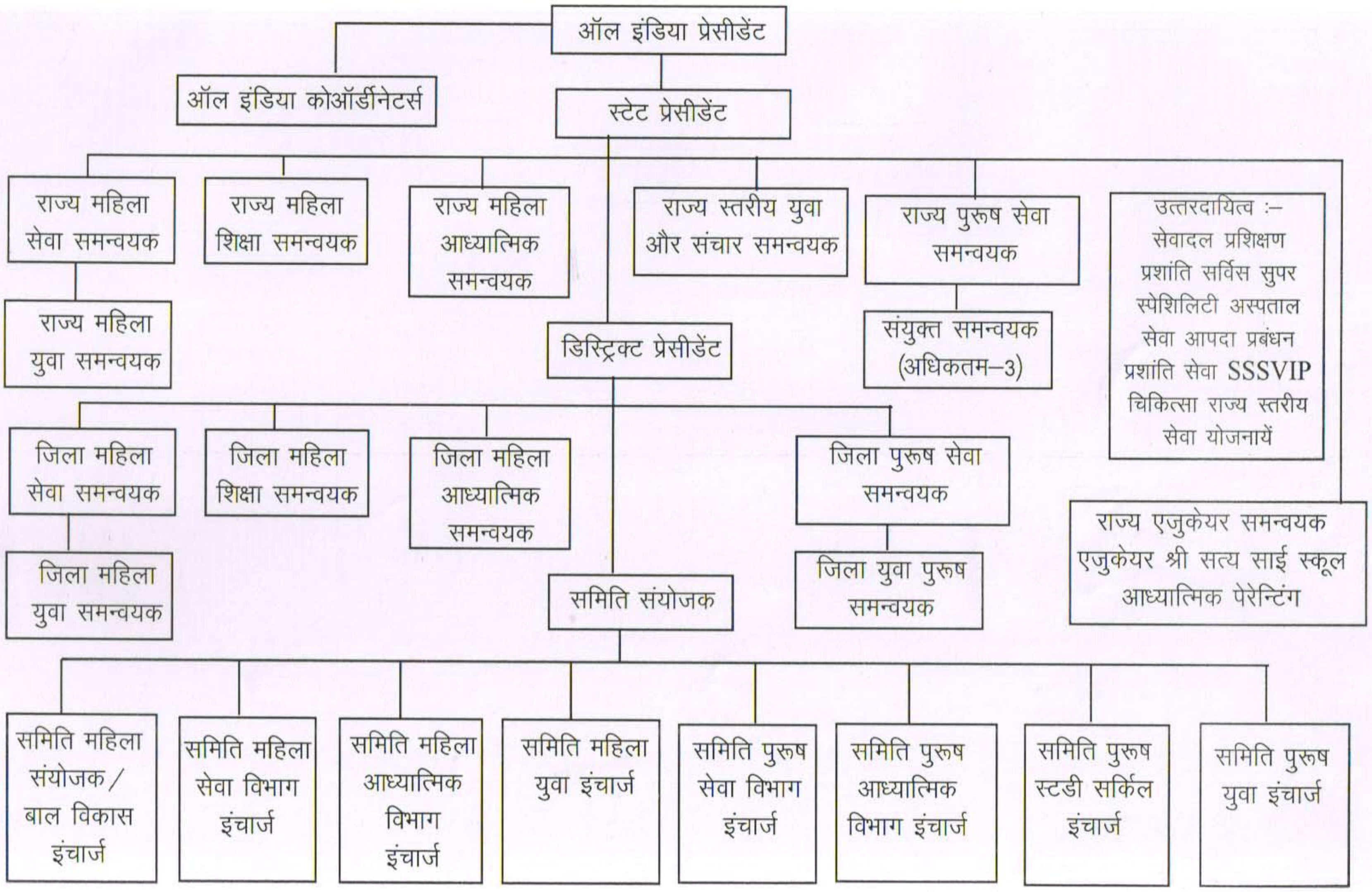
ऑल इंडिया प्रेसीडेंट
ऑल इंडिया कोऑर्डीनेटर्स
स्टेट प्रेसीडेंट
राज्य महिला सेवा समन्वयक
राज्य महिला शिक्षा समन्वयक
राज्य महिला आध्यात्मिक समन्वयक
राज्य स्तरीय युवा और संचार समन्वयक
राज्य पुरूष सेवा समन्वयक
उत्तरदायित्व :– सेवादल प्रशिक्षण प्रशांति सर्विस सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल सेवा आपदा प्रबंधन प्रशांति सेवा SSSVIP चिकित्सा राज्य स्तरीय सेवा योजनायें
राज्य महिला युवा समन्वयक
डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट
संयुक्त समन्वयक (अधिकतम–3)
जिला महिला सेवा समन्वयक
जिला महिला शिक्षा समन्वयक
जिला महिला आध्यात्मिक समन्वयक
जिला पुरूष सेवा समन्वयक
राज्य एजुकेयर समन्वयक एजुकेयर श्री सत्य साई स्कूल आध्यात्मिक पेरेन्टिंग
जिला महिला युवा समन्वयक
समिति संयोजक
जिला युवा पुरूष समन्वयक
समिति महिला संयोजक/ बाल विकास इंचार्ज
समिति महिला सेवा विभाग इंचार्ज
समिति महिला आध्यात्मिक विभाग इंचार्ज
समिति महिला युवा इंचार्ज
समिति पुरूष सेवा विभाग इंचार्ज
समिति पुरूष आध्यात्मिक विभाग इंचार्ज
समिति पुरूष स्टडी सर्किल इंचार्ज
समिति पुरूष युवा इंचार्ज

अध्याय–5

श्री सत्य साई समिति और उसके कार्य

सत्य साई संगठन, भारत की आधार इकाई श्री सत्य साई समिति है । समूचे भारत में एक रूप, स्वरूप में, प्रत्येक शहर, नगर ग्राम या स्थानीय क्षेत्र में श्री सत्य साई समिति होगी और उस क्षेत्र में सभी निर्धारित गतिविधियॉ उक्त समिति द्वारा चलाई जायेगी ।

5.1.गठन

भगवान श्री सत्य साई बाबा के भक्तों का कोई भी दल, जिनकी संख्या 20 से कम न हो और संगठन के तीनों प्रभागों जैसे आध्यात्मिक, शैक्षणिक एवं सेवा के कार्यो में सक्रिय हो, समिति के रूप में संस्थापित कर सकेंगे एवं डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट के माध्यम से स्टेट प्रेसीडेंट को मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

भक्तों का कोई भी दल जो तीन विभागों में से एक या दो विभागों की गतिविधियों में सक्रिय है चाहे भक्तों की संख्या कुछ भी हो एवं वे दल जिनमें 20 से कम भक्त हों और जो तीनों विभागों की गतिविधियों में सक्रिय है उन्हें भजन मण्डली के रूप में मान्यता दी जायेगी और वे डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट के माध्यम से स्टेट प्रेसीडेंट को मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

5.2 समिति और भजन मण्डली का नाम :–

समूचे भारत में, जिले के किसी भी स्थान में, जैसी भी स्थिति हो, संगठन का स्वरूप एक जैसा, श्री सत्य साई समिति या श्री सत्य साई भजन मण्डली होगा । प्रत्येक स्थान की सभी इकाईयॉ उस स्थान की समिति से सम्बद्ध होगी (या, यदि उस स्थान में कोई समिति न हो तो नजदीक की समिति में) तथा समिति संयोजक के द्वारा समय समय पर तीनों विभागों की गतिविधियों से संबंधित, जारी निर्देशों के पालन के लिए आबद्ध होगी ।

5.3 समिति सदस्यों की योग्यता :–

(i) व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूचि वाला हो और भगवान श्री सत्य साई बाबा की शिक्षाओ में आस्था रखता हो और समाज में उच्च चरित्र और प्रतिष्ठा रखता हो ।

(ii) सभी सदस्य (पुरूष या महिला) एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे कि वे आचार संहिता के 9 बिन्दुओं एवं परिशिष्ट 7 में संलग्न प्रारूप में दर्शित संगठन के प्रचलित नियमों का पालन करेंगे । डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट के अनुमोदन

से ऐसे सदस्य को प्राथमिक सदस्यता कार्ड जारी किया जा सकता है ।

(iii) समिति का कोई सदस्य–अपनी सदस्यता के लिए अर्हता खो देगा हेगा यदिः–

(1) वह त्याग पत्र देता है,

(2) दिवालिया घोषित होता है,

(3) यदि नैतिक पतन के अपराध में उसे न्यायालय से दोषसिद्ध हुई हो ,

(4) यदि उसे सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता से विहीन पाया जाये या समिति के हितों के विपरीत कार्य करते हुए पाया जाये । ऐसा सदस्य स्टेट प्रेसीडेंट के द्वारा लिखित में निर्योग्य घोषित किया जायेगा ।

(5) स्थानान्तरण या निवास के बदलाव के कारण समिति का कोई सदस्य अपनी इकाई के कार्यक्षेत्र से बाहर रहने लगे ।

(iv) समिति की गतिविधियों में भाग लेने वाला सदस्य साई सेवक समझा जायेगा ।

5.4 सदस्यों का रजिस्टर :–

प्रत्येक समिति, सदस्यों का एक रजिस्टर बनायेगी जिसमें क्रमानुसार सदस्य का पूरा नाम, पता एवं टेलीफोन नम्बर, उसको आबंटित कर्त्तव्य का उल्लेख होगा ।

ऐसा कोई व्यक्ति जो साई समिति का सदस्य बनना चाहता हो, समिति संयोजक से सम्पर्क करेगा और अपना विवरण देगा । समिति संयोजक स्वयं संतुष्ट होने पर ऐसे व्यक्ति को संगठन की गतिविधियों में प्रवेश देगा । यदि ऐसा व्यक्ति संगठन की गतिविधियों में लगातार तीन माह की अवधि तक भाग लेता है तो समिति संयोजक परिशिष्ट 7 में दिये गये प्रारूप में ऐसे व्यक्ति से घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करा सकेगा । तत्पश्चात साई समिति के सदस्यों के रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ट करेगा ।

5.5 समिति का गठन :–

प्रत्येक समिति में डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट द्वारा चुना गया एक संयोजक होगा जो समिति की सभी गतिविधियों का प्रभारी होगा । उसके दल में पुरूष एवं महिला का आध्यात्मिक विभाग प्रभारी , पुरूष एवं महिला सेवा विभाग, पुरूष एवं महिला युवा प्रभारी, महिला शिक्षा विभाग / बाल विकास प्रभारी, पुरूष स्टडी सर्किल प्रभारी, समिति के सहयोगी सेवकों में से संयोजक द्वारा चुने जायेंगे ।

महिला बाल विकास प्रभारी समिति स्तर पर महिलाओं की गतिविधियों एवं महिला विभाग के तीनों विभागों की देखरेख करेगी । प्रतिवेदन देने एवं अपने कार्य के लिए सभी प्रभारी, समिति संयोजक के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

5.6 सदस्यों की संख्या :–

समिति के रजिस्टर में प्रविष्ट सभी भक्त, समिति के सदस्य माने जायेंगे । समिति के दैनन्दिन कार्य, समिति संयोजक स्वयं द्वारा नामांकित सदस्यों की सहायता से करेगा । संयोजक अति आवश्यक या महत्वपूर्ण बैठक में अतिरिक्त सदस्यों को आमंत्रित कर सकेगा ।

5.7 नियम एवं विधान :–

समिति एवं भजन मण्डली समय समय पर ऑल इंडिया प्रेसीडेंट

द्वारा जारी दिशा निर्देशों, नियमों एवं विधानों का पालन करेगी । समिति सहकारी पंजीकरण अधिनियम या अन्य किसी संविधि के अधीन पंजीकृत नहीं होगी ।

5.8 समिति के कार्यः–

(1) प्रत्येक समिति सभी सदस्यों को उचित सूचना देकर, पूर्व बैठक के निर्णयानुसार प्रत्येक माह में एक बार, एक निश्चित तिथि, निर्धारित समय एवं स्थान पर बैठक करेगी ।

(i) और बैठक में उस माह के अन्तर्गत कार्यो की समीक्षा करेगी।

(ii) कार्य में सुधार कैसे आये इस पर चर्चा करेगी । (सभी चार पदाधिकारियों की उपस्थिति जरूरी है ।) पूर्व निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय, मासिक बैठक में ही बदली जा सकेगी ।

(2) प्रत्येक समिति, प्रति वर्ष 14 जनवरी के पूर्व सामान्य वार्षिक बैठक करेगी जिसमें :–

(i) डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट एवं स्टेट प्रेसीडेंट के पूर्व अनुमोदन एवं परामर्श से पदाधिकारियों में परिवर्तन के विषय में विचार किया जायेगा ।

(ii) पिछले वर्ष के कार्यो की समीक्षा एवं वार्षिक कार्यक्रम पर विचार किया जायेगा।

(a) आध्यात्मिक विभाग :–

1. ऑल इंडिया प्रेसीडेंट द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट द्वारा आबंटित क्षेत्र में भजनों एवं स्टड़ी

सर्किल का आयोजन करना ।

2. उस क्षेत्र में भजन के लीड गायकों एवं स्टडी सर्किल के नेतृत्वकर्ताओं का पेनल बनाना एवं संधारित करना ।

3. विभिन्न लीड गायकों की सूची संधारित करने के लिए समय समय पर स्वर परीक्षण करवाना ।

4. समिति की गतिविधियों के स्थानों एवं महत्वपूर्ण त्यौहारों पर साई साहित्य के विक्रय की व्यवस्था करना ।

5. साई प्रकाशन एवं पत्रिकाओं का संदर्भ पुस्तकालय एवं पठन कक्ष संधारित करना ।

6. भजन के लीड गायकों का अलग से या संयुक्त रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

7. आध्यात्मिक गतिविधियों के विस्तार एवं तीव्र करने के लिए ऐसी अन्य गतिविधियों को लेना ।

(b) शिक्षा विभाग :—

1. समिति के तत्संबंधी कार्यशील क्षेत्र में विभिन्न केन्द्रों में बाल विकास की कक्षाएं संगठित करना ।

2. बाल विकास गुरूओं का स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से प्रशिक्षण आयोजित करना ।

3. शैक्षणिक गतिविधियों को फैलाने और गहन करने के लिए अन्य आवश्यक कार्यवाही करना ।

4. समिति और जिले में योग्यता प्राप्त ग्रुप III के बाल विकास को, युवा प्रभारी से परिचित कराना ताकि उन्हें प्री सेवा दल के रूप में संगठन की गतिविधियों में संलग्न किया जा सके जिससे वे 18 वर्ष की आयु होने पर, सेवा दल के रूप में अनुभवी हो जावें ।

5. एजुकेयर के लिए उपयोगी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना ।

(c) सेवा विभाग :— विशेषतः निम्नांकित की व्यवस्था करनाः—

1. नारायण सेवा—(जरूरत मंद को भोजन कराना) ।

2. ऑल इंडिया प्रेसीडेंट के अनुमोदन एवं निर्देशानुसार अस्पताल भेंट, कुष्ठ गृह, अनाथालय, जेल, विकलांग गृह, वृद्धाश्रम, ग्राम कार्यक्रम,

गंदी बस्ती कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियॉ चलाना ।

3. समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाये रखना । लाउडस्पीकर उपलब्ध कराना , साफ सफाई आदि में सहायता करना ।

4. सर्वांगीण विकास के लिए अविकसित ग्रामों को गोद लेना ।

5. गंदी बस्ती विकास के कार्यक्रम ।

6. चिकित्सा शिविर एवं पशु चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण एवं सर्वेक्षण का आयोजन ।

7. निशुल्क एवं कोचिंग कक्षाएं, प्रोढ़ शिक्षा, बुकबैंक का संधारण, शिक्षा संबंधी एवं रोजगार मूलक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना ।

8. समय समय पर समिति संयोजक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट एवं स्टेट प्रेसीडेंट द्वारा निर्दिष्ट कार्यो को, समिति, जिला एवं राज्य में क्रमशः क्रियाशील करना ।

9. राज्य एवं जिला समन्वयक (सेवा विभाग) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहना ।

10. प्रशांति सेवा के लिए सदस्यों की पहचान एवं प्रशिक्षण या त्यौहारों में विशेष सेवा या प्रशांति निलयम एवं राज्य में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सेवा की सही समझ और उत्तरदायित्व को ऐसी सेवा गतिविधियों में समाहित करना ।

11. समिति के (पुरूष या महिला) सेवा दल का कोई भी ऐसा सदस्य जो अच्छा स्वास्थ रखता हो, ऐसा सदस्य जो संगठन का प्राथमिक कार्ड धारक हो एवं संगठन में एक वर्ष से क्रियाशील सदस्य हो, ऐसी योग्यता धारण करने वाले सदस्य को ही सेवा कार्ड जारी किया जायेगा ।

5.9 महिला विभागः—

1. **गठन**

(i) महिलाओं एवं बच्चों में गतिविधियों को चलाने के लिए प्रत्येक सेवा समिति एक महिला विभाग का गठन करेगी । महिला शिक्षा विभाग की प्रभारी, महिला विभाग की इंचार्ज होगी ।

(ii) महिला विभाग का नाम श्री सत्य साईं महिला विभाग होगा और इसकी सदस्यता सिर्फ महिलाओं को ही प्राप्त होगी ।

(iii) महिला विभाग न तो पंजीकृत भाग होगा न ही स्वतन्त्र इकाई । वह केवल उस संबंधित क्षेत्र की समिति की इकाई होगी ।

2. **गतिविधियॉः—**

महिला विभाग की गतिविधि होगीः—

(i) केवल महिलाओं के लिए नाम स्मरण ।

(ii) ऑल इंडिया प्रेसीडेंट के निर्देशानुसार बाल विकास कार्यक्रम ।

(iii) महिला सेवा दल और सेवा के विभिन्न पक्षों एवं राज्य में लिए गए सेवा योजना का प्रशिक्षण ।

(iv) महिला यूथ विभाग ।

(v) समिति द्वारा प्रभारित अन्य गतिविधियॉः—

(vi) जिलेवार महिला साधना केम्प, साथ ही वार्षिक राज्य साधना केम्प जो कि स्टेट प्रेसीडेंट के अनुमोदन उपरान्त माह नम्वबर में महिला दिवस के रूप में मनाया जायेगा ।

5.10 वित्तः—

श्री सत्य साई सेवा समिति एवं उसकी सहयोगी इकाईयों की गतिविधियों में दिन प्रतिदिन लगने वाला व्यय, सदस्यों द्वारा, स्वयं के स्वैच्छिक अंशदान से वहन किया जायेगा और इस उद्देश्य के लिए अन्य स्त्रोतों से कोई धन नहीं जुटाया जायेगा । दशहरा, महाशिवरात्री, गुरू पूर्णिमा और भगवान के जन्म दिवस आदि के उत्सव और समिति की अन्य गतिविधियों में लगने वाला व्यय स्वैच्छिक अंशदान से समिति सदस्यों द्वारा वहन किया जायेगा । यह विशेष सावधानी रखी जाये कि अंशदान हेतु किसी पर दबाव न डाला जाये एवं सदस्यों में उच्च एवं निम्न वर्ग की भावना उत्पन्न न हो । इसके लिए यह अच्छा उपाय जो इस नियम एवं विधान में दिया गया है कि कुल खर्च का अनुमानलगाकर सेवा समिति के प्रत्येक सदस्यों को सूचित कर दिया जाये । तत्पश्चात अलग कमरे में एक पेटी रखें जहां सदस्य एक के बाद एक जाकर अपना स्वैच्छिक अंशदान कर सकें ताकि कोई यह न जान सके कि किस सदस्य ने कितना अंशदान दिया है । इसके बाद पेटी, बैठक कक्ष में लाकर खोली जाये । यदि राशि कम हो तो उसे

सदस्यों में बराबर बराबर बांट दी जाये । यदि यह राशि अधिक हो तो उसे नारायण सेवा में या भविष्य के व्यय में उपयोग करें । यही समिति के व्यय हेतु राशि संग्रहण का सर्वोत्तम रास्ता है । किसी भी दशा में धन, दान या अंशदान के लिए जनता से विनती न की जाये । और अधिक जानकारी के लिए **परिशिष्ट II** में संलग्न निर्देशों को देखें ।

स्टेट प्रेसीडेंट एवं स्टेट ट्रस्ट संयोजक की संयुक्त सहमति से समिति की सेवा गतिविधियों में श्री सत्य साई स्टेट ट्रस्ट द्वारा सहायता की जा सकेगी ।

5.11 समिति की सम्बद्धता का निरस्तीकरणः—

स्टेट प्रेसीडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट द्वारा अनुमोदित किये जाने पर , अभिलिखित कारणों से , किसी समिति या भजन मण्डली की सम्बद्धता का निरस्तीरण/समिति या भजन मण्डली भंग कर सकेंगें यदि पदाधिकारी चरित्र, आचार संहिता, सामान्य सिद्धान्त, वित्तीय नियम से संबंधित आदेशों का पालन नही करते हों या समिति या भजन मण्डली के हित के विपरीत कार्य करते हों या डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट, स्टेट प्रेसीडेंट के मार्गदर्शन/निर्देशों का पालन नहीं करते हों या इस नियम पुस्तिका में उल्लेखित किये गये किसी नियम या नियमावली का उल्लंघन करते हों ।

तथापि, स्टेट प्रेसीडेंट वर्तमान पदाधिकारियों के स्थान पर समिति या भजन मण्डली के कार्यों के लिए नये पदाधिकारी नामांकित करने के लिए अधिकृत हैं ।

5.12 आत्म चिंतन एवं स्वमूल्यांकनः—

भक्तों को सलाह दी जाती है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आचार संहिता के 9 बिन्दुओं पर स्वमूल्यांकन कम से कम साप्ताहिक आधार पर करें । **परिशिष्ट III** में दिये गये प्रपत्र का अनुसरण कर सकते हैं ।

5.13 अन्य गतिविधियॉः—

1. भजन (नाम स्मरण)

   a. भजन करने का स्थान सामान्यतः सार्वजनिक स्थान होना चाहिये, किसी अन्य व्यक्ति का निवास स्थान नहीं ।

   b. समय सामान्यतः शाम का होना चाहिये और 45 मिनट से अधिक न हो । बचा हुआ समय कार्यक्रमों की घोषणा, भगवान के प्रवचनों का पठन और नये आने वालों के लिए परिचयात्मक उद्बोधन के

लिए रखा जा सकता है ।

c. भजन सामान्यतः सादी नामावलि के और भक्तों द्वारा दोहराने में सरल हों । साई संगठन में सभी धर्मो के भजन गाये जा सकते हैं ।

d. भजन सेंटर में बैठने की व्यवस्था ऐसी हो जहां कि पहले से भक्त बैठे हों, वे बाद में आने वालों से वे बाधित न हों । यह भी आवश्यक है कि आरती के समय भक्त अपने स्थान बैठे रहें आगे न बढ़े या खड़े न हों ।

e. भजन के उपरान्त और आरती के पहले 3 मिनट का ध्यान होना चाहिये ।

f. भजन सेंटर में किसी प्रकार की राशि संग्रहित न की जाये या किसी भी तरीके या रीति से संगठन के लिए राशि एकत्र करने के लिए घोषणा न की जाये ।

g. पब्लिक भजन सेंटर में सिवाय विभूति वितरण के किसी भी तरह का प्रसाद वितरण नहीं होना चाहिये । यद्यपि स्टेट प्रेसीडेंट द्वारा अनुमोदित त्यौहारों एवं अन्य विशेष अवसरों पर इसकी अनुमति होगी । प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में स्टेट प्रेसीडेंट त्यौहारों एवं विशेष अवसरों की सूची घोषित करेंगे तब राज्य में विशेष अवसरों पर प्रसाद का वितरण किया जा सकेगा ।

2. नगर संकीर्तन

प्रातः काल की बेला में दिव्य नाम संकीर्तन से वातारण को भरने से मनुष्य का मन पवित्र होता है और वे बेहतर, उदार एवं आध्यात्मि जीवन जीते हुए आत्म परिष्कार और विश्व शांति एवं समृद्धि का संपादन करने के लिय प्रेरित होते है । सत्य साई समिति को माह में कम से कम दो बार वाद्य यंत्रों के साथ या बिना वाद्य यंत्रों के प्रातः काल के प्रथम घंटों में नगर संकीर्तन का आयोजन करना चाहिए ।

कोई फोटो या चित्र नहीं ले जाया जाना चाहिए । भजनावली में दिये गये सामान्य नामावली की पंक्तियॉ केवल दो बार दुहरा कर गायी जायें । समिति के सभी सदस्यों के लिए नगर संकीर्तन अनिवार्य है ।

3. स्टडी सर्किल (अध्ययन मण्डल)

आध्यात्मिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण भाग स्टडी सर्किल बैठकों का

होना है ताकि भक्तों को भगवान श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं की सही समझ हो सके तथा बैठक में पारस्परिक चर्चा में किसी बिन्दु का स्पष्टीकरण मिल सकें । ऐसी बैठकें वयस्कों और बालकों के लिए अलग अलग ली जा सकती हैं।

वास्तविक दिन प्रतिदिन के जीवन, साहित्य तथा भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से संबंधित भगवान के विभिन्न विषयों के प्रवचनों से उद्धरण पढ़े जाकर, एक के बाद एक परिचर्चा में लिये जाकर उनकी महत्ता स्पष्ट की जाये । समिति द्वारा चलित ग्रंथालय रखा जाये ताकि भक्त भगवान की शिक्षाओं को पढ़ सकें तथा अन्य आध्यात्मिक कक्षाएं आयोजित की जायें।

भक्तों के तीन स्तरों के लिए स्टडी सर्किल आयोजित की जा सकती है :–

(1) साधकों एवं भक्तों के लिए ।

(2) व्यवसायी एवं शिक्षाविदों के लिए ।

(3) ग्रामीण एवं औद्योगिक कामकाजियों के लिए ।

परिशिष्ट VIII में विषयों की विस्तृत सूची दी गई है ।

4. सार्वजनिक समारोह

राज्य संगठन, जिला एवं समिति, संबंधित डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट एवं स्टेट प्रेसीडेंट की सलाह से महत्वपूर्ण त्यौहारों में सार्वजनिक समारोह का आयोजन कर सकते है, महत्वपूर्ण एवं प्रमुख गतिविधियॉ जैसे दशहरा, महाशिवरात्रि, क्रिसमस, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, गुरूनानक जयंती, ईश्वराम्मा दिवस, भगवान का जन्मोत्सव, बाल विकास रैली, अखण्ड भजन एवं जप तथा स्टेट प्रेसीडेंट द्वारा विनिश्चित ऐसे अन्य प्रादेशिक उत्सवों में सार्वजनिक समारोह का आयोजन करेगी । इस उद्देश्य हेतु प्रतिवर्ष के लिए पर्याप्त समय पूर्व में ही इन कार्यक्रमों की रूप रेखा बना ली जाये । आध्यात्मिक विषयों के विद्वान वक्ताओं जो भगवान बाबा पर वास्तविक श्रद्धा रखते हों और जहां तक सम्भव हो भगवान बाबा के भक्त हों, उन्हें भगवान बाबा की शिक्षाओं के विशेष संदर्भ में आध्यात्मिक विषयों पर बोलने के लिए, इन अवसरों में आमंत्रित कर, इस अवसर का सदुपयोग किया जा सकता है ।

ऐसे उत्सव दो या अधिक जिलों द्वारा स्टेट प्रेसीडेंट के पूर्व अनुमोदन से और दो या अधिक समितियां डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट के पूर्व अनुमोदन से ऐसा आयोजन कर सकती है । राज्य स्तर के उत्सव शहर में, सुविधा युक्त महत्वपूर्ण केन्द्र या राजधानी में रखे जायें जहॉ राज्य के सभी स्थान के भक्त भाग ले सकें ।

5. साधना केम्प या रिट्रीट :–

प्रत्येक तिमाही में समिति को अपने सदस्यों के लिए रिट्रीट या साधना केम्प आयोजित करना चाहिये । किसी शांतिप्रद, सुविधा जनक स्थान पर शिविर आयोजित किया जा सकता है । पूरा दिन गहन साधना और ''ध्यान'' एवं अन्य आध्यात्मिक विषयों पर परिचर्चा, साधना के रिफ्रेशर खण्ड के रूप में बिताया जाये समिति से सम्बद्ध यूनिट एवं दलों को भी इसमें भाग लेने की अनुमति दी जाये । डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेंट की पूर्व अनुमति से दो या अधिक समितियां मिलकर ऐसा आयोजन कर सकती हैं ।

6. बाल विकास कार्यक्रम

(a) बाल विकास कार्यक्रम का लक्ष्य एवं उद्देश्य :–

श्री सत्य साई बाल विकास कक्षाएं स्वअनुशासन की दिशा में बालक के चरित्र निर्माण के मूल सिद्धान्तों एवं उद्देश्य के साथ संपादित की जाती हैं, उपलब्ध स्वस्थ साहचार्य के साथ पढ़ने की आदत, पढ़कर दोहराना, बच्चों के विकसित हो रहे मस्तिष्क का शुद्धिकरण ,पाप भीति, दैव प्रीति और संघ नीति बच्चों में प्रतिस्थापित करती है । वस्तुतः यह पाठ्यक्रम छोटे बच्चों (ग्रुप –1) 5 से 7 वर्ष के बीच, प्रारम्भ होता है, परन्तु ये कक्षाएं किंडरगार्डन की तर्ज पर होंगी ताकि बच्चों का मन सामूहिक अनुशासन और दिये गये निर्देशों के पालन की ओर अग्रसर हो, जब बालक ग्रुप II में जाता है (7–10) वर्ष की आयु का होता है, ग्रुप II के स्तर पर बालक प्रशिक्षण का लाभ हृदयंगम करता है जो कि बाल विकास के पाठ्यक्रम के उद्देश्य की रचना करता है । बालक ग्रुप III (11–13वर्ष) में 11 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है इस समय के बाद ही बच्चा घर, स्कूल , खेल के मैदान से ऐसे संस्कार या प्रवृतियॉ ग्रहण कर सकता है जो बुरे होते है ।

वह इन 3 से 4 वर्षो के प्रशिक्षण के दौरान निम्नानुसार लाभ अर्जित करता/करती है :–

1. घर में माता, पिता एवं अन्य बड़ों के लिए उचित सम्मान ।
2. स्कूल की पढाई में सही ध्यान और स्कूल अध्यापकों के प्रति सही सम्मान ।
3. अच्छी सेहत रखना, ड्रेस, स्कूल , समाज इत्यादि में उचित व्यवहार ।
4. आत्मविश्वास का विकास ।
5. अच्छा शिष्टाचार, विनयशीलता का विकास ।

6. अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ।

7. पढ़ाई, खेलकूद, प्रार्थना इत्यादि के लिए संतुलित तरीके से समय का विनियोजन कर समय का सदुपयोग करना ।

8. जरूरतमंदों की सहायता करना ।

9. उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था रखना जो हमेशा अपेक्षा करता है कि हम सच्चे, इमानदार, प्रेममय, दयावान एवं मद्दगार बने।

10. आदर्श जीवन की विशिष्टता सीखना ।

इस अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी ग्रुप III (11 से 13 वर्ष की आयु) के बच्चों के लिए उपयुक्त समझा जाता है। इस विकास क्रम में विद्यार्थी पाठकीय एवं व्यवहारिक बाल विकास कक्षा के लिए सुदृढ़ आधार पाकर उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण व्यापक होगा, जीवन की उच्च एवं सर्वोत्कृष्ठ मूल्यों, धर्मो की एकता, ईश्वर का पितृत्व और मनुष्य का भ्रातृत्वभाव, इन विषयों को इस तरीके से सिखाने में सावधानी रखना है, जिससे कि युवा मन इन उच्चतम सिद्धांतों को आत्मसात कर उन्हें अपने जीवन में सुदृढ़ आधार बना सकें ।

ग्रुप III के पूर्ण करने पर प्रत्येक विद्यार्थी 13 और 15 वर्ष की आयु में एक प्रोजेक्ट आरंभ करेगा ।

प्री सेवा दल की गतिविधियॉ एवं प्रशिक्षण कोर्स 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए चलायी जाती है । इस कोर्स के बाद विद्यार्थी बाल विकास गुरू के प्रशिक्षण पर जाने के लिए उपयुक्त समझा जायेगा या सेवादल कोर्स जो उसे उसकी प्रवृत्ति और क्षमता के अनुसार हो, श्री सत्य साई सेवा संगठन में, जिसका उद्देश्य सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा का प्रसार करना है, सेवा के लिए तैयार करेगी ।

(b) बाल विकास के लिए नियम एवं विधानः–

1. समिति संयोजक (शिक्षा) बाल विकास कार्यक्रमों के लिए संयोजक के रूप में कार्य करेगा एवं कार्यक्रमों का आयोजन करेगा ।

2. बाल विकास कक्षा किसी भी स्थान में, यदि इच्छुक अभिभावकों के परिवार आगे आयें , बच्चों की संख्या पर्याप्त हो, सक्षम बाल विकास गुरू उपलब्ध हो, प्रारम्भ की जा सकती हैं । इस हेतु सभी भजन केन्द्रों में घोषणा की जायेगी ।

3. बाल विकास कक्षाओं को तीन प्रकार से समाहित या श्रेणीकृत किया

जा सकेगा जैसे आवासीय, ग्रामीण और स्कूल ।

4. साधारणतः बाल विकास गुरू का निवास ही बाल विकास कक्षा का स्थान या किसी भक्त का निवास भी हो सकता है । अपवाद स्वरूप, वह सार्वजनिक स्थान पर हो सकता है या ऐसे स्कूल का परिसर जो ऐसी गतिविधियों के लिए सूचीबद्ध हो ।

5. **गुरूः–**

इंचार्ज गुरू सामान्यतः महिला होगी, सहायक गुरू और भजन प्रशिक्षक योग्य महिला सदस्य उपलब्ध न होने की दशा में पुरूष हो सकता है । बाल विकास गुरू को सामान्यतः उनकी इकाई (क्षेत्र) की श्री सत्य साई गतिविधियों में भागीदार होना चाहिए ।

6. **बच्चों की संख्याः–**

बाल विकास कक्षा में 50 से अधिक बच्चे न हों, कम से कम की कोई सीमा नही है । कक्षा के लिए सुविधा जनक संख्या 25 से 30 बच्चे हैं ।

7. बच्चों को विभिन्न वर्गो में बांटा जाना चाहिए, आयु अनुसार ग्रुप I (आयु 5 से 7 वर्ष), ग्रुप II (आयु 7 से 10 वर्ष), ग्रुप III (आयु 11 से 13 वर्ष), प्रोजेक्ट (आयु 13 से 14 वर्ष) और प्री सेवा दल ग्रुप (आयु 15 से अधिक 17 वर्ष तक) । प्री सेवा दल में शामिल किये गये । प्री सेवा दल सदस्यों को एक विशिष्ट स्कार्फ जारी किया जायेगा । पूरे भारत में एक ही रंग एवं प्रारूप के स्कार्फ का मानदण्ड निर्धारित किया जायेगा ।

8. पालकों द्वारा एक प्रवेश पत्र भरा जायेगा एवं गुरू अपने बाल विकास केन्द्र के सभी बच्चों के पते का अभिलेख रखेगा । **परिशिष्ट 9** का प्रारूप देखें ।

(c) केन्द्र खोलने की अनुमति एवं उसका अनुक्रमांकः–

बाल विकास कक्षा प्रारंभ होने के पहले, समिति के शिक्षा विभाग इंचार्ज से अस्थायी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिये । समिति का शिक्षा विभाग इंचार्ज बाल विकास सेंटर के लिए एक अस्थायी क्रमांक नियत करेगा । इस अनुक्रमांक के बाद अंग्रेजी का "P" अक्षर अंकित होगा जो ''अस्थायी'' का सूचक होगा ।

एक वर्ष तक संतोषप्रद ढंग से कक्षा चलने पर "P" शब्द को हटाकर स्थायी क्रमांक दिया जायेगा ।

(d) कार्य प्रणालीः–

(i)**उपस्थित पंजीः**—एक उपस्थिति पंजी का संधारण किया जायेगा जहां तक संभव हो उपस्थिति नियमित होनी चाहिए । बच्चों की परीक्षाएं प्रारंभ होने के 15 दिवस पूर्व कक्षाएं स्थगित कर दी जायें एवं स्कूल की परीक्षा समाप्त होने पर कक्षाएं वापस लगायी जायेंगी ।

(**ii) अवधि एवं पाठ्यक्रमः**—सामान्यतः कक्षा 1 घंटा 15 मिनट तक चलेगी । निर्धारित पाठ्यक्रम पर दृढ़ रहें ।

(iii) बैठक व्यवस्थाः—बालक एवं बालिकाओं को अलग अलग बैठाया जाये, यदि संभव हो तो सीनियर ग्रुप 11 से 13 वर्ष एवं प्री सेवादल की कक्षाएं अलग से ली जायें ।

(iv) पालक संपर्कः—गुरू बच्चों के घर पर सामयिक या यदाकदा जायेंगे एवं पालकों से बच्चे की प्रगति, घर में सामान्य व्यवहार एवं स्कूल में व्यवहार के विषय में चर्चा करेंगे ।

(v) रिपोर्टः—कम से कम तीन माह में गुरू सामयिक रिपोर्ट समिति में शिक्षा विभाग इंचार्ज को भेजेगा तथा समिति संयोजक को प्रतिलिपि देगा ।

(e) गुरूओं की बैठकः—

समिति में बाल विकास गुरू माह में कम से कम एक बार मिलेंगे एवं पढ़ाने के तरीके एवं सामान्य कठिनाइयों पर चर्चा करेंगे । बाल विकास कक्षा लेने वाले बालविकास गुरू विकास, कार्यरीति, नियम एवं विधान, रीति तथा समस्त गतिविधियों का अन्य विवरण पृथक से ''मेनुअल फार श्री सत्य साई बाल विकास गुरू'' प्रकाशन में उपलब्ध है ।

(f) ऑल इंडिया प्रेसीडेंट द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दुओं के आधार पर गुरूओं का प्रशिक्षण होगा ।

5.14 **प्रशांतिध्वज** :—

प्रशांतिध्वज का आरोहण और रखरखाव **परिशिष्ट—X** में दिये गये मार्ग दर्शन के अनुसार होगा ।

5.15 सर्व धर्म प्रतीक चिन्हः—

श्री सत्य साई संगठन, भारत, सभी राज्यों एवं संगठन के सभी स्तरों में एक श्रेणी का सर्वधर्म प्रतीक चिन्ह प्रयोग करेगा । यह चिन्ह परिशिष्ट XI खण्ड I

में दिये गये प्रारूप के अनुसार प्रयुक्त होगा । परिशिष्ट XI में दर्शाया गया सर्व धर्म चिन्ह Emblems and Names (prevention of Improper use) Act.1950 के अधीन संरक्षित है और Emblems and Names (prevention of Improper use) Rules 1982 द्वारा शासित हैं । श्री सत्य साई सेन्ट्रल ट्रस्ट द्वारा एक आम सूचना दिनांक 22 जुलाई 2004 को जारी की गई थी, उसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट XI खण्ड II में संलग्न है ।

परिशिष्ट–I

(नियम 1.5)

श्री सत्य साईं संगठन, भारत की कार्य प्रणाली

1. श्री सत्य साई संगठन या साई ट्रस्ट किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कभी भी कोई आवेदन नहीं करेगा ।

2. यदि कोई संगठन हमारे साथ कार्य करने के लिए सामने आता है तो हम विचार कर सकते हैं बशर्ते कि उस संगठन के लिए कोई प्रचार कार्यवाही हमारे स्तर पर नहीं होगी । यदि ऐसा संगठन अपने पदाधारियों को आंतरिक रूप से ऐसी सूचना देना चाहता हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

3. हम एक सहयोगी के रूप में कार्य कर सकते हैं यदि लाभान्वित लोग किसी से या शासन से मद्द हेतु आते हैं तथापि हम उसे वाहक के रूप में ऐसी मदद पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकते । हम स्व सहायता ग्रुप बनाने के लिए कार्य कर सकते है , जो किसी से भी मदद ले सकते है ।

——00——

परिशिष्ट–II

(नियम 1.6, नियम 2.3, नियम 5.10)

स्टेट प्रेसीडेंट /स्टेट ट्रस्ट संयोजक के लिए वित्त संबंधी मार्गदर्शन

प्राक्कथन

प्रत्येक राज्य में श्री सत्य साई संगठन और श्री सत्य साई ट्रस्ट एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा स्थापित है । स्टेट प्रेसीडेंट, साई संगठन का और, स्टेट ट्रस्ट का नेतृत्वकर्ता, ट्रस्ट का संयोजक है। ये मार्गदर्शन, दोनों की भूमिका एवं सामंजस्य का वर्णन करते है ।

स्टेट प्रेसीडेंट (प्रान्ताध्यक्ष)

स्टेट प्रेसीडेंट राज्य में संगठन की समस्त गतिविधियों का एवं उनके तीनों विभागों जैसे आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सेवा विभाग का प्रभारी है उनकी भूमिका और तीनों विभागों के कार्य का विस्तृत विवरण संगठन के नियम एवं विधान में वर्णित है ।

यह जानना महत्वपूर्ण है कि संगठन एक पंजीकृत संस्था नहीं है । यह एक धार्मिक संगठन नहीं है । बल्कि यह आध्यात्मिक एवं सेवा संस्था है । यह संगठन सभी धर्मो का समान रूप से और मानवता की एकता का सम्मान करती है ।

संगठन और उसकी इकाई बैंक खाता नहीं रख सकती । सभी वित्तीय संव्यवहार केवल स्टेट ट्रस्ट द्वारा किये जायेंगे । यह संगठन दान स्वीकार करने के लिए सशक्त नहीं है , ऐसा केवल स्टेट ट्रस्ट द्वारा ही उचित रसीद जारी

कर ट्रस्ट के लेखे में लिया जा सकेगा ।

कन्व्हेनर, कॉसिल ऑफ मेनेजमेंट, श्री सत्य साई स्टेट ट्रस्ट (स्टेट ट्रस्ट संयोजक कहलायेगा) ।

स्टेट ट्रस्ट राज्य में ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों के लिए साथ ही संगठन के वित्तीय प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

ट्रस्ट की वित्तीय एवं विधि संबंधी बातों की समीक्षा एवं स्थिति के लिए तीन माह में कम से कम एक बैठक नियमित रूप से करने के लिए संयोजक उत्तरदायी होगा । कौंसिल ऑफ मेनेजमेंट ट्रस्ट की सम्पत्तियों की सही देखभाल और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा वे सभी लेखे, आय व्यय का लेखा रखने और विधि अनुसार उनके आडिट (लेखा परीक्षा) के लिए उत्तरदायी होगा ।

स्टेट प्रेसीडेंट ट्रस्ट की कौंसिल ऑफ मेनेजमेंट का पदेन सदस्य होगा ।

स्टेट प्रेसीडेंट और स्टेट ट्रस्ट संयोजक वर्ष के प्रारम्भ में संगठन के वर्ष भर के सभी सेवा कार्यक्रमों, उनकी भौतिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं पर विचार विमर्श करने के लिए आवश्यक रूप से मिलेंगे । भक्तों एवं संगठन के द्वारा प्रदत्त सभी दान ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा की जायेगी । इस राशि से एवं ट्रस्ट के अन्य संसाधनों से संगठन की विभिन्न इकाईयों को सेवा कार्यक्रम हेतु धन के वितरण के लिए ट्रस्ट संयोजक एवं स्टेट प्रेसीडेंट परामर्श एवं सहमति देंगें । वे तीन माह में नियमित रूप से कम से कम एक बार स्वीकृत कार्यक्रमों की कार्य प्रणाली एवं उनके बजट की समीक्षा हेतु मिलेंगे ।

स्टेट ट्रस्ट के संयोजक एवं कौंसिल ऑफ मेनेजमेंट के अन्य सदस्य ट्रस्ट की वित्तीय साधनों की बढ़ोत्तरी एवं साधनों की खोज अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करेंगे । राशि के लिए कोई भी लिखित अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि स्टेट प्रेसीडेंट और स्टेट ट्रस्ट संयोजक में निकट सहयोग, आपसी सहमति और संवाद बना रहे । प्रत्येक राज्य में संगठन और स्टेट ट्रस्ट, साई मिशन के दो अवयव हैं ।

———00———

परिशिष्ट–III

(नियम 2.2,नियम 5.12)

आत्म चिंतन और स्व–मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश

1. आत्म चिंतन

कृपया निम्न प्रश्नों के उत्तर पूरी लगन से दीजिए । यह आपको भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बनाए आध्यात्मिक पथ पर अग्रेषित होने में सहायता करेगा –

1. (अ) क्या मैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करता हूॅ और उसकी सेवा करता हूॅ ?

   (ब) क्या मैं दूसरों की मातृभूमि से घृणा करता हूॅ?

2. क्या मैं प्रत्येक धर्म का आदर करता हूॅ ?
3. क्या मैं बिना भेद के सभी लोगों से प्रेम करता हूॅ ?
4. क्या मैं अपने वातावरण को, दूसरों को बिना नुकसान पहुॅचाए साफ रखता हूॅ ?
5. क्या मैं भिखारियों को पैसे वितरीत कर उनकी सहायता करता हूॅ ?
6. क्या मैं रिश्वत देता या लेता हूॅ ?
7. क्या मैं दूसरों की उन्नति ईर्ष्या महसूस करता हूॅ ?
8. क्या मैं अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर करता हूॅ ?
9. क्या मैं हमेशा राज्य के नियमों का पालन करता हूॅ?
10. क्या में भगवान से प्रेम और पापों से घृणा करता हूॅ ?

यदि आपने प्रश्न क्रमांक 1,2,3,4,9 और 10 को हॉ और प्रश्न क्रमांक 5,6,7,और 8 को नहीं उत्तर दिया है तो आप दैविक पथ पर चल रहे हो ।

2. प्रतिदिन चिंतन

1.क्या मैंने भगवान द्वारा बतलाए जीवन के अ ब स (ABC) का पालन आरंभ कर दिया है ?

2. क्या मैं बड़ों से आदरपूर्वक व्यवहार करता हूॅ ?

3. क्या मैंने अपना कर्त्तव्य शुद्ध अन्तःकरण से करना आरंभ कर दिया है ?

4. क्या मैं दैवी आदेश–मानव सेवा ही माधव सेवा है का पालन करता हूॅ ?

5. क्या मैं विचारों की पवित्रता के लिए प्रयत्न करता हूॅ ?

6. क्या मैं अपने दैनिक कार्यों में क्रोध करता हूॅ ?

7. क्या मैं दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होता हूॅ ।

8. क्या मैंने मौन रहने का अभ्यास आरंभ कर दिया है ?

9. क्या मेरा बर्ताव दूसरों के लिए प्रेम से प्रेरित होता है ?

10. क्या मैं दूसरों की बुराई सुनने से बचता हूॅ ?

11. क्या मैं दूसरों में अपने को देखता हूॅ ?

12. क्या मैंने अपने विचार, शब्द और कर्म भगवान को अर्पित करना आरंभ कर दिया है ।

3. आचार संहिता के 9 बिन्दुओं पर स्व–मूल्यांकन

प्रत्येक सप्ताह के अंत में श्री सत्य साई संगठन के प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह कृपया यह परीक्षण करे कि वह आचार संहिता का पालन कब और कैसे करता है। इसलिए प्रत्येक बिन्दु का पालन नियमित करने के लिए "R"(Regular) कभी–कभी करने के लिए "O"(Occasionally) और अभी आरंभ करने के लिए "YS"(Yet to start) लिखकर प्रकट करें ।

1. प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना ।

2. सप्ताह में एक बार परिवार के सदस्यों के साथ भजन/प्रार्थना ।

3. संगठन द्वारा संचालित बाल विकास कार्यक्रम में परिवार के बच्चों द्वारा भाग लेना ।

4. संगठन द्वारा संचालित भजन या नगर संकीर्तन में माह में कम से कम एक

बार उपस्थिति होना ।

5. संगठन की सामाजिक सेवा और अन्य गतिविधियों में भाग लेना । लेना ।

6. साई साहित्य का नियमित अध्ययन करना ।

7. हर एक के साथ धीमे और मधुरता से बात करना ।

8. किसी की निंदा विशेषकर उसकी अनुपस्थिति में न करना ।

9. इच्छाओं पर नियंत्रण के सिद्धांत को व्यवहार में लाना तथा इससे हुई बचत को मानव सेवा में लगाना ।

———00———

परिशिष्ट–IV

(नियम 3.1.4)

ध्यान के लिए मार्गदर्शन

(भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा प्रदत्त)

ध्यान की तकनीक के विषय में विभिन्न शिक्षकों और प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार की सलाह दी जाती है किन्तु मैं यहॉ अत्यधिक व्यापक और प्रभावकारी रूप बतलाऊॅगा । आध्यात्मिक अनुशासन में यह सर्वप्रथम कदम है । प्रारंभ में ध्यान के लिए प्रतिदिन कुछ मिनिट अलग से रख लो और बाद में जैसे जैसे तुम्हें आनन्द की अनुभूति प्राप्त होने लग जाए समय बढ़ाते जाओं । यह अरूणोदय के पूर्व हो जाना चाहिए । यह श्रेष्ठतर है क्योंकि नींद के बाद शरीर तरोताजा हो जाता है और तुम पर दिन के समय आवागमन का असर अभी नही पड़ा है । एक दीपक, जिसकी ज्योति नुकीली, सीधी एवं स्थिर हो या एक जलती हुई मोमबत्ती अपने सामने रखो । ज्योति के सामने पद्मासन या फिर कोई अन्य सुविधाजनक आसन की मुद्रा में बैठो । ज्योति के सामने देखों । ज्योति की स्थिरता को कुछ समय तक देखो और फिर आखों को बन्द कर अपने अन्दर की आखों से, भोहों के मध्य ज्योति को अनुभव करने की कोशिश करो । धीरे–धीरे मार्ग को

प्रज्वलित करते हुए अपने हृदय रूपी कमल में ज्योति को नीचे की ओर बढ़ने दो । जब यह हृदय में प्रवेश करे तो कल्पना करों कि कमल की पंखुडियॉ एक–एक करके खुल रही है । प्रकाश से हर एक विचार, भाव और आवेग को नहलाते हुए अन्धकार को हटाओं । अब अन्धकार को छिपने हेतु कोई भी स्थान नही है । ज्योति का प्रकाश चौड़ा और चमकीला हो गया है । अब ज्योति तुम्हारे अंगो में फैल गई है । ये अंग अब अंधेरी, संशयात्मक बुरी गतिविधियों को कभी भी संचालित नहीं होने देंगे क्योंकि ये अब प्रकाश और प्रेम के उपकरण बन गये हैं । अब प्रकाश को जिव्हा पर पहुंचने दो, उससे झूठ हट जाएगा । अब इसे आखों और कानों तक उठने दो । अब सभी काली इच्छाओं को जो हमको कष्ट देती हैं, नष्ट होने दो, जिससे कि वे पवि़त्र दृश्य और पवित्र वार्तालाप प्राप्त कर सकें । सिर प्रकाश से प्रज्जवलित हो जाए और सभी बुरे विचार वहॉ से तिरोहित हो जाएं । अब कल्पना करो कि प्रकाश तुम में है और वह अधिक और अधिक तीव्रता से हैं उसे तुम्हारे चारों और प्रकाशित होने दो और प्रकाश को बाहर वृताकार रूप में तुम में से फैलने दो जिससे उस घेरे में अपने प्रियजनों को, अपने बाल बच्चों को, अपने मित्र को, अपने शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों को , अपरिचितों को, सभी स्त्रियों और पुरूषों को जहॉ कहीं वे हों, सभी प्राणियों को, सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त कर ले ।

चूंकि प्रकाश प्रतिदिन सभी इन्द्रियों को गहराई से और व्यवस्थित रूप से प्रकाशित करेगा , इसलिए एक समय ऐसा आएगा कि तुम अंधकारमय और दुष्ट दृश्यों के प्रति अरूचि, अज्ञान और बेईमानी की कहानियों के प्रति वितृष्णा, हानिकारक, शक्ति कम करने वाले, विषैले भोजन और पेय के लिए अरूचि, गंदी अर्थहीन चीजों के प्रयोग के प्रति अनिच्छा, अपयश और चोट पहुंचाने वाले स्थानों की राह से घृणा , या किसी भी समय किसी के लिए कष्टदायक स्थिति का निर्माण हो, ऐसा नहीं चाहोगे । हर परिस्थिति में इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश को अनुभव कर आल्हृादित होने का प्रयास करो । यदि तुम ईश्वर की किसी भी रूप में पूजा कर रहे हो तो इस सर्वव्यापी प्रकाश में उस रूप को देखने का प्रयास करो । क्योंकि प्रकाश ही ईश्वर है , ईश्वर ही प्रकाश है ।

मैंने आपको जैसा सुझाया है, वैसा ही प्रतिदिन नियमित रूप से, ध्यान का अभ्यास करो । शेष समय में ईश्वर के नाम को भजते रहो (कोई भी नाम, जो ईश्वर की अनेक महिमाओं और लीलाओं में से किसी की भी सुरभि और आनंद देने वाला हो) और हमेशा उस प्रभु की शक्ति, सर्वज्ञता और उसकी करूणा का स्मरण करो ।

–––00–––

परिशिष्ट–V

(नियम 1.5,नियम 3.2)

सेवा, अध्यात्म और शिक्षा पर विशेष महत्व के साथ भारतीय संस्कृति और अध्यात्म पर युवाओं के लिए पाठ्यक्रम

अ. पाठ्यक्रम के लिए पथ प्रदर्शक बिन्दु :–

1. यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के समक्ष भारतीय संस्कृति और धरोहर की श्रेष्ठता की कीर्ति दर्शाने हेतु बनाया गया है ।

2. भगवान बाबा ने इसी तरह के पाठ्यक्रम , भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रम के रूप में आयोजित किए हैं ।

3. हमारा मुख्य उद्देश्य हमारी संगठनात्मक गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी हेतु उन्हें प्रेरित करना है ।

4. हम कम से कम यह तो अपेक्षा बेझिझक कर सकते हैं कि हमारे ये विद्यार्थी विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में व्याप्त अवांछित वातावरण को सुधारने में सहायक होंगे ।

5. इन पाठ्यक्रमों के आयोजन में सादगी बरतनी चाहिए , बड़े हाल या पंडाल इत्यादि हेतु खर्च में जहां तक हो सके कमी की जानी चाहिए । यदि छात्रों का समूह छोटा है तो इस शिविर का आयोजन पेड़ के नीचे भी किया जा सकता है ।

6. इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हमारे प्रिय भगवान की महिमा, प्रेम और प्रकाश को फैलाने का प्रयास होना चाहिए ।

ब. पाठ्यक्रम की विषय वस्तुः–

1. विश्व के धर्मः सनातन धर्म, इस्लाम , ईसाई ,बौद्ध ,सिक्ख, जैन और पारसी धर्म ।

2. धर्मो की एकात्मकता ।

3. हिन्दू धर्म के प्रमुख ग्रंथ (वेद, उपनिपषद और वेदांग, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, भागवत और अन्य पुराण) ।

4. भारतीय दर्शन की पद्धति (योग और सांख्य पद्धति, न्याय और

वैशेषिक पद्धति, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत) ।

5. भारतीय संस्कृति की एकात्मता और निरंतरता ।

6. भारतीय संत, उनका जीवन शिक्षा और दर्शनः–

   i संत ज्ञानेश्वर,

   ii आदि गुरू शंकराचार्य,

   iii गुरू नानक देव जी ,

   iv संत कबीर,

   v स्वामी विवेकानन्द,

   vi स्वामी रामकृष्ण परमहंस,

   vii शिरड़ी के साई बाबा,

   viii रमण महर्षि,

   ix महाराष्ट्र् के संत,

   x श्री अरविन्दो,

   xi भारत के सूफी संत,

7. प्राचीन हिन्दू लॉ (मनु एवं अन्य),

8. मनोनिग्रह,

9 प्रतीकों का महत्व,

10. विज्ञान और अध्यात्म,

11. दैनिक जीवन में अध्यात्म,

12. प्रारब्ध और पुरूषार्थ,

13. हमारी मूल्यपरक शिक्षा पद्धति,

14. भारतीय संस्कृति और कला,

15. भारतीय संस्कृति और विज्ञान,

16. ईश्वर का अस्तित्व और उनके अनुग्रह का अभिप्राय,

17. श्रद्धा, अश्रद्धा और अंध श्रद्धा,

18. सनातन धर्म की आधुनिक उपयोगिता,

19. सेवा परमो धर्मः,

20. भगवान श्री सत्य साई बाबा का जीवन एवं शिक्षा,

21. रहस्यमय मन,

22. संकल्प और स्वतन्त्र इच्छा,

स. पूर्व तैयारी : परमावश्यक कदम :—

1. महाविद्यालय के प्राचार्यो, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों से सीधे सम्पर्क करना ।

2. प्राचार्य की सहमति से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और वक्ताओं की सूची महाविद्यालय के सूचना फलक पर लगाना ।

3. विद्याार्थियों से एक सरल प्रवेश पत्र भरवाना । यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि भविष्य में प्रशिक्षार्थियों से सम्पर्क किया जा सके ।

4. किसी को भी अस्वीकृत न किया जावे किन्तु स्थान की क्षमता का भी ध्यान रखा जाए ।

5. दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन हेतु कुछ भी खर्च न किया जाए ।

6. पाठ्यक्रम के समय हॉल में दो बैनर लगाना चाहिए। (एक श्री सत्य साई सेवा संगठन का और दूसरा युवाओं के पाठ्यक्रम का)

7. भगवान बाबा का चित्र और सर्वधर्म प्रतीक चिन्ह अत्यन्त आवश्यक है ।

8. ब्लैक बोर्ड और लैक्चर स्टैंड अति आवश्यक है ।

9. जहॉ तक संभव हो फोटो खींचने पर व्यय कम होना चाहिए ।

10. प्रशिक्षण के समय दीवार पर बाबा के सुवाक्य लगाना चाहिए ।

11. उद्घाटन समारोह 15 मिनट से अधिक समय का नहीं होना चाहिए ।

12. यदि संभव हो तो भविष्य में उपयोग हेतु पाठ्यक्रम के सभी व्याख्यानों की टेप रिकार्डिग होना चाहिए ।

द. व्याख्याताओं की योग्यता के विषय में :—

1. जो अध्ययन मंडल के, मानवमूल्य और संगठन के समारोहों के अच्छे वक्ता हों ।

2. उनको प्राथमिकता देनी चाहिए जिन्होंने साई साहित्य का व्यापक अध्ययन किया हो ।

3. वे जो गीता, उपनिषद, आदि शंकराचार्य, विवेकानन्द , रामकृष्ण तथा अन्य संतो के उद्धरण प्रस्तुत कर सकें ।

4. वे जो क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी में बोल सकते हों ।

5. वाह्य व्याख्याता यदि वे हमारे संगठन से परिचित हों, उपरोक्त अर्हताएं रखते हों(लोगों को रूचिकर लगे) तथा शैक्षणिक श्रेष्ठता रखते हों, तो चयन किया जा सकता है ।

6. सभी व्याख्याताओं का संक्षिप्त परिचय दिया जाना चाहिए ।

7. जो विज्ञान और आध्यात्म का उचित समंन्वय कर सकें, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए ।

इ. प्रायोगिक कक्षाएं:–

1. सामूहिक भजन (सर्वधर्म भजन या प्रार्थना) ,

2. ध्यान का अनुदेशन,

3. विद्यार्थियों द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान,

4. पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए और उसका परिणाम प्रथम दिन घोषित करना चाहिए ।

5. कोर्स में पढ़ाये गये विषयों पर भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए ।

6. उपरोक्त प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक के रूप में भगवान बाबा की पुस्तकें प्रदान की जा सकती है ।

ई. समापन समारोह :–

1. प्रश्नोत्तर सत्र,

2. दो विद्यार्थियों द्वारा अपने अनुभवों का वर्णन पांच मिनट में ।

3. कार्यक्रम के पश्चात्, भविष्य के प्रयत्नों के लिए घोषणाएं ।

उ. अनुगामी प्रयास :–

1. माह में एक बार स्वामी के महामंत्रों पर संक्षिप्त गोष्ठी ।

2. इच्छुक छात्राओं के लिए बाल विकास गुरू का प्रशिक्षण । इन प्रशिक्षित छात्राओं की मदद से कम से कम पांच बाल विकास कक्षाओं को खोलने का उद्देश्य होना चाहिए ।

3. छात्रों को 5 वी, 6वीं और 7वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न विषय, निःशुल्क पढ़ाने हेतु प्रेरित करना चाहिए ।

4. सेवा गतिविधियों जैसे नारायण सेवा, ग्राम विकास सेवा ,अस्पताल में कार्य आदि हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना ।

5. यह नितांत आवश्यक है कि प्रशिक्षित विद्यार्थियों से प्रेमपूर्ण जीवन्त सम्पर्क रखा जाए ।

———00———

परिशिष्ट–VI

(नियम 4.3.11,नियम 4.9.4(VI),नियम 4.12.(4))

राज्य संगठन के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप, जिला और समिति खण्ड–I राज्य संगठन का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप(नियम 4.3.11)

ओम श्री साई राम

श्री सत्य साई संगठन ....

अर्धवार्षिक प्रतिवेदन–समाप्ति 30 जून / 31 दिसम्बर 20......

क्र.	केन्द्र	कुल संख्या पूर्व अवधि	कुल संख्या वर्तमान अवधि	सदस्यों की कुल संख्या पूर्व अवधि	सदस्यों की ... वर्तमा...
1.	जिला				
2.	समिति				
3.	भजन मण्डली				

	आध्यात्मिक गतिविधियॉ	कुल संख्या पूर्व अवधि	कुल संख्या वर्तमान अवधि	उपस्थिति की कुल संख्या पूर्व अवधि	उपस्थिति व वर्तमा
4.	नाम संकीर्तन इकाईयॉ(केन्द्र)				
5.	सात पारिवारिक भजन केन्द्र				
6.	नगर संकीर्तन				
7.	अध्ययन मण्डल				
8.	सम्मेलन / साधना शिवर				
9.	विशेष भजन				
10.	सार्वजनिक मंदिर भजन				
	शैक्षणिक गतिविधियॉ	कुल संख्या पूर्व अवधि	कुल संख्या वर्तमान अवधि	विद्यार्थियों की कुल संख्या पूर्व अवधि	विद्यार्थियों व वर्तमा
11.	बाल विकास केन्द्र				
12.	गॉवों में बाल विकास केन्द्र				
13.	स्कूल बाल विकास केन्द्र				
14.	बाल विकास छात्रों की कुल संख्या				
15.	बाल विकास गुरूओं की कुल संख्या				
16.	आध्यात्मिक शिक्षा स्कूलों की संख्या				
	सेवा गतिविधियॉ	कुल संख्या पूर्व अवधि	कुल संख्या वर्तमान अवधि	लाभान्वितों की कुल संख्या पूर्व अवधि	लाभान्वितों वर्तमा
17.	विजिट				
अ.	एसाईलम / जेल / रिमांड होम्स / अनाथालय				
ब.	अस्पताल				
स.	वृद्धाश्रम / अपंग आश्रम				

18.	नारायण सेवा				
19.	पशु चिकित्सा शिविर				
20.	चिकित्सा शिविर				
21.	नेत्र शिविर				
22.	आपके द्वारा सम्हाले हुए वृद्धाश्रमों की संख्या				
	कोई अन्य विशिष्ट गतिविधि				
22.	लक्षार्चन				
24.	रक्त समूह परीक्षण सर्वेक्षण				
25.	रक्त समूह परीक्षण शिविर				
क.	सांख्यिकी आंकड़े	कुल संख्या पूर्व अवधि	कुल संख्या वर्तमान अवधि		
26.	स्लम / गांवों की संख्या				
27.	लाभान्वितो की संख्या				
28.	सेवादल पुरूषों की संख्या				
29.	सेवादल महिला की संख्या				
30.	सुरक्षा सेवा की संख्या				
31.	प्रशिक्षित सेवादल				
32.	पंजीकृत युवाओं की संख्या				
33.	युवा गतिविधियॉ नाम				
(अ)	लक्षण				
(ब)	सदस्यों, सक्रिय सदस्यों और सामान्य नागरिक पर प्रभाव जैसे				
(i)	उनके चरित्र –व्यवहार इत्यादि में परिवर्तनः				
(ii)	विभिन्न गतिविधियों में उनकी उपस्थितिः				

(iii)	प्रतिकूल परिस्थितियों को सही करने के लिए तुरन्त प्रयास करना या विचारार्थ लेनाः
(iv)	गतिविधियों के तेज करने और प्रसार करने के लिए तुरन्त प्रयास करना था विचारार्थ

खण्ड–II जिलावार त्रैमासिक प्रतिवेदन का प्रारूप

(नियम 4.9.4(VI))

ॐ श्री साई राम

श्री सत्य साई सेवा संगठन,म.प्र.........................अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समाप्ति 30 जून/31 दिसम्बर 20....... जिला.........

क.	केन्द्र	कुल संख्या पूर्व अवधि	कुल संख्या वर्तमान अवधि	सदस्यों की कुल संख्या पूर्व अवधि	सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान अवधि
1.	समिति				
2.	भजन मण्डली				
	आध्यात्मिक गतिविधियॉ	कुल संख्या पूर्व अवधि	कुल संख्या वर्तमान अवधि	उपस्थिति की कुल संख्या पूर्व अवधि	उपस्थिति की कुल संख्या वर्तमान अवधि
3.	नाम संकीर्तन इकाईयॉ				

	(केन्द्र)				
4.	सात पारिवारिक भजन केन्द्र				
5.	नगर संकीर्तन				
6.	अध्ययन मण्डल				
7.	सम्मेलन/साधना शिविर				
8.	विशेष भजन				
9.	सार्वजनिक /मंदिर भजन				
	शैक्षणिक गतिविधियॉ	कुल संख्या पूर्व अवधि	कुल संख्या वर्तमान अवधि	विद्यार्थियों की कुल संख्या पूर्व अवधि	वर्तमान अवधि उपस्थिति की कुल संख्या
10.	बाल विकास केन्द्र				
11.	गॉवों में बाल विकास केन्द्र				
12.	स्कूल बाल विकास केन्द्र				
13.	बाल विकास छात्रों की कुल संख्या				
14.	बाल विकास गुरूओं की कुल संख्या				
15.	आध्यात्मिक शिक्षा स्कूलों की संख्या				
	सेवा गतिविधियॉ	कुल संख्या पूर्व अवधि	कुल संख्या वर्तमान अवधि	लाभान्वितों की कुल संख्या पूर्व अवधि	लाभान्वितों की कुल संख्या वर्तमान अवधि
16.	विजिट				
अ.	एसाईलम्/जेल/रिमांड होम्स /अनाथालय				
ब.	अस्पताल				
स.	वृद्धाश्रम /अपंग आश्रम				
17.	नारायण सेवा				
18.	पशु चिकित्या शिविर				
19.	चिकित्सा शिविर				

20.	नेत्र शिविर				
21.	आपके द्वारा सम्हाले हुए वृद्धाश्रमों की संख्या				
22.	लक्षार्चन				
23.	रक्त समूह परीक्षण सर्वेक्षण				
24.	रक्त समूह परीक्षण शिविर				
	अन्य कोई विशिष्ट गतिविधि				
क.	सांख्यिकी आंकड़े	कुल संख्या पूर्व अवधि	कुल संख्या वर्तमान अवधि		
25.	एसाईलम / गांवों की संख्या				
26.	लाभान्वितों की संख्या				
27.	सेवा दल पुरूष की संख्या				
28.	सेवा दल महिला की संख्या				
29.	सुरक्षा सेवा की संख्या				
30.	प्रशिक्षित सेवादल				
31.	पंजीयत युवाओं की संख्या				

	युवा गतिविधियॉ
32.	नाम :
(अ)	लक्षण
(ब)	सदस्यों, सक्रिय सदस्यों और सामान्य नागरिक पर प्रभाव जैसे
(i)	उनके चरित्र–व्यवहार इत्यादि में परिवर्तन
(ii)	विभिन्न गतिविधियों में उनकी उपस्थिति :
(iii)	प्रतिकूल प्रवृत्ति को सही करने के लिए तुरन्त प्रयास करना या विचारार्थ लेनाः
(iv)	गतिविधियों के तेज करने और प्रसार करने के लिए तुरन्त प्रयास करना था विचारार्थ लेनाः

खण्ड–III

श्री सत्य साई समिति मासिक प्रतिवेदन प्रारूप

(नियम 4.12(4))

।। ॐ श्री साई राम ।।

श्री सत्य साई संगठन...

अर्धवार्षिक प्रतिवेदन : समाप्ती माह 30 जून/31 दिसम्बर 20...............................

समिति.............................

क्र.	केन्द्र	पूर्व अर्धवार्षिकी की कुल संख्या	वर्तमान अर्धवार्षिकी की कुल संख्या	पूर्व अर्धवार्षिकी की कुल सदस्य संख्या	वर्तमान अर्ध संख्या
1.	समिति				
2.	भजन मण्डली				
	आध्यात्मिक गतिविधियॉ	पूर्व अर्द्धवार्षिकी की कुल सदस्य संख्या	वर्तमान अर्द्धवार्षिकी की कुल सदस्य संख्या	पूर्व में उपस्थिति की कुल संख्या	वर्तमान में उ संख्या
3.	नाम संकीर्तन इकाईयॉ(केन्द्र)				
4.	सात पारिवारिक भजन केन्द्र				
5.	नगर संकीर्तन				
6.	अध्ययन मण्डल				
7.	सम्मेलन/साधना शिविर				

8.	विशेष भजन				
9.	सार्वजनिक /मंदिर भजन				
	आध्यात्मिक गतिविधियॉ	पूर्व अर्द्धवार्षिकी की कुल संख्या	वर्तमान अर्द्धवार्षिकी की कुल संख्या	पूर्व अर्द्धवार्षिकी में छात्रों की कुल संख्या	वर्तमान अ
10.	बाल विकास केन्द्र				
11.	गॅावों में बाल विकास केन्द्र				
12.	स्कूल बाल विकास केन्द्र				
13.	बाल विकास छात्रों की कुल संख्या				
14.	बाल विकास गुरूओं की कुल संख्या				
15.	आध्यात्मिक शिक्षा स्कूलों की संख्या				
	सेवा गतिविधियॉ	पूर्व अर्द्धवार्षिकी की कुल संख्या	वर्तमान अर्द्धवार्षिकी की कुल संख्या	पूर्व में लाभान्वित की कुल संख्या	वर्तमान लाभ
16.	विजिट				
अ.	एसाईलम्/जेल/रिमांड होम्स/अनाथालय				
ब.	अस्पताल				
स.	वृद्धाश्रम / अपंग आश्रम				
17.	नारायण सेवा				
18.	पशु चिकित्या शिविर				
19.	चिकित्सा शिविर				
20.	नेत्र शिविर				
21.	आपके द्वारा सम्हाले हुए वृद्धाश्रमों की संख्या				
22.	लक्षार्चन				
23.	रक्त समूह परीक्षण सर्वेक्षण				
24.	रक्त समूह परीक्षण शिविर				
	अन्य कोई विशिष्ट				

	गतिविधि				
क्र.	सांख्यिकी आंकड़े	पूर्व अर्द्धवार्षिकी की कुल संख्या	पूर्व वर्तमान अर्द्धवार्षिकी की कुल संख्या		
25.	एसाईलम / गांवों की संख्या				
26.	लाभान्वितों की संख्या				
27.	सेवा दल पुरूष की संख्या				
28.	सेवा दल महिला की संख्या				
29.	सुरक्षा सेवा की संख्या				
30.	प्रशिक्षित सेवादल				
31.	पंजीयत युवाओं की संख्या				

	युवा गतिविधियॉ
32.	नाम :
(अ)	लक्षण
(ब)	सदस्यों, सक्रिय सदस्यों और सामान्य नागरिक पर प्रभाव जैसे
(i)	उनके चरित्र व्यवहार इत्यादि में परिवर्तन
(ii)	विभिन्न गतिविधियों में उनकी उपस्थिति :
(iii)	प्रतिकूल प्रवृत्ति को सही करने के लिए तुरन्त प्रयास करना या विचारार्थ लेना
(iv)	गतिविधियों के तेज करने और प्रसार करने के लिए तुरन्त प्रयास करना था विचारार्थ लेना

परिशिष्टि–VII

(नियम 5.3(2),नियम 5.4)

संगठन के पदाधिकारी और समिति के सदस्यों के लिए घोषणा

मैं..पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति.................
निवासी ....और दूरभाष क्रमांक...................................... दृढ़ता

पूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि मुझे श्री सत्य साई बाबा की आध्यात्मिक शिक्षा और उनके व्यक्तित्व में निहित दैवत्व में पूर्ण आस्था है । मैं आचार संहिता के नौ बिन्दुओं के परिपालन का और उनके उद्देश्यों के अनुसरण का इच्छुक हूँ । मै श्री सत्य साई संगठन, भारत के नियमों और विधान से बंधा हूँ और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु श्री सत्य साई समिति द्वारा सौंपे गये सेवा कार्य.. करने का इच्छुक हूँ ।

घोषणा कर्ता

....

परिशिष्ट–VIII

(नियम 3.1.2 नियम 5.1.3(3)

स्टडी सर्किल

1. **साधकों या भक्तों के लिए स्टडी सर्किल के विषयः–**

II-''व्यवसायियों एवं शिक्षाशास्त्रियों के लिए स्टडी सर्किल''

इस स्टडी सर्किल में चर्चा विद्वतापूर्ण स्तर पर होगी । इसका उद्देश्य मतभेदों पर सोच विचार करने की अपेक्षा समझदारी से समरूपता पाना है । केवल

ज्ञानी वक्ताओं को ही ऐसी सभाओं में आमंत्रित किया जाये जिनका दृष्टिकोण व्यापक हो, अपेक्षाकृत उनके जो अपने विचारों से रूढ़ीवादी हैं ।

1. शिक्षा का अंत चरित्र है । 2. विद्या का अंत प्रेम है ।

3. ज्ञान का अंत मुक्ति है । 4. संस्कृति का अंत सम्पूर्णता है ।

5. प्रेम का धर्म और मानवता की जाति । 6. स्वास्थ्य ही सम्पत्ति है ।

7. योग और ध्यान की भूमिका । 8. अनुशासन अर्थात सम्पूर्णता का साधन ।

9. नैतिकता–उन्नति का आधार । 10. आत्मविश्वास ईश्वर में विश्वास का मूल ।

11. सर्वजन से सच्चा प्रेम हमें ईश्वर के पास लाता है । 12. चार F ।

13. इच्छाओं पर नियंत्रण । 14. त्रिकारण शुद्धि, मन,वचन और कर्म ।

15. विज्ञान एवं आध्यात्म । 16. मानवीय मूल्य–साई मिशन के पांच आधार स्तम्भ ।

17. शांति की खोज । 18. भगवान का जीवन एवं शिक्षाएं ।

19. सनातन धर्म । 20. कौन बलवान है कर्म या भाग्य ''कर्म या प्रारब्ध ।

21. विद्यार्थी की पीढ़ी में सुधार के लिए शिक्षक एवं पालक की भूमिका । 22. मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता ।

23. श्री सत्य साई शिक्षा । 24. भागवत गीता और उसकी शिक्षाएं ।

25. मुख्य दस उपनिषद । 26. धार्मिक श्रद्धा की एकता ।

27 दैनिक जीवन में आध्यात्म । 28. शिक्षा संबंधी अनुशासन ।

29. राष्ट्रीय एकता । 30. ध्यान एवं उसका अभ्यास ।

31. मातृभूमि से प्यार ।

32. विनयशीलता विद्या का आभूषण है ।

33. प्रेम का अस्तित्व देने में और क्षमा करने में है ।

34. हमारी मातृभूमि का इतिहास एवं संस्कृति।

35. मन एवं इंद्रिय निग्रह ।

36. गुरू भक्ति ।

37. कर्म और धर्म ब्रह्म को जानने की ओर ले जाता है ।

38. पूर्ण शरणागति ।

39. महावाक्य ।

40. हमारी आदतें और शिष्टाचार ।

41. जीवन और उपदेश ।

42. समाज सुधार में बुद्धिजीवियों की भूमिका ।

43. सफलता के रहस्य ।

III-ग्रामीण एवं उद्योग कर्मियों के लिए स्टडी सर्किल

अंधविश्वास और पूर्वाग्रह का बुरा प्रभाव, परस्पर चर्चा से समाप्त होना चाहिए । इस वर्ग के लोग व्यावहारिक और सरल धर्म चाहते हैं । जो उनके सम्पर्क को सहकार, दयालुता और भावों की उदारता से मार्गदर्शन दे ।

———00———

परिशिष्ट–IX

(नियम 5.13(6)(b) 8)

पालक को पत्र

(क्षेत्रीय भाषा में)

प्रेषक

श्री सत्य साई समिति

शैक्षणिक विभाग

....

प्रति,

श्री सत्य साई बाल विकास बच्चों के पालक,

प्रिय श्रीमान / श्रीमती,

एक पालक होने के नाते व्यग्रता से आप यह देख रहे होंगे कि किस तहर आजकल युवाओं की शक्ति और बुद्धि के सही दिशा में न मोड़ने के कारण विद्यार्थी जगत में किस तहर अनुशासन की महत्ता में कमी , स्कूल में अपने शिक्षकों के सही सम्मान में कमी और घर में बड़ों के प्रति आदर में कमी परिलक्षित हो रही है ।

इस अस्वस्थ परिपाटी को ठीक करने के लिए बच्चों में प्रारंभिक उम्र से उनके मन बुद्धि को ढालना बहुत आवश्यक है जिसके बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का स्थायी व संतुलित रूप से समावेश हो सके । जैसे गीली मिट्‌टी को आकार देना आसान होता है उसी प्रकार छोटी उम्र के बच्चों को चरित्र निर्मार्ण हेतु सही दिशा देना सहज व स्वाभाविक है ।

इस महत्वपूर्ण उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु श्री सत्य साई संगठन द्वारा 5 से 15 आयु समूह के बच्चों के लिए बाल विकास कक्षाएं संचालित की जाती है जहां उन्हें ग्रन्थ श्रुति पाठ, भजन, नैतिक कहानियॉ , जप, ध्यान इत्यादि के निर्देश सरल प्रक्रिया से समझाये जाते है।

हमारा यह अनुभव है कि अनुकूल परिस्थितियों में जो भी बच्चे इस पाठ्‌यक्रम का अध्ययन करेंगे, निम्न रूप से लाभान्वित होंगे :–

1. माता पिता एवं घर के अन्य बड़ों हेतु उचित आदर ।
2. स्कूल शिक्षा हेतु सही लगन और स्कूल के अध्यापकों का उचित आदर ।
3. पोशाक संबंधी , स्कूल और समाज में व्यवहार संबंधी अच्छा सद्‌व्यवहार ।
4. आत्म विश्वास ।
5. अच्छी आदतें, नम्रता इत्यादि ।
6. उत्तम नैतिक चरित्र ।

7. अध्ययन, कार्य, खेल और प्रार्थना हेतु समय का योजना बद्ध सही सदुपयोग ।

8. जरूरत मंद लोगों की सेवा हेतु उत्साह ।

9. उस परमात्मा में आस्था जो हमें सच्चा, ईमानदार, प्रेममय और सेवाभावी बनाना चाहते हैं ।

स्पष्टतः इन गुणों का बच्चों में विकास तभी हो सकता है जब बच्चा इन निर्देशों के कार्यक्रम में संतोषप्रद रूप से संलग्न हो । जैसा कि हमने अनुभव किया है कि बच्चों के पालक से प्राप्त मदद और सहयोग से बाल विकास गुरू अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकता है ।

आपसे वांछित मदद और सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए इस पत्र के साथ एक सहमति पत्र संलग्न है, जिसे आपको भरकर देना है जो अपने बच्चों में अच्छे नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं ।

यह संगठन आपकी सराहना करता है यदि आप इस मूल पत्र पर हस्ताक्षर कर हमारे प्रयत्न में अपनी सहमति देकर अपने बच्चे के एक मित्र, शुभचिंतक और पथ प्रदर्शक बनकर उनके उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए, साथ ही समाज को कुछ अच्छा देने के लिए तैयार करें ।

आपका, साई सेवा में

....

द्वारा, श्री सत्य साई समिति

शिक्षा विभाग

....

पालक की सहमति
(क्षेत्रीय भाषा में)

बाल विकास कक्षा क्रमांक............................में उपस्थित रहने की इच्छा मेरे बालक कुमार/कुमारी..................................ने व्यक्त की है। मैं श्रीमती/श्री.......................................बाल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा मेरे बच्चों का अधिकतम लाभ

सुरक्षित रखने के लिए अपना पूर्ण सहयोग और मदद का आश्वासन देते हुए, निम्न बातों का ध्यान रखूंगा :–

1. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरा बच्चा समय से , नियमित कक्षा में उपस्थित रहे ।

2. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि बाल विकास कक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाया गया है इस की व्यक्तिगत जानकारी रखूँ और गुरू को इस बात में सहयोग प्रदान करूंगा कि बच्चा पाठ्यक्रम के लाभ से पूर्णतः अवगत हो ।

3. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरा बच्चा नियमित रूप से घर पर भजन, जप ध्यान इत्यादि करे एवं आध्यात्मिक डायरी को नियमित भरने के अभ्यास को पूर्ण करता है ।

4. मैं अपने बच्चे की संगति पर ध्यान दूंगा कि बच्चा बुरी संगत में संलग्न न हो, क्योंकि ऐसा करने से बाल विकास पाठ्यक्रम के अच्छे प्रभाव पर बुरा असर होगा ।

5. मैं बाल विकास गुरू द्वारा आयोजित बैठक/आयोजनों में निश्चित रूप से, जब कभी आमंत्रित किया जायेगा, उपस्थित रहूंगा ।

6. मेरे बच्चे से संबंधित समस्या के निवारण हेतु जब कभी बाल विकास गुरू मेरे घर आयेंगी मैं उनके साथ पूर्ण सहयोग करूंगा ।

दिनांक.................... ....

पता.................................. (पालक के हस्ताक्षर)

....

टेलीफोन नं............................ पालक का नाम...............................

मोबाईल नं.............................

ओम श्री साई राम

श्री सत्य साई बाल विकास..

(समिति का क्रमांक एवं पता)...

ग्रुप I/II/III प्री सेवा दल 20....................................का नामांकन प्रारूप

गुरू का नाम..

नामांकन क्रमांक...

बच्चे का नाम (कुमार/कुमारी)...

आयु एवं जन्म तिथि...

पालक/अभिभावक का नाम ....

निवास का पूरा पता..

....

....

....

टेलीफोन नंबर..

ई–मेल..

व्यवसाय..

मोबाईल नंबर..

यदि पालक समिति के सदस्य

हों तो उसका नाम एवं पता...

....

....

पालक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–X

(नियम 5.14)

प्रशांति ध्वज के लिए मार्गदर्शन

प्रशांति ध्वजारोहण के लिए मार्गदर्शन :–

1. प्रशांति ध्वज को आध्यात्म का प्रतीक माना जाये ।

2. ध्वज का उपयोग केवल विशिष्ट कार्यक्रम के दौरान करना चाहिए न कि साप्ताहिक भजन या मासिक बैठक के दौरान । उसे समिति संयोजक या जिला पदाधिकारी के संरक्षण में रखना चाहिए ।

अ. समिति के वर्ष गांठ समारोह में प्रशांति ध्वज फहराया जाना चाहिए ।

ब. जिला स्तर के किसी महत्वपूर्ण समारोह में ।

स. भगवान के जन्म दिवस समारोह और ईश्वराम्मा दिवस या प्रशांति के त्यौहार के अवसर पर ।

ध्वजारोहण की प्रक्रिया :–

(i) एक खम्भा (ध्वज हेतु) (लोहे का पाइप या फराशा का खम्भा) जिसमें हुक या छोटी चरखी उपर में लगी हो । ध्वज को छत के उपर या पेड़ के उपर या बिजली के खम्भें में नही फहराना चाहिए ।

(ii) ध्वज को सफाई से तह किया जाकर और अंदर फूल की पंखुड़ियॉ और उपरी रस्सी पर गठान जिसमें लाल रंग का धागा या रिबन ध्वज के नीचे की ओर लगा हो (ध्वज के निचले हिस्से के संकेतक के रूप में) तब उसे ध्वज के खम्भे के उपर उठाया जाये ।

(iii) एक तरफ पुरूष और दूसरी ओर महिलाएं लाईन से खड़ी हों, दोनों आपस में मिले नहीं और न ही अव्यवस्थित ढंग से खड़े हों ।

(iv) सामान्यतः एक वरिष्ठ या संगठन का वरिष्ठतम सदस्य या पदाधिकारियों द्वारा चुने गये किसी व्यक्ति को ध्वजारोहण हेतु नामांकित किया जाना चाहिए । रंगीन रिबन लगी हुई रस्सी ध्वजारोहण करने वाले व्यक्ति के हाथ में होगी और स्कार्फ पहने सेवादल द्वारा उनका पथ प्रदर्शन किया जायेगा ।

(v) सूर्चोदय के पश्चात ही ध्वजारोहण किया जाये । सूर्यास्त के पहले उसे उतार लिया जाये ।

(vi) ध्वजारोहण के पूर्व ''असतो मॉ सद्गमय''................श्लोक उच्चारित किया जाये अन्य श्लोक (ओम तत्सत्, ओम जय जगदीश) आरती के साथ नहीं कहें । श्लोक के अन्त में ध्वजारोहण करें । सभी ध्वज को आदर दें ।

(vii) दिवस के कार्यक्रम के अन्त में, सूर्यास्त के पहले, ''ओम जय जगदीश हरे'' की आरती करने के पश्चात स्कार्फ धारी सेवादल द्वारा ध्वज को उतारा जाये । यदि दूसरे दिन भी कार्यक्रम जारी रहना हो तो स्कार्फधारी सेवादल को

सूर्योदय के समय ध्वजारोहण करना चाहिए और दिन की समाप्ति पर एक सेवादल द्वारा आरती और आरती गान के साथ ध्वज उतारा जाये ।

(viii) उपरोक्त कार्यवाही के किसी भी समय या दशा में ध्वज को जमीन से स्पर्श न होने दिया जाये ।

(ix) प्रशांति ध्वज को उतारने के बाद उसे रस्सी से अलग कर सफाई से तह करें और संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी की सुरक्षा में आदर पूर्वक रखा जाये ।

(x) प्रशांति ध्वजारोहण प्रान्ताध्यक्ष या प्रान्ताध्यक्ष द्वारा नामांकित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है । प्रान्ताध्यक्ष की अनुपस्थिति में जिलाध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे । जिलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति संयोजक द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा ।

———00———

परिशिष्ट–XI

अण्ड–I(नियम 5.15)

खण्ड–II

(नियम 5.15)

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने हाल ही में प्रतीक एवम नाम(अनुचित उपयोग निरोध) अधिनियम 1950 की अनुसूची में संशोधन कर उसमें इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित को आरक्षित प्रतीक एवं नाम अधिसूचित किया है :–

1. श्री सत्य साई सेन्ट्र्ल ट्र्स्ट ,
2. नीचे दिये गये प्रतीक,

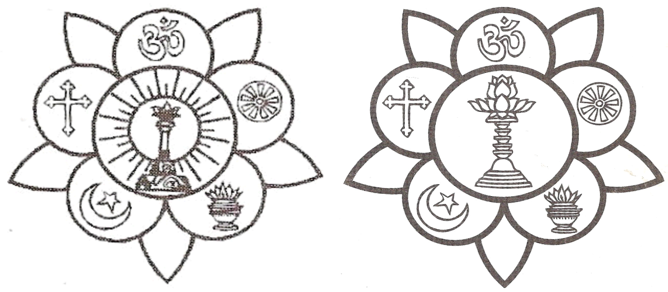

3. श्री सत्य साई ,

उपरोक्त के अनुसार कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यापार, व्यवसाय, पेशा, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, डिजाईन आदि के लिए इन नामों/प्रतीकों या उनके रंगीन नकलों का उपयोग केन्द्र सरकार की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा । इसके विरूद्ध आचरण करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ दण्डित करने हेतु कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

अभी यदि कोई व्यक्ति उपर दिये प्रतीक और नामों का उपयोग उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कर रहा है तो उसे अधिसूचित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से इन नामों/प्रतीकों का उपयोग बंद कर दे ।

दिनांकः–22 जुलाई 2004

सेक्रेटरी
श्री सत्य साई सेंट्र्ल ट्र्स्ट,
प्रशांति निलयम,
अनन्तपुर जिला,
आंध्रप्रदेश

परिशिष्ट–XII

काल कमानुसार श्री सत्य साई संगठन, भारत का इतिहास

- लगभग 45 वर्ष तक भाग्यशाली भक्त जिन्हें भगवान श्री सत्य साई बाबा की निकटता प्राप्त थी और जो उनके दिव्य चरणों के समीप एकत्रित होते थें, भगवान की दिव्यता का अनुभव और चरित्रार्थ कर रहे थे, भजन, सेवा गतिविधियॉ और अपने संबंधित क्षेत्रों में भगवान बाबा की शिक्षाओं के अनुसार आध्यात्मिक गतिविधियों को चला रहे थें , जिसके परिणाम स्वरूप परमसुख का आनन्द वे ले रहे थे।
- प्रथम बार 18 मार्च 1963 को प्रशांति निलयम में श्री सत्य साई भजन केन्द्र का उद्घाटन दैवीय उपस्थिति में व्यवस्थित और नियमित रूप से नियम और विधान के अनुसार किया जाना सुनिश्चित हुआ । कुछ वर्षो में ऐसी भजन मंडलियॉ आन्ध्रप्रदेश , तमिलनाडु, कर्नाटक ओड़िसा, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, पंजाब, इत्यादि के विभिन्न भागों में अस्तित्व में आयी ।
- अगस्त 1965 में बम्बई (अब मुम्बई के नाम से ज्ञात) में भक्तों ने एक पंजीकृत समूह का गठन किया जो कि भगवान बाबा की विभिन्न शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के लिए एक पंजीकृत समूह का गठन कर पंजीकरण पत्र उसी वर्ष दशहरा समारोह में भगवान के चरण कमलों में समर्पित किया । इस समूह को सर्वप्रथम श्री सत्य साई सेवा समिति कहा जा सकता है । देश के विभिन्न भागों से आये भक्तों को प्रशांति निलयम में जन्म दिवस समारोह के लिए एकत्रित हुए थे उन्हें मुम्बई समिति के गठन के बारे में जानकारी होने पर अपने–अपने क्षेत्रों में समान इकाई गठन के लिए तत्पर हुए ।
- अप्रैल 1967 (अब्बट्सबरी) मद्रास, प्रथम भारतीय सम्मेलन :– इस तरह बनी सभी समितियों को एक शैली में लाना । श्री सत्य साई संगठन का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अप्रैल 1967 में अब्बट्सबरी, मद्रास (अब चेन्नई के नाम से ज्ञात) में हुआ जहॉ आवश्यक नियम एवं

विधान सूत्रबद्ध किये गये, जिससे सभी समितियॉ प्रभावशील रूप से चलाये जाने हेतु एक सामान्य समूह/संगठन में शामिल की गई । भवगवान ने अपने भक्तों का आवहान किया ''दृढ़ता पूर्वक एकता के साथ ईश्वर की खोज में आगे बढ़ो '' । उन्होंने अपने भक्तों को अपने साथियों के हृदय में स्थित दिव्यता की पूजा करने को कहा जो दुखी और पीड़ित हैं और जिन्हें मदद की अत्यन्त आवश्यकता है, उन्हें विभिन्न प्रकार से सेवा प्रदान करने को कहा ।

- **मई 1968 बम्बई, प्रथम विश्व सम्मेलन एवं द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलनः**—यह स्वीकार किया गया कि भजन, नगर संर्कीतन और अध्ययन मंडल यदि सही रीति से चलाये जायें तो वह लोगों के हृदय में भगवान के प्रति विश्वास दृढ़ कर उनकी भक्ति में वृद्धि करेगा । सेवा दल की आवश्यकता अनुभव की गई ।

- **नवम्बर 1969 प्रशांति निलयम, तृतीय अखिल भारतीय सम्मेलनः**—महिला विभाग और बाल विहार बनाने का निर्णय लिया गया ।

- **नवम्बर 1970 प्रशांति निलयम चतुर्थ अखिल भारतीय सम्मेलनः**—भगवान ने घोषणा की, कि स्वार्थ रहित सेवा आध्यात्मिक प्रगति की पहली सीढ़ी है और यदि सेवा प्रेम और सहनशीलता के साथ की जाये तो संसार में शांति और समृद्धि होगी और ऐसा कृत्य उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रिय होगा । सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए आधार मार्गदर्शी बिन्दु तय किये गये ।

- **दिसम्बर 1971 मद्रास, पॉचवा अखिल भारतीय सम्मेलनः**—स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं प्रारंभ की गई । बाल विहार का नाम बालविकास किया गया एवं ''शिक्षक'' शब्द को'' ''गुरू'' में परिवर्तित किया गया । संगठन के विभिन्न विभाग जैसे भजन मंडली, अध्ययन मंडल, सेवा दल, महिला विभाग और बालविकास को श्री सत्य साई संगठन के संरक्षण में काम करना था न कि स्वतन्त्र रूप से ।

- **1974 राजमुन्द्री (आं.प्र.) छटवां अखिल भारतीय सम्मेलनः** —संगठन के कार्यवाही को एक निश्चयात्मक आव्हान किया गया कि भक्ति, अनुशासन और कर्त्तव्य से अपनी साधना गहन कर दूसरों के लिए अनुकरणीय बनें । श्री सत्य साई विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय प्रत्येक राज्य में प्रारंभ हो । विभिन्न राज्यों में व्यवसाायिक संस्था प्रारम्भ हो । समिति अपंजीकृत समूह रहेगी । प्रान्तों को क्षेत्रों में संगठित किया, यदि आवश्यकता हो तो क्षेत्रीय संयोजक, प्रान्ताध्यक्ष का सहयोग करेगा ।

- **1975 प्रशांति निलयम, द्वितीय विश्व सम्मेलन और सातवॉ अखिल—भारतीय**

सम्मेलन :–

एक घोषणा सभी प्रतिनिधियों से की गई कि अन्तर में छिपे दिव्यत्व को अपने दैनन्दिन जीवन में सत्य, सद्भाव, शांति और प्रेम के अभ्यास से चरितार्थ करें । संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव को माधव बनने के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना है । सभी धर्मो और जाति के लोगों को संगठन स्वीकार्य योग्य बनाये । यह चरितार्थ करें कि सभी धर्मो की पवित्र राह एक ही लक्ष्य तक जाती है । धर्म क्षेत्र, बम्बई में श्री सत्य साई संगठन का विश्व परिषद बनाया जाये ।

- **1977 प्रशांति निलयम, आठवॉ अखिल भारतीय सम्मेलन :–**

इस सम्मेलन में पहली बार सर्वोच्च महत्ता व्यक्तिगत साधना को दी गई । यह बताया गया कि प्रत्येक सेवक और उसका पारिवारिक सदस्य अपनी व्यक्तिगत साधना पूर्ण भक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ करे तभी जाकर वे दिव्यता की व्यापकता और भजन का आंतरिक महत्व समझ सकेंगे । प्रतिनिधियों को यह सलाह दी गई कि वे सेवा कार्य करें ताकि सभी पहलू में दैवत्व की झलक प्रतिबिम्बित हो ।

राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी का गठन और बालविकास के कार्यो का पर्यवेक्षण ।

- **1980 प्रशांति निलयम, तृतीय विश्व सम्मेलन और नौवॉ अखिल भारतीय सम्मेलन :–**

द्वार द्वार तक, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को परिचित कराने और अध्ययन मंडल का व्यापक तौर से संपादन । अर्थात् (अ) कृषि एवं औद्योगिक सेवकों, (ब) भक्त और (स) शिक्षाविद और समाज के बुद्धिजीवी , कर्म, भक्ति, और ज्ञान जैसे विषयों को लेकर । इन सभी का उद्देश्य लोगों में आध्याात्मिक विचार लाना और भगवान बाबा द्वारा चलाई जा रही मौन आध्यात्मिक क्रान्ति में भाग लेना । धर्म क्षेत्र से विश्व परिषद का कार्यालय हटाकर प्रशांति निलयम में लाना ।

इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि नियम और विधान की पुस्तक में संगठन के 6(छह) स्थायी उद्देश्य और आचार संहिता के नौ (9) बिन्दुओं को शामिल कर एक विशेष अध्याय जोड़ा जाये । संगठन के

सदस्यों की प्रार्थना के प्रत्युत्तर में भगवान ने अपने अनन्त अनुग्रह और दया से स्थायी राजपत्र (चार्टर) संगठन को प्रदाय किया जो कि तत्समय के विश्व संगठन ने 14.1.1981 को प्रकाशित किया । उसमें संगठन के निम्नलिखित 6 (छह) स्थायी उद्देश्य और संगठन के सदस्यों के पालनार्थ 9 बिन्दुओं की आचार संहिता थी :–

- **संगठन के 6(छह) स्थायी उद्देश्य : –**

1. श्री सत्य साई बाबा का अवतरण जैसा कि उनके द्वारा घोषित किया गया है, सनातन धर्म की स्थापना के लिए हुआ है ।

2. यह विश्व संगठन आध्यात्मिक संगठन है जो कि सम्पूर्ण मानवता में मानवीय उत्कृष्ठता को पल्लवित करने के लिए है न कि धर्म, जाति, रंग या मत के आधार पर मतभेद या अलगाव को चिन्हित करने के लिए ।

3. इस संगठन का उद्देश्य सभी सनातन धर्म को प्रतिस्थापित और सनातन धर्म के सार को प्रोन्नत कर और एकत्व (एकता) जो सभी धर्मो का मूल है, साई दर्शन को स्थापित करना है ।

4. संगठन का आधार भूत उद्देश्य जैसा कि भगवान ने प्रतिपादित किया है ''मानव में अंतर्निहित दैवत्व को सत्य, धर्म (सदाचरण) शांति और प्रेम के सिद्धान्तों को दैनिक जीवन में अभ्यास और उदाहरण द्वारा प्रचारित करना ।

5. इस दैवत्व को अनुभव करने के लिए केवल वाह्य वातावरण और परिस्थितियॉ ही पर्याप्त नहीं है वरन् मानव के मन में परिवर्तन आवश्यक है । इसे संगठनात्मक वातावरण के जरिए अनुभव एवं अभिव्यक्त किया जा सकता है ।

6. इस सगंठन की गतिविधियॉ ही इस दिशा में आध्यात्मिक प्रगति का माध्यम हैं । यह प्रगति अन्ततः सभी को जीवन की कठिनाइयों और जीवन के उतार चढ़ाव को सहकर आन्तरिक शांति का आनन्द प्राप्त करने में सक्षम बनायेगी ।

इन उद्देश्यों की अधिकतम परिणाम प्राप्ति के लिए संगठन को कठोर प्रयास करना होगा :–

1. व्यक्ति की सहायता के लिए

(i) उसमें अंतर्निहित दिव्यता को ध्यान में रखकर उसी अनुसार आचरण

करे ।

(ii) दैविक प्रेम, श्रेष्ठता को दैनिक जीवन में तदनुसार आचरण करें ।

(iii) सभी के जीवन में आनन्द, समरसता, सौंदर्य, गरिमा, मानवीय श्रेष्ठता और अनन्त प्रसन्नता भरे ।

2. यह सुनिश्चित करे कि सभी मानवीय संबंध सत्य, धर्म (सदाचरण) प्रेम, शांति और अंहिसा के सिद्धांतों के अनुरूप शासित हो, एवं

3. धर्म के मूल तत्व को समझते हुए किसी भी धर्म के भक्तों द्वारा उनके स्वयं के धर्म का अधिक निश्छलता और समर्पण से अभ्यास ।

भगवान ने अपनी असीम अनुकम्पा से आचार संहिता के 9 बिन्दुओं का दिव्य निर्देश जारी किया जिसे संगठन के सभी सदस्यों को अपनी साधना (आध्यात्मिक अनुशासन) में दैनन्दिन जीवन का अविभाज्य अंग बनाना होगा

''आचार संहिता के 9 बिन्दु''

1. दैनिक ध्यान एवं प्रार्थना ।
2. सप्ताह में एक दिन परिवार के सदस्यों के साथ भजन/प्रार्थना ।
3. संगठन द्वारा संचालित बाल विकास कार्यक्रम में परिवार के बच्चों द्वारा भाग लेना ।
4. संगठन द्वारा संचालित भजन या नगर संकीर्तन में माह में कम से कम एक बार उपस्थित ।
5. संगठन की समाज सेवा गतिविधियों और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना ।
6. साई साहित्य का नियमित अध्ययन ।
7. जिस किसी के सम्पर्क में आयें उससे धीमी और मधुरता से बात करना ।
8. किसी की निन्दा नहीं करना विशेषतः उनकी अनुपस्थिति में ।
9. ''इच्छाओं पर नियंत्रण '' के सिद्धांत को व्यवहार में लाना और इससे हुई बचत को मानव सेवा में लगाना ।

- **6 जुलाई 1982, 60 वें जन्म दिवस समारोह हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समिति :–**

इस विकास चरण में संगठन के वरिष्ठजनों ने भगवान बाबा के 60 वें जन्म दिवस समारोह के विषय में विचार शुरू किया । वे इस राय पर थे कि एक दिन या एक सप्ताह का समारोह हमारे आनन्द के लिए पर्याप्त नहीं होगा । हमारे

भगवान का जन्म दिवस मनाना तभी सही होगा जब अवतार के आगमन के उद्देश्य को यथार्थ रूप देने के लिए भगवान की शिक्षाओं को दैकिन जीवन में उतारा जायें । इस प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समिति का गठन 60 वें जन्म दिवस समारोह के तीन वर्ष पहले किया गया । 6 जुलाई 1982 गुरूपूर्णिता के पावन दिन 60 वें जन्म दिवस समारोह समिति ने तीन वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सेवा गतिविधियों को चलाना तय किया ।

- **नवम्बर 1982 प्रशांति निलयम, दसवॉ अखिल भारतीय सम्मेलन और संगठन के चार उद्देश्य जो 60 वें जन्म दिवस समिति द्वारा सूत्रबद्ध किये गये :**

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सेवाओं के मानव घंटो को बढ़ाना ।

2. भगवान की शिक्षाओं में लोगों का विश्वास और आध्यात्मिक आधार को दृढ़ और गहरा करने के लिए विविध आध्यात्मिक विधियॉ उन्नत करना ।

3. साई संदेश को फैलाना जो दिव्य, उत्कृष्ठ, और स्वभाव में एकीकृत है और आज के टुकड़ो में बंटे समाज और उसकी पीड़ा में मरहम का काम करेगा ।

4. इच्छाओं पर नियंत्रण को उन्नत करना और दैनिक जीवन में भगवान की शिक्षाओं को प्रयोग में लाना ।

उपरोक्त उद्देश्यों का आंतरिक महत्व व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान की व्याख्या करना है । उपरोक्त चार उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संगठन के विभिन्न विभागों के लिए विविध सेवा गतिविधियों को सूत्र बद्ध किया गया ।

- **दिसम्बर 1983 प्रशांति निलयम (अन्तर्राष्ट्रीय बाल विकास रैली) :**

  नवम्बर 1984 प्रशांति निलयम (अन्तर्राष्ट्रीय सेवा दल सम्मेलन)

और नवम्बर 1985 प्रशांति निलयम (चौथा विश्व सम्मेलन और ग्यारहवॉ अखिल भारतीय सम्मेलन) :

उपरोक्त घटनाएं भगवान के 60 वें जन्म दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम तीन वर्ष की अवधि तक विस्तारित रही । यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि वर्ष 1984 और 1985 सम्मेलन के दौरान सम्पूर्ण विश्व आश्चर्य में डूब गया जब श्री सत्य साई तालुका के सभी ग्रामों में विभिन्न शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं अर्पित की गई । वर्ष 1984 में सेवा दल सम्मेलन के दौरान संगठन के विभिन्न विभाग जैसे भजन मंडली, सेवादल, अध्ययन मण्डल, महिला विभाग सेवादल , बाल विकास इत्यादि को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया : (1) आध्यात्मिक विभाग, (2)सेवा विभाग और, (3) शैक्षणिक विभाग ,

चतुर्थ विश्व सम्मेलन में प्रतिनिधियों को मानवता की एकता तक पहुंचने के लिए 60 वे जन्म दिवस समारोह की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा प्रतिपादित चार उद्देश्यों के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए संदेश दिया ।

नये बनाये गये तीनों विभागों को चार उद्देश्यों की अनुकूलता के अनुसार सेवाएं चलायी जानी होंगी , ताकि समाज में इसे सफलता पूर्वक प्रस्तुत किये जाने के पूर्व संगठन में एकजुटता लायी जा सके । इस अवसर पर इस बात पर जोर दिया गया कि आध्यात्मिक आधार, लोगों में सुदृढ़ और विस्तारित करना, हमारे चार उद्देश्यों में से किसी एक सेवा गतिविधि का होना चाहिए ।

इस मोड़ पर विभिन्न गतिविधियों को बढ़ाने की दृष्टि से जिला स्तर पर 13 पदाधिकारियों का नामांकन किया गया । कुछ समय पश्चात यह पाया गया कि पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि न केवल कार्य में बाधक बनी वरन् संगठन में समय समय पर मतभेद का कारण भी बनी । भगवान बाबा ने संगठन की संरचना में वर्ष 1987 में परिवर्तन लाकर, सदस्यों को दैविक उद्देश्यों में योग्य उपकरण बनाने के लिए इसे शुरूआत में ही रोक दिया ।

- **नवम्बर 1987, प्रशांति निलयम ऑल इंडिया एक्टिव वर्कर्स कान्फेरेंस(12वॉ अखिल भारतीय सम्मेलन)**

बारह वर्षो के अपने अस्तित्व के बाद विश्व परिषद को भंग कर दिया गया । अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष को विदेशी इकाइयों को मार्गदर्शन और परामर्श के लिए नामांकित किया गया । ऑल इंडिया प्रेसीडेंट को भारत की इकाईयों के मार्गदर्शन लिए नामांकित किया गया । संगठन को एक संरचना प्रदान की गई । मूल मार्गदर्शी बिन्दु तैयार किये गये । अखिल भारतीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर तीनों विभागों के समन्वयक एवं क्षेत्रीय स्तर पर चार केन्द्रीय समन्वयक सहायता करेंगे । प्रत्येक राज्य के लिए एक प्रान्तीय अध्यक्ष अपने राज्य की इकाईयों को मार्गदर्शन देंगे और राज्य स्तर की तीन महिला समन्वयक राज्य स्तर के तीनों विभागों की सहायता करेंगे और राज्य समन्वयक राज्य के तीन आबंटित जिलों के लिए प्रभारी होंगे । जिला स्तर के सभी पद समाप्त कर दिये गये । समिति स्तर पर एक समिति संयोजक होगा जिसकी सहायता तीनों विभागों के समन्वयकों द्वारा की जायेगी । सभी सक्रिय कार्यकर्ता समिति के सदस्य होंगे । समिति स्तर की शिक्षा विभाग प्रभारी महिला होगी जो सक्रिया महिला कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करेंगी ।

- **संगठन के लिए दिव्य मार्गदर्शन :**

संगठन के सदस्यों को दिनांक 19, 21 और 24 नवम्बर 1987 को

15 फरवरी 1988 और 30 जुलाई 1988 को भगवान द्वारा दिये गये दिव्य प्रवचन, सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए आधारभूत दिशानिर्देश हैं ।

- **1988 सम्पूर्ण भारत में संगठन की रजत जयंती समारोह :**

संगठन का रजत जयंती समारोह सम्पूर्ण देश में 1988 के दौरान मनाया गया । आन्ध्रप्रदेश की इकाइयों ने वर्ष भर एक अनूठे और प्रभावशाली तरीके से मनाया और चरमोत्कर्ष में उन्होंने प्रशांति निलयम में एक वृहद रैली व प्रभावशाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन, दिव्य उपस्थिति में एवं श्री सत्य साई तालुका के चयनित गांवों में किया ।

- **नवम्बर 1990 प्रशांति निलयम, पांचवा विश्व सम्मेलन और तेरहवॉ अखिल भारतीय सम्मेलन** :

सम्मेलन ने दिव्य राजपत्र (चार्टर) पर दृढ़ रहना, आचार संहिता के 9 बिन्दु और संगठन के नियम एवं विधान को संगठन के विकास का सुनिश्चित मार्ग बताया । जिन क्षेत्रों, जिलों में वर्तमान में कोई समिति नहीं है वहॉ एक समिति या भजन मंडली स्थापित करने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि सेवादल और बाल विकास कार्यक्रमों को उन्नत किया जाये तथा यथा सम्भव अधिक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लिया जाये । भगवान ने 24 नवम्बर 1990 को स्पष्ट घोषणा प्रतिनिधियों से की तुम '' तुम सभी को अपने मित्रों और संबंधियों को संगठन में शामिल करने के लिए उपकरण बन जाना चाहिए और इस प्रकार समाज की सेवा में खुशी और प्रेम का आनन्द प्राप्त कर दिव्य अनुग्रह और प्रेम पाना चाहिए ।

- **नवम्बर 1995 प्रशांति निलयम, छटवॉ विश्व सम्मेलन और चौदहवॉ अखिल भारतीय सम्मेलन :**

इस सम्मेलन में संगठन के विकास के लिए 9 बिन्दुओं के प्रस्ताव पर गहन आध्यात्मिक तैयारी पर जोर दिया गया । भगवान की स्पष्ट घोषणा, हानिकारक आदतों को त्यागो, जैसे धूम्रपान, नशीले पदार्थो का सेवन, मांसाहारी भोजन और जुआ खेलना : संगठन की गतिविधियों के लिए समय और उपयोग में बढ़ोत्तरी एवं मन, वचन और कर्म में एकरूपता का अभ्यास । निजी , कार्यालयीन और संगठन के कार्यो में मानसिक बाधाओं को हटाना । प्रत्येक कार्य को ईश्वर का कार्य स्वीकारना । कर्म करना और जीवन के समस्त कार्यो का स्वामी को समर्पण । नकारात्मक सोच और अन्य को दुख पहुंचाये बिना व्यक्तिगत साधना । संगठन में विभिन्न पदों पर कार्यरत लोगों के प्रति ऊंच–नीच का भेद नहीं करना और भगवान द्वारा चुने गये प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान रखना । प्रत्येक सदस्य

में दिव्यता का अनुभव करना और संगठन की प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की गतिविधि के अभ्यास के अनुसार नियमित एवं उत्साह पूर्वक भाग लेना । साधना शिविर के जरिये अपने साथी सदस्यों से समीपता बनाना । भगवान को पत्र लिखकर अन्य लोगों की शिकायत की प्रवृत्ति को छोड़ो । प्रत्येक गतिविधि को ईश्वर को समर्पण करने की योजना बनाओं जो कि व्यक्ति को आध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाती है । हमारे कर्म, संगठन में, व्यक्ति में, समाज और अंत में विश्व में परिवर्तन की ओर ले जाने वाला होना चाहिए ।

- **जुलाई 1997 और नवम्बर 1999 प्रशांति निलयम, पहला और द्वितीय श्री सत्य साई विश्व संगठन का अन्तर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन :**

कई हजार साई युवा उपरोक्त दोनों युवा सम्मेलन में भगवान के दिव्य चरण कमलों में एकत्रित हुए और उन्होंने अपने सम्पूर्ण ज्ञान, निपुणता, बल, समय एवं अन्य सभी संसाधनों को समाज की सेवा में लगाने की शपथ ली । समस्त विश्व के साई युवा अति शक्तिशाली प्रवचन जिसमें आधार निर्देश और मार्गदर्शन भगवान ने साई युवाओं को दिये, वे दिव्य शिक्षा से लाभान्वित हुए । साई युवा अपने पालकों, बुजुर्गो का सम्मान करने एवं स्वयं को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित हुए ।

- **2000 ए.डी.**

नयी शताब्दी का प्रारम्भ भगवान द्वारा मानवीय मूल्यों का बच्चों उनके पालकों और अध्यापकों को उनकी दिव्य योजनाओं के प्रस्फुटन और प्रगटीकरण में सहभागी बनने का साक्षी बना । इसने स्वस्थ जन समुदाय के लिए मार्ग प्रशस्त किया जहॉ पालक और शिक्षक मानवीय मूल्यों के त्रिस्तरीय पालक कार्यक्रम को चहुॅ ओर प्रसारित करने के लिए साथ–साथ कार्यरत थे । विश्व के कई देशों में यह कार्यक्रम पूरी शक्ति के साथ ग्रहण किया गया ।

- **25–29 सिम्बर 2000 प्रशांति निलयम, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ''मूल्य परक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण'' पर प्रशांति निलयम उद्घोषणा''**

  अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय ''शिक्षा के द्वारा सभी के लिए मानवीय मूल्य'' इस पांच दिवसीय सम्मेलन में 78 देशों के 650 प्रतिनिधियों ने अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता और सूचना के आदान प्रदान के विकास के लिए सहयोग किया । भाग लेने वाले अपने संकल्प में मूल्य परक शिक्षा को विश्व में दृढ़ करने के लिए संगठित हुए, सम्मेलन के दौरान भली भांति प्रगट किये गये विचारों की विविधता के बाद भी बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा में सकारात्मक मूल्यों को प्रदान करने हेतु एकमत थे ।

- **प्रशांति निलयम घोषणा 2000,**

सभी बच्चों को श्रेष्ठ और निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्राप्त करने का समान अधिकार है जो कि अच्छा चरित्र और मानवीय उत्कृष्ठता को सामने लायेगा ।

- विश्व की शिक्षा पद्धति में ''मानवीय मूल्य'' सभी पढ़ाये जाने वाले विषयों का अखण्ड भाग हो ।
- सभी सरकारों को ऐसे कानून एवं नियमों को प्रोत्साहित कर विकास करना चाहिए जिससे कि, मूल्यों को शिक्षा में सम्मिलत कर शिक्षकों के प्रशिक्षण, व्यवसायिक विकास और विद्यार्थी के ज्ञानोपार्जन अनुभव कार्यक्रमों का अखण्ड घटक बन जाये ।
- मानवीय मूल्यों पर शिक्षा, शांति और अन्तर्राष्ट्रीय समझ, इसे शिक्षकों के समग्र प्रशिक्षण में सिखाएं ।
- और उपरोक्त को कार्यान्वित करने के लिए प्रशिक्षकों का एक स्वैच्छिक तंत्र, शिक्षा में भागीदार बनकर, प्रशिक्षकों के लिए मानव की उत्कृष्ठता का लक्ष्य रख, विचारों का आदान प्रदान, अनुभव और मूल्यों की शिक्षा को उन्नत करना ।
- प्रशांति निलयम घोषणा पत्र यूनेस्को, युनाइटेड नेशंस और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के समक्ष आगामी विचार विमर्श और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाये ।
- SAI-2000(STANDARDS-ACCREDITION-INSPECTION)

  एक विभागीय अन्तर्राष्ट्रीय मानक दस्तावेज –साई–2000, विश्व के सभी साई स्कूलों के लिए इसका प्रारूप तैयार किया गया ।
- विभिन्न देशों में श्री सत्य साई स्कूल की स्थापना करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय, सामाजिक और संस्कृतिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम विकसित किया गया ।
- विभिन्न देशों में साई शिक्षा के शिक्षकों को तैयार करने एवं प्रशिक्षण के लिए सत्य साई शिक्षा (ISSE) संस्था स्थापित की गई ।
- **नवम्बर 2000, प्रशांति निलयम, सातवॉ विश्व सम्मेलन** :

सातवॉ विश्व सम्मेलन अवतार के प्रगटीकरण के 75 वें वर्ष में हुआ । जिसका विषय पिछले 75 वर्षो में साई के साथ यात्रा ''(Journey with

sai) यथोचित नाम दिया गया । मुख्य बिन्दु जिस पर विचार कर पारित किया गया वे : सदस्य अपने क्षेत्र में व्यक्ति की सेवा पर ध्यान केन्द्रित करें । हमारा व्यवहार एवं गतिविधि ऐसी हों कि हमारी पहचान साई के सेवक के रूप में हो । भगवान प्रत्येक कार्य में हमेशा हमारे साथ हैं, ऐसा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए । समाज के लिए भगवान द्वारा क्या कार्य किये जा रहें हैं, भक्त को इसकी जानकारी होनी चाहिए । जनसामान्य और भक्तों को, भगवान के मानवता के प्रति किये जा रहे प्रेममय और करूणापूर्ण कार्यो की जानकारी देकर शिक्षित करें । साथी व्यक्तियों के लिए अपना प्रेम और ध्यान निरंतर प्रदर्शित करने के लिए चेष्टा करें ।

- **7 वें विश्व सम्मेलन में पारित प्रस्ताव, क्रियान्वन की दिशा एवं अभिप्रायः**

1. समाज का पुनर्निमाण व्यक्तिगत परिवर्तन के द्वारा ही संभव है ,और यह भगवान बाबा तक पहुंचने का मुख्य मार्ग है । व्यक्तिगत परिर्वतन इस प्रकार से लाया जा सकता है :–

(अ) जरूरत मंद को अपना प्रेम, भोजन, कपड़े, दवाईयॉ और शिक्षा देकर ।

(ब) जीवकोपार्जन के आवश्यक साधन उपलब्ध कराकर ।

(स) धीरे–धीरे करके आवश्यक आध्यात्मिक आधार : दैव प्रीति, पापभीति और संघ नीति अर्थात समाज में नैतिकता और साथी जनों से मैत्री पूर्ण व्यवहार ।

(इ) प्रत्येक के द्वारा ईश्वर का पितृत्व और मनुष्य के भ्रातृत्व के भाव को आत्मसात करना ।

(उ) जीवन में अपने साधनों के अन्दर रहने की आवश्यकता को स्वीकार करना । (ceiling on desires)

(म) स्वयं के स्वास्थ्य की अभिरूचि और परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए धूम्रपान और मद्धपान के आदी व्यक्तियों में ऐसी बुरी आदतें त्यागने के लिए कार्य करना ।

2. राह से भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रत्येक को अनुकरणीय चरित्र , पवित्रता और आध्यात्म से उत्पन्न आकर्षण शक्ति रखना चाहिए । यह सब भगवान की शिक्षाओं का अनुसरण करने से पायी जा सकती है :

(अ) हमेशा मृदुभाषा में बात करो । (ब) दूसरों पर दोषारोपण और उन्हें हानि न पहुंचाओं । (स) यथा सम्भव दूसरों की मदद करों ।

3. हमें हमेशा पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे सभी कार्यो में हमारे साथ हैं । ऐसा विश्वास रखने से (i) हम अच्छा कार्य करने से नहीं हिचकिचाएंगे । (ii) हम अपने कार्यो की उपेक्षा नहीं करेंगे जब हम यह महसूस करेंगे कि स्वामी हमें देख रहे हैं । (iii) हम अपने साथी जनों को कम महत्व देने और ठेस पहुंचाने के लिए राजी नहीं होंगे । (iv) हम अपने कार्यो के श्रेय की अपेक्षा नहीं करेंगे और निःष्काम कर्मयोग को प्राप्त करेंगे ।

4. सदस्यों को यह अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान, समाज की भलाई के लिए कार्यरत है, विशेषतः शिक्षा, चिकित्सा, धर्म, मतों की एकता, राजनीति, आर्थिक और समाज की वृहद समझदारी के क्षेत्र में यह सभी सदस्यों द्वारा दिव्य संदेश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सशक्त करेगा ।

उपरोक्त सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए संगठन को अति जरूरतमंद परिवारों को तीन तरह से उचित सहायता पहुंचाने के लिए चुनना होगा ।

(अ) भोजन उपलब्ध कराना, कपड़े और आवश्यकतानुसार चिकित्सा सहायता ।

(ब) जीवकोपार्जन के लिए चुने गये परिवारों को उपयुक्त साधन उपलब्ध कराना ।

(स) अपनी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने वाले सुपात्र और उदीयमान छात्रों की आर्थिक सहायता करना ।

- **जुलाई 2–4–2001 प्रशांति निलयम, अन्तर्राष्ट्रीय ''बाल विकास गुरू'' सम्मेलन (एजुकेयर सम्मेलन)**

श्री सत्य साई एजुकेयर पर भारत और विदेश के श्री सत्य साई संगठन दोनों के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई और यह निर्णय लिया गया कि एजुकेयर (मानव जाति में अन्तर्निहित मानव मूल्यों को बाहर लाना और उनको व्यवहार में लाना) से सभी सदस्यों में, साथ ही सामान्य भक्तों और संगठन की सभी इकाईयों / समिति के बाल विकास बच्चों और पालकों के मध्य प्रचारित किया जाये । बाद में प्रशांति निलयम में भारत के प्रत्येक राज्यों के संकाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाये जो तत्पश्चात अपने देश की भाषा में एजुकेयर कार्यक्रमों चलायेंगे । यह कार्यक्रम बाल विकास और पेरेन्टिंग कार्यक्रम के प्रयासों का अनुपूरक संकल्प बनकर पालक और परिवार के प्रत्येक सदस्य को मूल्यों के अभ्यास और 3HV (विचारों, वचन और कर्म की एकता) के पालन के महत्व से परिचित करायेगी ।

- **नवम्बर 2001 प्रशांति निलयम**

श्री सत्य साई स्कूल का प्रथम विश्व सम्मेलन : – भगवान बाबा के 76 वें जन्मदिवस समारोह से संयुक्त कर इस सम्मेलन का सम्पादन मुख्यतः एक रूप मानदण्ड –SAI 2000 विश्व के सभी साई स्कूलों में प्रचलित करने और सत्य साई एजुकेशन संस्था (ISSE) से सम्बद्ध करने के उद्देश्य से किया गया । भगवान ने कृपापूर्वक एजुकेयर पर अपना दिव्य मार्गदर्शन प्रश्नोत्तर काल ''परिप्रश्न'' में दिया जो भगवान के 76वें जन्मदिवस पर प्रवचन का एक भाग बन गया ।

- **जुलाई 21–23–2002 प्रशांति निलयम अन्तर्राष्ट्रीय सेवा सम्मेलन –2002**

इस सम्मेलन का विषय ''साई सेवा से रूपान्तरण'' (''Transformation through S.A.I.SEVA'' i.e.at Spiritual, Association & Individual levels.'')जैसे आध्यात्मिक साहचार्य और व्यक्तिगत स्तरों (इस तीन पथ के जरिये समझा जा सकता है अर्थात् सेवा, आराधना और ज्ञान बोध अर्थात् कर्म–भक्ति–ज्ञान के रूप में) इस प्रकार का अभिप्राय समुदाय को आधुनिक और प्रोन्नत सेवाएं, बदलती आवश्यकताएं एवं परिस्थितियों के अनुसार एजुकेयर, चिकित्सा संबंधी और सामाजिक देखरेख की सेवाएं प्राप्त करने के लिए था ।

अन्तर्राष्ट्रीय ''सेवा''सम्मेलन 2002 में पारित प्रस्ताव

1. इकाई के सभी सदस्यों को सम्मेलन के निर्णय स्पष्ट किये जायें ।

2. भगवान हमारी सभी साधनाओं के मूल आधार हैं और इस तरह हमारा जीवन साई संदेश बन जाना चाहिए ।

3. हममें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वर्तमान में पथभ्रष्ट प्रवृत्तियॉ चलन में होने के बावजूद उनकी कृपा से समाज में शांति स्थापित होगी । किसी पर भी दोषारोपण किये बिना सभी संगठन के कार्य में आगे बढ़ते चलें ।

4. सेवा के अवसर के लिए कोई प्रतीक्षा न करता रहे, स्वयं के माता पिता , पारिवारिक सदस्य, पडौसी, और चयनित सहायता विहीन गरीबों की सेवा करता रहे ।

5. अर्थपूर्ण गतिविधियों को फलित करने के लिए सर्वशक्तिमान साई में दृढ़ विश्वास को अपनी साधना बना लें ।

6. आध्यात्मिक दृष्टि के बिना सेवा, सेवा नहीं है । सभी युवा और वृद्ध को इस दृष्टिकोण से बिना चूक के सेवा करते रहना है ।

7. एजुकेयर के महत्व को पहचानते हुए तदनुसार स्वास्थ्य और सेवा संबंधी गतिविधियों को चलाते रहो ।

8. बाल विकास गतिविधियों में और उत्साह के साथ भाग लो ।

9. आपदा प्रबंधन सेवाएं प्रारम्भ करों ।

- **नवम्बर 2002, प्रशांति निलयम**

श्री सत्य साई एजुकेशन इंस्टीट्यूट का पहला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें श्री सत्य साई एजुकेशन पूर्ण करने वाले शिक्षकों को डिप्लोमा प्रदान किया गया ।

भगवान बाबा के 77वें जन्मदिवस समारोह से संयुक्त कर ISSE द्वारा चलाये गये श्री सत्य साई शिक्षा पद्धति के तरीकों में प्रशिक्षण कोर्स को सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले शिक्षकों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करने का भी उद्देश्य था । 33(तैंतीस) देशों के शिक्षकों ने भगवान बाबा के दिव्य हाथों से अपना डिप्लोमा प्राप्त किया साथ ही समापन पर उनका आर्शीवाद दिव्य प्रवचन के रूप में प्राप्त किया ।

- **नवम्बर 2005 प्रशांति निलयम, 80वॉ जन्म दिवस समारोह और आठवॉ विश्व सम्मेलन–**

आठवें विश्व सम्मेलन का विषय ''एकता पवित्रता और दिव्यता'' (''UNITY-PURITY-DIVINITY''.) था । अपने विषय का यह सम्मेलन अतिविशिष्ट और अनोखा था , तीन वर्षो की अवधि के अन्तराल में यानि 2002 से 2005 तक संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग ने पूरे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, देशों / शहरों में लगातार श्रृंखलाबद्ध बैठकें की जिसमें सामान्य जनों और नागरिकों (मुख्यतः भक्त नहीं) तथा विशिष्ट व्यक्तियों के भाषणों के साथ ही मल्टी मीडिया द्वारा ''हिज वर्क(HIS WORK) '' के प्रदर्शन द्वारा भगवान बाबा के जीवन और मिशन के बारे में जानकारी दी ।

विश्व के नागरिकों में इसका अभूतपूर्व असर हुआ । पूरे विश्व के कई देशों में शासन के अधिकारियों ने ''उनके दिव्य मिशन'' जो विभिन्न समुदायों की भलाई के लिए समर्पित था, उन्होंने 2005 (भगवान के अवतरण के 80 वें जन्म वर्ष में) विभिन्न तिथियों को मानवीय मूल्य दिवस घोषित कर भगवान को अपनी गहन श्रद्धांजलि अर्पित की ।

भारत के विभिन्न राज्यों में इन तीन वर्षो की अवधि में अर्थात 2002–2005, 80 वें जन्म दिवस में अपने–अपने राज्यों में सेवाओं की योजना से उनको अपनी भक्ति के पुष्पों का हार उन्हें समर्पित किया । इन तीन वर्षो के दौरान सेवाओं का स्वामी को समर्पण और भक्ति का गहन वातावरण बना रहा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, मॉ और शिशु की देखभाल इत्यादि की अनूठी गतिविधियॉ प्रमुख रही ।

- **भारत के संगठन के लिए 8 वें विश्व सम्मेलन की अनुशंसाएं :–**

1. एकता, पवित्रता और दिव्यता, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर इनके महत्व पर बल दिया गया ।

2. संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों को हृदयंगम करने की आवश्यकता पर पुनः बल दिया गया ।

3. संगठनात्मक गतिविधियॉ व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक बदलाव के अनुरूप होनी चाहिए ।

4. एकता, पवित्रता और दिव्यता का सिद्धान्त व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर सभी सदस्यों की गतिविधियों में व्याप्त हो ।

5. व्यक्तिगत साधना के एक भाग के रूप में प्रत्येक को मौन, मृदुवाणी, सोहॅम का अभ्यास , गायत्री मन्त्र का उच्चारण, संबंधित व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी निंदा नहीं करना , दूसरों के प्रति की गई भलाई को भूलना और दूसरों द्वारा पहॅुचाये गये हानि को भूलना इत्यादि ।

6. आधारभूत योजना बनाकर पारिवारिक साधना को दृढ़ बनाना ।

7. संगठन के सभी तीन विभागों की गतिविधियॉ, स्वयं में परिवर्तन के लक्ष्य को पाने के लिए संगठन में एकीकृत रूप से करें जो कि बदले में विश्व शांति के मार्ग को सुगम बनायेगी ।

8. बाल विकास शिक्षा की पांच प्रविधियॉ व्यक्तिगत और सामूहिक साधना के लिए आवश्यक हैं । संगठन के तीनों विभागों की गतिविधियॉ इनको ध्यान में रखकर इन प्रविधियों के अनुसार बनायी जायें ।

9. संगठन के सभी सदस्य बाल विकास के सार से भिज्ञ एवं सुपरिचित हों जो कि एजुकेयर का एक अंश हैं । इस सबके साथ बाल विकास गतिविधि को मजबूत कर भारत के सभी भागों में फैलाया जाये ।

——00——

परिशिष्ट–XIII

श्री सत्य साई संगठन, भारत का
दो दिवसीय एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रथम दिवस–प्रातःकालीन सत्र....................9 बजे प्रातः से 1 बजे दोपहर

समय 30 मिनट

भूमिका के साथ विषय

I- प्रशिक्षण कक्षाएँ –सामान्यतः संगठन के विषय में

1. उद्घाटन सम्मेलन

(कार्यक्रम की आवश्यकता को बताया जाये)

2. श्री सत्य साई संगठन का संक्षिप्त इतिहास और उसका आध्यात्मिक पहलू

45 मिनट

(1940 से 1963 भक्तों की औपचारिक और असम्बद्धतापूर्ण सेवा गतिविधियाँ भगवान की 1963 से 1987 तक की शिक्षाओं की एकरूपता से श्री सत्य साई सेवा संगठन की रचना का औपचारिक विचार हुआ । अखिल भारतीय और विश्व सम्मेलन के लक्ष्य और उद्देश्य पर बैठक । आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 1987 से आज तक का विकास । सेवादल के विभाग , भजन मंडली और स्टडी सर्किल गतिविधियाँ, भक्ति और विवेक के मार्ग से ही ''मल'' विक्षेप''और ''अवर्ण'' की, आत्मबोध की बाधाओं को दूर करेगी ।)

3. संगठन के स्थायी लक्ष्य और सदस्यों के लिए नियम एवं विधानः

45 मिनट

(संगठन के छः स्थायी उद्देश्य जो दिव्य राजपत्र (चार्टर), जो कि 14.1.81 को तत्कालीन विश्व परिषद द्वारा जारी हुआ था, में निहित था । अप्रैल 1967 में भगवान ने मद्रास के अखिल भारतीय सम्मेलन में संगठन के सदस्य बनने के लिए 3 योग्यताएं बताई–आचार संहिता के 9 बिन्दु दिव्य राजपत्र में भगवान द्वारा दिये गये 10 पवित्र आदेश 1985)

मध्यावकाश –15मिनट

4. संगठन की संरचना और सामान्य प्रशासन तथा भगवान द्वारा प्रतिपादित निषिद्ध कार्य

45 मिनट

(अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय और इकाई स्तर पर संगठन की वर्तमान संरचना–केन्द्रीय कार्यालय–इकाई की कार्य प्रणाली–राज्य समन्वयकों की भूमिका–राज्य और अखिल भारतीय अध्यक्ष की भूमिका स्टेट ट्रस्ट की भूमिका –संगठन के ''नही''(निषिद्ध कार्य)–इकाई पंजीबद्ध नहीं–लोगों से दान की अनुमति नहीं –शासकीय या अन्य संगठनों के कार्य से कोई संबंध नहीं–ऑपरेशन वाले चिकित्सा शिविरों पर प्रतिबंध–पोलियो और नेत्र ऑपरेशन को छोड़कर)

5. समिति / भजन मंडली के संयोजक की भूमिका और संगठन के विस्तार के लिए कुछ मार्गदर्शक बिन्दु–

45मिनट

(संगठन के ज्ञान के माध्यम से सदस्यों से निकटता और उस क्षेत्र की आवश्यकता को पहचान कर सेवा गतिविधियों को चलाने की निपुणता एवं योग्यता निरंतर चिन्तन और गतिविधियों की योजना इसके साथ (अ) इकाई के लोग और सामग्री (ब) संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य और (स) भगवान द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, स्थानीय, प्रभावशाली और इकाईयों के सदस्यों को सम्मान से आज्ञा देना–गुटबंदी की भावना से उपर–आसपास के क्षेत्रों से भक्तों की निरंतर खोज करना और इकाई शुरू करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने की योग्यता –नये व्यक्तियों में भक्तों को पहचानने का संकेत –स्वामी के फोटो वाली अंगूठी और लाकेट पहनना –घड़ी और सूटकेस में स्टिकर–क्रास बैग प्रतीक चिन्ह के साथ हाथ में सनातन सारथी, नाम के प्री–फिक्स में साई का नाम, आदि–दोस्तों एवं रिश्तेदारों के माध्यम से गांव में भक्तों की खोज)

प्रथम दिवस–अपरान्ह सत्र–2.45 दोपहर से 5.45 शाम

II-आध्यात्मिक विभाग से संबंधित प्रशिक्षण कक्षाएं:

विषय की रूपरेखा –समय 40 मिनट

1. आध्यात्मिक विभाग संयोजक के कर्त्तव्य एवं सेवा गतिविधियों के कार्य क्षेत्र :–

(भजन मंडलियों की देखभाल, स्टडी सर्किल और इच्छाओं पर नियंत्रण नियमित भजन और नगर संकीर्तन आयोजित करना, त्यौहारों के दिनों में विशेष भजन और नगर संकीर्तन की व्यवस्था करना–लक्षार्चन एवं आध्यात्मिक प्रवचनों का आयोजन–दृश्य एवं श्राव्य केसेटों के द्वारा साई संदेश का विस्तार करना–आध्यात्मिक ग्रंथालय चलाना–साधना शिविर की व्यवस्था –सनातन सारथी ग्राहक हेतु व्यापक अभियान –साई–साहित्य–फोटो –लाकेट विभूति आदि का विक्रय–ज्योति साधना का अभ्यास –भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम–नये भजन सेंटर, भजन मंडली और समिति बनाने के लिये प्रयास –धार्मिक विषयों पर सेमीनार की व्यवस्था)

2. भजन के नियम एवं विधान तथा नाम संकीर्तन का महत्वः

40 मिनट

(भजन का स्थान–बैठक का तरीका–मौन का पालन–भजन गीतों का प्रकार–गायक कौंन होंगे–साई वचनों का पाठन और घोषणाएं–विभूति मन्त्रम्–संकीर्तन के प्रकार–भाव संकीर्तन–गुण संकीर्तन लीला संकीर्तन–नाम संकीर्तन और उसका महत्व)

3. स्टडी सर्किल और इच्छाओं पर नियंत्रणः

40 मिनट

स्टडी सर्किल का अर्थ–एक समान विचारों एव आध्यात्मिक अभिरूचि वाले भक्तों के लिए स्टडी सर्किल, भक्तों के लिए स्टडी सर्किल–बुद्धिजीवियों के लिए स्टडी सर्किल–कामगारों के लिए स्टडी सर्किल–कार्य का मार्ग, भक्ति और ज्ञान–प्रमुख वक्ता और उनके कर्त्तव्य –पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री ।

स्वामी के लेख और प्रवचन–इच्छाओं पर नियंत्रण का अर्थ और स्वयं के आध्यात्मिक

उत्थान , राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और कल्याण में उसका महत्व

मध्यावकाश 15 मिनट

4. **भजन प्रशिक्षण कक्षाएं 5 से 6 एवं 8.30 से 9.30 रात्रि**

(कक्षाएं निपुण गायक और अनुभवी सदस्यों द्वारा ली जाये)

---00---

द्वितीय दिवस प्रातः कालीन सत्र –8.30 पूर्वान्ह से 12 .30 अपरान्ह

III-सेवा विभाग से संबंधित प्रशिक्षण कक्षाएं ,

विषय की रूपरेखा

समय 45 मिनट

1. **सेवा दल का महत्व और सेवा दल सदस्यों के लिए दिशानिर्देश :**

(निष्काम सेवा ही आध्यात्मिक उन्नति का आधार है संगठन के सभी विभागों में सेवादल की सक्रियता–पूजा–ध्यान और धर्म ग्रंथों के पाठन से अधिक फलदायी सेवा है–सेवा कोई भावना का असाधारण आवेश नही वरन् सहनशील प्रयास है–दूसरों की सेवा स्वयं की सेवा है–सेवा के अवसर की प्रतीक्षा मत करो–अपने आस–पास उपस्थित अवसरों को प्राप्त के लिए सजग रहो । भगवान की सेवा की अपेक्षा भक्त की सेवा अधिक फलदायी है । विनम्रता और प्रेम के साथ सेवा वांछित है । महिला सेवादल के साथ व्यर्थ और अनावश्यक बातचीत की अनुमति नहीं है–असीमित धैर्य और सहनशीलता के साथ भीड़ का नियंत्रण कार्य–प्रत्येक में भगवान को देखना –सभी धर्मो और ईश्वरों में एकता देखना–नेतृत्वकर्ता की आज्ञा का पालन–फौजी अनुशासन नहीं वरन् प्रेम सेवा का आधार होना चाहिए–कर्त्तव्य के समय सेवा दल को भगवान के पैर नहीं छूना चाहिए–सेवा पवित्र, अहंकार रहित और शांतिपूर्ण तरीके से की जाये–Seva Dal=S:=sacrifice त्याग, E:=eagerness तत्परता,V:=vigour उत्साह, A:=Aim=लक्ष्य, D:=Dedication=समर्पण, D=Devotion=भक्ति, Discipline:=अनुशासन, Discrimination:=__विवेक और Determination:-दृढ निश्चय, A:-Alertness=सजगता, L:=Love प्रेम)

2. सेंवा के चार उद्देश्य और उनका आंतरिक महत्व, विभिन्न प्रकार की सेवागतिविधियॉ

–45मिनट

(चार उद्देश्य (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कल्याण (2) आध्यात्मिक आधार को दृढ़ करना (3) साई संदेश का विस्तार और (4) इच्छाओं पर नियंत्रण विभिन्न सेवाएँः आध्यात्मिक सेवाएॅ–सामाजिक सेवाएॅ–शैक्षणिक सेवाएॅ–चिकित्सा सेवाएॅ और ग्राम सुधार सेवाएॅ)

3. भगवान द्वारा अपने प्रवचनों में सेवा दल सदस्यों को दिये गये दिव्य निर्देश

–75 मिनट

(मई 1979 भारत के सभी जिलों, सेवादल संयोजको को वृन्दावन में दिये गये प्रवचन–1984 –नवम्बर 18 और 21 को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वामी द्वारा दिये गये प्रवचन–1987 नवम्बर 19, 21 और 24 को सक्रिय कार्यकर्ताओं को भगवान द्वारा दिये गये प्रवचन –1988–15 फरवरी और 30 जुलाई को अखिल भारतीय अध्यक्ष और राज्य संयोजकों को स्वामी द्वारा दिये गये प्रवचन–प्रशिक्षणार्थियों को उपरोक्त का सार समझाना,)

4. सिक्यूरिटी एवं त्यौहार के दौरान प्रशाांति निलयम में सेवाएॅः

(सिक्यूरिटी सेवाओं का महत्व–प्रशांति निलयम परिसर की जानकारी–विभिन्न बिन्दु (Point) जहॉ सेवादल रखे जायेंगे एवं संबंधित कार्य करेंगे–गणेश गेट, प्रशांति मंदिर के चारों ओर के गेट–वेद पाठशाला–गणेश गेट के पीछे ढ़लान–गोपुरम गेट–गोपुरम की तरफ मुख्य प्रवेश द्वार–जनरल स्टोर–साउथ प्रशांति बिल्डिंग्स –वेस्ट प्रशांति बिल्डिंग्स–1 से 9, राउन्ड बिल्डिंग्स नये भवन सहित–जनरल शेड 1 से 34–निरीक्षण दल–विद्यागिरी काम्पलेक्स प्वाइंट–समाधि मंदिर । सामान्य सेवाओं के पोंईट्स–केन्टीन, प्रेस, आईसक्रीम, पार्लर, गोकुलम, बुक स्टाल, हॉस्पिटल, विभिन्न कार्यालय इत्यादि । त्यौहार की सेवाएं–दशहरा, जन्म दिवस, गुरूपूर्णिमा और अन्य त्यौहार जैसे–संक्रान्ति, उगादि, श्रीराम नवमी ,

गोकुलाष्टमी, विनायक चतुर्थी, ओणम, दीपावली और क्रिसमस)

———00———

द्वितीय दिवस–अपरान्ह सत्र

2.30 दोपहर से 5.30 शाम

शिक्षा विभाग से संबंधित प्रशिक्षण कक्षाएं

विषय की रूपरेखा

समय 10 मिनट

1. ''अ'' शिक्षा विभाग समन्वयक के कर्त्तव्य और शिक्षा विभाग का अर्थः–

(वर्तमान सेटअप में समिति स्तर का शिक्षा विभाग समन्वयक वस्तुतः महिला विभाग का प्रतिनिधि होता है और तीनों विभागों का कार्य जो कि महिला सदस्यों द्वारा किया जायेगा उसकी देखभाल करनी है । वह स्वयं या कार्य क्षेत्र की अनुभवी, उपयुक्त तीन महिला सदस्यों से कार्य ले सकती है ।

1984 में समिति के विभिन्न विभाग तीन विभागों में वर्गीकृत किये गये–आध्यात्मिक , सेवा और शिक्षा विभाग । यहॉ यह उल्लेख किया गया कि शिक्षा विभाग में बाल विकास, मानवीय मूल्यों की शिक्षा और समिति द्वारा चलाई जा रही प्राथमिक शाला यदि कोई हो तो, शामिल होंगी । हॉलाकि दूसरा चलन में नहीं था और तीसरा कुछ ही स्थानों में चलाया जा रहा था । व्यवहारिक रूप में शिक्षा विभाग को बाल विकास माना जाता है ।

2. ''ब'' बाल विकास की आवश्यकता और उसका सामान्य प्रशासन

30 मिनट

(बच्चों के पांच स्तरीय विकास के लिए'' संसार के प्रदूषण एव भवरोग से प्रतिरक्षा–संगठन की नियमित और परम आवश्यक शक्ति–जन साधारण से सम्पर्क बनाने के लिए संगठन को सक्षम बनाती है–बाल विकास की राष्ट्रीय , प्रान्तीय , क्षेत्रीय और समिति स्तर की संरचना समझाना)

3. बाल विकास पाठ्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न विषयों का अभिप्रायः और आंतरिक

महत्वः

40 मिनट

(मानवीय मूल्य–भारतीय संस्कृति–मतों की एकता–स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार की भागीदारी और बचत की आदत–यदि उचित रीति से सिखाया जाये तो बढ़ते हुए बच्चों की पांच स्तरीय कार्यक्षमता को विकसित करेगी)।

मध्यावकाश

15 मिनट

4. सिखाने की तकनीक और बाल विकास गुरू के लिए पाठ्य–सामग्री का परिचयः

45 मिनट

(कहानी कथन–रोलप्ले–व्यवहार परीक्षा–चार्ट और दृश्य–साधन–आध्यात्मिक खेल–मूल्यांकन के तरीके–संदर्भ योग्य पुस्तकें–श्री सत्य साई बाल विकास मेनुअल 1984, श्री सत्य साई सेवा संगठन–बाल विकास गुरू 1977–सत्यम शिवम् सुन्दरम–4 खंड–सनातन सारथी–संदेह निवारणी–भागवत गीता, बाल विकास बोधनी–बाल कथाएँ, दिव्य पथ I और II खंड)

5. बाल विकास मॉडल कक्षा–

40 मिनट

(अनुभवी शिक्षक द्वारा कक्षा को प्रारंभ करने के पहले पूरी व्यवस्था और ग्रुप–I और II कक्षा लेने का प्रायोगिक प्रदर्शन)

टीप–समिति इस पाठ्यक्रम के विभिन्न मुख्य विषयों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान की व्यवस्था उनकी सुविधानुसार अनुसरण के कदम के रूप में करेगी । अनुभवी साई भाईयों से उपरोक्त पाठ्यक्रम को उन्नत बनाने के सुझाव कृतज्ञता–पूर्वक स्वीकार्य होंगे ।

————00————